छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा

सप्तदश सत्र

गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई, 2023

(आषाढ़ 29, शक सम्वत् 1945)

[अंक 03]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 20 जुलाई, 2023

(आषाढ़ 29, शक सम्वत् 1945)

विधान सभा पूर्वाहन 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए}

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बार-बार आग्रह है कि अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा कहे। मैं आज दादी को आई लव यू बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बढ़िया है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- वह बोल रहे हैं कि आई लव यू टू।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं सोचता हूं आपके निर्देशों का असर.. (व्यवधान)।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल का जो शराब के ऊपर प्रश्न था।

अध्यक्ष महोदय :- उस प्रश्न को छोड़िये । उसको मैंने जमा करने के लिये कह दिया है। अब वह जमा करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैंने उनको आई लव यू कहा है तो उनका शोषण समाप्त होना चाहिए। उनको 2 हजार करोड़ रूपये में एक रूपये नहीं मिला है।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, वह प्रश्न का उत्तर आ जाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्नकाल में आईये। श्री शिवरतन शर्मा जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री लखमा जी को 2 हजार करोड़ रूपये में दो रूपये देखने को नहीं मिला है, खुद को मिलना तो अलग बात है। वह बेचारे देखे नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कल माननीय नेता प्रतिपक्ष के प्रश्न पर व्यवस्था दी थी।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो हो गया। आप अपने प्रश्न पर आईये। आप दूसरे के प्रश्न पर नहीं जा सकते हैं। मैं उनको बोल चुका हूं कि वह आकर जमा करेंगे, आज जवाब दे देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल आपको आपकी व्यवस्था याद दिला रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे याद है। मैंने उनसे कहा है कि आप जमा करके हमको बताईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सहमत हूं। आप इनकी धृष्टता पर कुछ कहिये (माननीय आबकारी मंत्री, श्री कवासी लखमा की ओर ईशारा करते हुए)।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं तो निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्लीज।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नांदघाट से बलौदाबाजार मार्ग निर्माण की लागत

[लोक निर्माण]

1. (*क्र. 350) श्री शिवरतन शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बलौदाबाजार से नांदघाट सड़क मार्ग का निर्माण किस वर्ष में, कौन से मद से, कितनी लागत से हुआ है? इसकी निर्माण एजेंसी कौन थी ? उक्त मार्ग में परफारमेंस गारंटी हेतु कितनी राशि विभाग द्वारा रोकी गई थी तथा कितने वर्ष तक के लिये थी ? **(ख)** उक्त मार्ग में परफारमेंस गारंटी के दौरान कौन-कौन से किलोमीटर पर, कितनी-कितनी राशि का कार्य कराया गया है ?क्या उक्त मार्ग निर्माण की जांच विभाग द्वारा किसी अधिकृत संस्था से करायी गयी थी ? यदि हॉ, तो जांच रिपोर्ट में क्या था तथा दोषी व्यक्ति पर क्या कार्यवाही की गयी है ? बलौदाबाजार से नांदघाट मार्ग में कितने किलोमीटर तक की सड़क जर्जर है ? उक्त सड़क की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू): (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'अ'** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'ब'**[1] अनुसार है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आज जो प्रश्न लगाया है, इस प्रश्न को मैंने इस पांचवीं विधान सभा में चौथी बार लगाया है। मेरे प्रश्न लगाने के पश्चात केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान से विभाग ने जांच भी करायी है और जो जांच रिपोर्ट आयी है, उस जांच रिपोर्ट में कुछ स्थानों पर लिखा हुआ है कि सड़क सतह के विभिन्न परतों का निर्धारण मापदण्ड अनुसार नहीं पाया गया है। वी.टी. कार्य में सॉफ्ट ग्रेड वी.जी. - 30, डामर का प्रावधान होने से सड़क सतह से अत्यधिक रटिंग होना पाया गया है। यह केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट है। उन्होंने उत्तर में लिख दिया है कि सड़क की स्थिति संतोषप्रद है। आज भी ग्राम खैरी से लेकर रवान तक लगभग 13-14 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है, जिसमें सड़क बैठ गयी है। जैसे गांव में गाड़ा रावण होता है, उस जैसी गाड़ा रावण की स्थिति आज भी है। उस सड़क में एक्सीडेंट होने से 7-8 लोगों की मौत हो चुकी है। इस सड़क पर दो बार ठेकेदार ने ऑफिशियल तौर पर बी.टी. की है और तीन बार अनऑफिशियल तौर पर की है, उसके बाद भी सड़क बैठी हुई है। आप उसके बाद जो जवाब दे रहे हैं कि जांच रिपोर्ट में चयनित 22.8 कि.मी.

[1] परिशिष्ट ''एक''

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की सड़क में रटिंग का सुधार करने का लेख किया गया है, कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने आपको अपनी रिपोर्ट दी है। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या स्टेट की रोड पर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली को कार्रवाई करने का अधिकार है ? उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी कि सड़क में क्या-क्या कमी पायी गयी है। उसमें कार्रवाई तो आपको करनी है और आप बोल रहे हैं कि केवल कमी बताई गयी है कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गयी है।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आप पहले यही बता दीजिये कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान को राज्य सरकार की जो एजेंसी है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई करने के लिये हम लोगों ने नहीं भेजा है, हम लोगों ने जांच करने के लिये भेजा है। उन्होंने जांच करके जांच रिपोर्ट दी है, उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। उनको कार्रवाई करने के लिये नहीं लिखा गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिये कि मेरे आज के प्रश्न के प्रपत्र- ब में इन्होंने लिखा है कि रिपोर्ट में रटिंग के सुधार करने का लेख किया गया है, कार्रवाई करने का उल्लेख नहीं है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, ठीक ही तो लिखा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, हां तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट में यह कहा गया है, उसमें कार्रवाई तो आपको करनी है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई हमको करनी है लेकिन उन्होंने जांच रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिये कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में क्लीयर लिखा है कि कुछ-कुछ स्थानों पर सड़क सतह की विभिन्न परतों का निर्धारण मापदण्ड अनुसार नहीं पाया गया है। रिपोर्ट आ रही है सड़क मापदण्ड के अनुसार नहीं पायी गयी। बी.टी. कार्य में सॉफ्ट ग्रेड का उल्लेख है। जब आपको रिपोर्ट मिल गयी है कि मापदण्ड के अनुसार सड़क नहीं बनी है तो आखिर आप किसी न किसी को दोषी पायेंगे या नहीं पायेंगे ? या आप दोषी व्यक्ति को बचाने का काम कर रहे हैं ? उन्होंने सिफारिश नहीं की लेकिन जब सड़क मापदण्ड के अनुसार नहीं बनी है तो आपको कार्रवाई करनी है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम वर्तमान परिवेश में सड़क बनाते हैं। सड़क का हमेशा से दबना, टूटना इसलिए भी होता है कि जैसे आज 10 टन की सड़क चल रही है उस मापदण्ड से हमारी सड़क बनी। अब उधर नया-नया आविष्कार होते रहता है। फिर अब वह 20 टन की गाड़ी आ गई तो उस सड़क को दबकर टूटना ही है। अब हम उस लेवल पर सड़क बनाते हैं, हम उस रेश्यो,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मेटेरियल में गिट्टी, रेती, सीमेंट डालते हैं। तो उससे बात आती है कि यह एक सतत प्रक्रिया है इसलिए जहां भी सड़क, भवन या पुल पुलिया खराब होती है तो हमारी पी.जी. होती है तो ठेकेदार के लिए पी.जी.(परफारमेंस गारण्टी) अवधि होती है। उस अवधि तक हम लोग ठेकेदार से मरम्मत कार्य करवाते हैं और उसके बाद विभाग के द्वारा किया जाता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। मंत्री जी का उत्तर अलग है और मैंने प्रश्न अलग किया है। जब आपकी केन्द्रीय सड़क अनुसंधान केन्द्र ने रिपोर्ट में यह साफ कह दिया कि मापदण्ड के अनुसार नहीं पाया गया। यह तो सीधे-सीधे अनियमितता है। आप अनियमितता के खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे? आप मेरे प्रश्न को समझ लीजिए। मैं रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की बात कर रहा हूँ और आप दूसरा जवाब दे रहे हैं। पहला आप यह बता दीजिए कि यह सड़क रिपोर्ट में मापदण्ड के अनुसार पाया गया है या नहीं पाया गया? आप इस पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस जांच रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जांच रिपोर्ट में चैनेज 22+ 800 से चैनेज 37+200 के बीच कुछ स्थानों पर रटिंग पाया गया, रटिंग माने दबी हुई सड़क होती है। रिपोर्ट में रटिंग को सुधार करने का लेख किया गया है। कार्य वाही करने का उल्लेख नहीं है। माने उस स्तर का खराब नहीं है कि किसी के ऊपर कार्यवाही की जाए, किसी के ऊपर दोष लगाया जाए। वह सड़क सुधार योग्य बताई गयी है हमने ठेकेदार के खर्च पर सुधार कार्य करवा दिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में 18 मार्च 2020 को ...। एक मिनट सुन लीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे ख्याल से ..। मैं महत्वपूर्ण प्रश्न सुन लूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको सुन रहा हूँ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। कुछ स्थानों पर सड़क सतह की विभिन्न परतों का निर्धारण मापदण्ड अनुसार नहीं पाया जाना, यह केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट है।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो बोल रहे हैं, वह रिपोर्ट के अनुसार से हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। उसके बाद अभी ये दूसरी बार बोल रहे हैं। अभी इनने प्रश्न के उत्तर में परिशिष्ट को पढ़ दिया कि कुछ स्थानों पर रिपोर्ट में रटिंग को सुधार करने का लेख किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- उसको तो वह पूछने वाले हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं। मैंने पूछा। यह उत्तर में अंतर है। भाई, जब वह सड़क मापदण्ड के अनुसार नहीं पायी गई तो इनको कार्यवाही करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको कार्यवाही करनी चाहिए। आखिर ठेकेदार या एजेंसी को क्यों बचा रहे हैं ? माने सीधा-सीधा आपका कोई न कोई रूचि है तब आप उन्हें बचा रहे हैं ? वहां 8 लोगों की मृत्यु हो गई और सरकार गंभीर नहीं है। इस पर क्या कार्यवाही करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको उत्तर दिला रहा हूँ। उन्होंनें आपका कागज छिन लिया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। जब माननीय मंत्री जी यह बता दीजिए कि उस रिपोर्ट में यह कहा गया है या नहीं ? कि वह सड़क मापदण्ड के अनुसार नहीं पायी गई।

अध्यक्ष महोदय :- आज आपका प्रश्न उच्च स्तर का नहीं दिख रहा है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत स्पष्ट है कि क्षमता से अधिक भार वाले वाहनों के आवाजाही के कारण कुछ स्थानों पर सड़क सतह ऊपर लेयर, सतह माने ऊपर लेयर की विभिन्न परतों का निर्धारित मापदण्ड नहीं पाया जाना, सड़क सतह के विभिन्न लेयर में कॉम्पलेक्स की कमी थी। जो-जो उस सड़क में कमी बताई गई, उसको हम लोगों ने ठेकेदार से करवा लिया।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट आपको आयी है वही रिपोर्ट उनके पास है या उनके पास अलग से रिपोर्ट आयी है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वही रिपोर्ट है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वही रिपोर्ट है। कोई दूसरी रिपोर्ट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- महोदय जी हो गया। आप कितनी बार प्रश्न पूछेंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है। जो रिपोर्ट है मैंने इस रिपोर्ट को तीन बार पढ़कर बता दिया। उस सड़क को मापदण्ड के अनुसार नहीं पाया जाना, यह क्लियर है। एक बात यह है और दूसरी बात यह बात दीजिए कि उक्त सड़क कितने लोड(भार) के लिए डिजाईन की गई थी और वर्तमान में कितने लोड(भार) की गाड़ियां चलती हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह एस्टीमेट बना, उस समय कितनी क्षमता का था, वह मैं अलग से उपलब्ध करवा दूंगा। वह अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट प्रपत्र ब में यह लिखा है कि वर्तमान में सड़क की स्थिति पूर्णत: संतोषप्रद है। मैं भारतीय सड़क संगठन की कई बैठकों में गया हूँ। मेरे क्षेत्र में सड़क बन रही है, उसकी भी मिटिंग में एक-दो बार गया हूँ, अभी कोड़ेबोर तक की सड़क को प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटित किया और कोड़ेबोर से आगे धमतरी तक की सड़क बन रही है। किसी भी स्पेसीफिकेशन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में संतोषप्रद की परिभाषा या संतोषप्रद क्या होता है, मैंने आज तक नहीं देखा। आप मुझे कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह संतोषप्रद स्थिति क्या होती है, स्पेसीफिकेशन में संतोषप्रद का मतलब क्या है ? संतोषप्रद से आपका अभिप्राय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय :- संतोषप्रद केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान ने लिखा है या राज्य सरकार ने लिखा है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- राज्य सरकार ने लिखा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार के उत्तर में है, अब किसके द्वारा उद्भूत किया गया है, वह बतायेंगे। इसलिए स्पेसीफिकेशन में भारतीय सड़क संगठन के किसी भी निर्देश में संतोषप्रद नाम का शब्द उपयोग नही होता। संतोषप्रद का स्पेसीफिकेशन क्या होता है जिसमें माननीय मंत्री या उनके ई.एन.सी. कह सकें कि यह संतोषप्रद है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कौन सा नया स्पेसीफिकेशन आया है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई सड़क खराब हुई और कोई शिकायत हुई तो असंतोषप्रद हुआ और जब हम उसको रिपेयर कर दिये तो संतोषप्रद हो गया।

अध्यक्ष महोदय :- संतोषप्रद हो गया, जैसे आज माननीय विधायक जी का व्यवहार संतोषप्रद है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी तरफ से लें संतोषप्रद तकनीकी विभाग लिखता है। हम सामान्य व्यवहार प्रणाली में आपकी बात से सहमत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यदि एक तकनीकी विभाग यह लिखता है उसकी कोई परिभाषा होनी ही चाहिए और होती है। नेरोगेज लाईन है, बड़ी लाईन है, 11 के.व्ही. की लाईन है, 20/20/0 का बिजली स्टेशन है तो लोक निर्माण विभाग में सड़क निर्माण कार्य में संतोषप्रद का कोई तो अर्थ होगा, उसको कोई स्पेसीफिकेशन तय होगा या तकनीकी विभाग भी सामान्य बात करेगा ? फिर उसको गुणवत्ताविहीन है, गुणवत्ता नहीं है, संतोषप्रद में इतनी मात्रा में मिलना था, इतनी गिट्टी, रेती होनी थी, यदि उसकी परिभाषा तय नहीं होगी तो यह तय कैसे होगा ? उस शब्द का उपयोग नहीं हो सकता यदि उस शब्द का स्पेसीफिकेशन तय नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न करना चाहता हूं। अच्छा, आप उत्तर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न पूछिये न, आप प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद ही मिलाकर उत्तर देंगे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सड़कों से जुड़ा हुआ मामला है और सब जगह की सड़कें दयनीय हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा था कि क्या विभाग के सचिव अधिकारियों के साथ सड़क का अवलोकन कर वर्तमान स्थिति की वीडियोग्राफी कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सड़क के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे विनम्र आग्रह है कि इस सड़क को अभयदान दे दें, कोई आपत्ति नहीं है। उसका जनता जवाब देगी। लेकिन यह स्थिति और यह गोलमोल जवाब, गोलमोल स्थिति सिर्फ दो विधान सभा को छोड़कर पूरे 98 विधान सभा में है। आप इसमें लिखे हैं कि सड़क के विभिन्न लेयर में कॉमन सेक्शन में सड़क में भारी वाहनों के चलने के कारण स्थायी क्षति हुई है। पूरे रेत खदान में भारी वाहन चल रहे हैं। उस स्पेसीफिकेशन की सड़क फिर क्यों नहीं बनती और बार-बार वही सड़क चलती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संतोषप्रद और दूसरी बात जो शानदार मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, वैसे ही सख्ती के साथ उत्तर दिलवाईये।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपके मुस्कुरा रहा हूं। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आये थे आपका व्यवहार संतोषप्रद था। मुख्यमंत्री जी के आते ही आप गरम होने लगे। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछले महीने मेरी विधान सभा में भेंट-मुलाकात का कार्यक्रम था। जिस सड़क को ले करके मैंने प्रश्न किया है, यह विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी लोगों ने रखा था और मुख्यमंत्री जी ने वहां सड़क निर्माण की घोषणा की और कल उसमें प्रतिकात्मक रूप से 100 रुपये का बजट प्रावधान भी किया गया। सड़क की स्थिति संतोषप्रद होती तो उसको अनुपूरक बजट में शामिल क्यों किया जाता ? 100 रुपये का प्रतिकात्मक बजट प्रावधान क्यों किया जाता ? सड़क की स्थिति खराब है इसलिए तो आप बजट में शामिल कर रहे हैं। सीधी बात है, डिजाईन कितने के लिए की गई ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- सर, जस्ट मिनट। मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि संतोष और संतुष्ट दो अलग-अलग शब्द हैं। संतुष्ट करने के लिए उसमें फिर से व्यवस्था हो सकती है, संतोषप्रद को बनाया जा सकता है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक लाईन का आपसे आग्रह है कि तकनीकी विभाग ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता जो उसके स्पेसीफिकेशन में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझ रहा हूं। ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता, ठीक है। आगे से ख्याल रखेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि उपयोग किया है तो उसका स्पेसीफिकेशन उनको बताना होगा। यह आपसे आग्रह है बाकी आप जो आदेश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह जी। मैं समझ गया न। मैं उसको कहता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- मुख्यमंत्री जी के आने के बाद उत्तेजित नहीं होते।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, उत्तेजित होते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- हमने आज तो लखमा जी को । Love U बोला है। (हंसी) हमने मुख्यमंत्री जी को भी । Love U बोला।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आपने स्पष्ट नहीं किया है कि आपने लखमा को किया है या लखमा जी के विभाग को । Love U बोला है।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने लखमा किया है और मुख्यमंत्री जी को । Love U बोला है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने आसंदी से कहा कि जैसा ही मैं आता हूं तो वह ..।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तेजित हो जाते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- मतलब मैं प्रेरक का काम करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तप्रेरक का काम करते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- दूसरी बात यह है कि कल नकसीख वर्णन कर रहे थे और आज उन्होंने लखमा जी को । Love U कह दिया। मतलब अजय जी के शौक में परिवर्तन हो रहा है क्या? (हंसी)

श्री शिवतरन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- स्पेशली ..।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह । Love U शब्द किसके लिए उपयोग होता है, मैं यह जानना चाहता हूं। (हंसी)

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चंद्राकर जी की उम्र । Love U बोलने की है? (हंसी) ऐसा करेंगे तो हमारा क्या होगा? चंद्राकर जी, आप क्या कह रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, सबकी है।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या है कि आपके दिमाग में [XX] है ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह आरोप लगा रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- । Love U तो किसी को भी कह सकते हैं। हम तो कुत्ते को भी । Love U बोलते हैं। (हंसी) यदि मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं बोलने में क्या बुराई है?

श्री शिवरतन शर्मा :- अरूण जी, । Love U एक्सपर्ट मेरे बाजू में पुन्नूलाल मोहले जी बैठे हैं। वह । Love U शब्द के एक्सपर्ट हैं।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को इसमें आघात पहुंचा है कि इन्होनें मुझे कहा कि आपके दिमाग में [XX] हुई है। वह सीधे- सीधे आरोप लगा रहे हैं। मेरे दिमाग में साहित्यिक विचार भरे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- कल माननीय मुख्यमंत्री जी से जो चर्चा हुई थी, जिससे आप अवगत हैं, उसका परिणाम आज आयेगा। आप देखियेगा। आप इतने प्रसन्न दिख रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अंतिम प्रश्न कर लूं?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जल्दी से करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा कि ड्रॉइंग डिजाइन कितने लोड के लिए की गई थी, आप उसकी जानकारी बाद में उपलब्ध करायेंगे। आपने उत्तर में लिखा है कि मार्ग का कोई भी भाग जर्जर नहीं है एवं मार्ग गड्ढा मुक्त है। सड़क की स्थिति संतोषप्रद है। मेरा इस विषय पर आरोप नहीं है। मैं आपसे सिर्फ यह निवेदन करता हूं कि आप अपने अधिकारियों को भेजकर इस सड़क की वीडियोग्राफी मंगाकर चेक करवा लीजिये। आज भी उस सड़क में गाड़ा रावण है। आपको सिर्फ जो जवाब लिख कर दिया गया। मैं यदि बोल रहा हूं तो जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मैं उस सड़क में हफ्ते में चार दिन जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप सिर्फ उस सड़क की वीडियोग्राफी मंगाकर देख लीजिये। यदि गलत उत्तर हो तो उसके बाद कार्रवाई कीजियेगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप संतुष्ट हो जाईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, जमा तो कर सकते हैं न। आप एक बार बुलाकर देख तो सकते हैं न।

अध्यक्ष महोदय :- हाँ, देख सकते हैं। देख लेंगे, महाराज। आप सड़कों की हालत को और से जांच करा लीजिये। क्या फर्क पड़ता है?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में सड़कों की हालत एकदम चिकना बना हुआ है। कैसा चिकना है, वह तो मैं नहीं बोलूंगा। (हंसी) लेकिन वह एकाध सड़क देखने की बात कर रहे हैं तो हमारी सतत प्रक्रिया है कि हमारे अधिकारी लगातार विशेषकर बारिश के मौसम में बारिश के पहले पूरा रिपेयर करते हैं। बारिश के लिए भी हमारा टेंडर होकर हर जिले में ई.ई. को पैसा भेज दिया गया है। तत्काल कार्रवाई करने के लिए जहां जरूरत होगी, हम लोग निश्चित तौर पर दिखवा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रीमती छन्नी चंदू साहू।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, आप पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं। यदि सड़क की हालत चिकनी होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ई.इन.सी. को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ई.इन.सी. को इसी आधार हटाया कि सड़क में गड्ढे हैं और आप बोल रहे हैं कि सड़क चिकनी है। सड़क चिकनी नहीं है, भैया।

अध्यक्ष महोदय :- काई जरूरत नहीं है कि चिकनी है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी (व्यवधान) गांव के जैसी सड़क है।

अध्यक्ष महोदय :- काई जरूरत नहीं है कि चिकनी है।

श्री अजय चंदाकर :- मंत्री जी को समझा दीजिये कि ब्राम्हण कभी दक्षिणा से संतुष्ट होता ही नहीं है। (हंसी) जब तक उनको भूसी दक्षिणा नहीं मिले, ब्राम्हण संतुष्ट नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, श्रीमती छन्नी साहू जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह संतोषप्रद बोल रहे हैं तो बता दे किसके गाय जैसी है।

<u>राजनांदगांव जिले के विभिन्न थानों में दर्ज प्रकरण पर कृत कार्यवाही</u>

[गृह[

2. (*क्र. 419) श्रीमती छन्नी चंदू साहू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2022 -23 में 31 अगस्त 2022 तक राजनांदगांव जिले में तथा माह सितम्बर 2022 से 30 जून 2023 तक जिला मानपुर-मोहला-अंबागढ चौकी एवं खैरागढ-छुईखदान-गंडई के विभिन्न थानों में लिखित शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं ? वर्ष वार, थाना वार जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका "क" के अनुसार प्राप्त शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर क्या कार्यवाही की गई? वर्ष वार, थाना वार जानकारी प्रदान करें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की वर्षवार, थानावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"अ"**एवं **प्रपत्र-"ब"**अनुसार है।**(ख)** वर्षवार, थानावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"अ"**एवं **प्रपत्र-"ब"**अनुसार है।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न लगाई थी कि अविभाजित राजनांदगांव जिले के थाने में लिखित शिकायत के आधार पर कितने प्रकरण दर्ज किए गए थे? जिसके उत्तर में दस थाना क्षेत्र का जानकारी दी गई है। जिसमें 6वां नंबर का सिटी कोतवाली में 20 प्रकरण लिखित शिकायत में है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या मृत व्यक्ति कागज में साईन कर सकता है?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो प्रकरण की जानकारी मांगी थी, वह जानकारी मैंने उनको दे दी है। अभी यह प्रश्न अलग से है कि मृत व्यक्ति कागज में दस्तखत कर सकता है या नहीं कर सकता? यह तो सभी जानते हैं कि मृत व्यक्ति किसी कागज में दस्तखत नहीं कर सकता।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वर्ष 2008 में वह व्यक्ति मर गयी थी जिनका मृत्यु प्रमाण-पत्र है और वर्ष 2013 में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उन्होंने पार्टनरशिप में हस्ताक्षर किया है । (शेम-शेम की आवाज) लिखित में शिकायत श्री देवेन्द्र सिंह गर्जर ने किया था जो आरोपीगण द्वारा छलपूर्वक, कूटरचित व फर्जी दस्तावेज बनाने तथा मृत व्यक्ति के हस्ताक्षर कर कूटरचित व फर्जी दस्तावेज किया है । मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या इस विषय में आदरणीय मंत्री जी जांच करके उचित कार्यवाही करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- गंभीरतापूर्वक जांच करेंगे, ऐसा बोलिये । उचित कार्यवाही कुछ नहीं होता है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर पूरी गंभीरतापूर्वक नियमों के अनुसार हम जांच करायेंगे ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद । माननीय धर्मजीत सिंह जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह अंतिम सत्र है । जांच करवायेंगे का कोई मतलब नहीं है, समयावधि बतायें तब मतलब है यानी सप्ताह भर या दस दिन । ऐसे आश्वासन का अब आखिरी सत्र में कोई मतलब नहीं है । समयावधि बतायें तब उसका अर्थ है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, यथाशीघ्र बोलिये ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समयावधि इसलिये नहीं बताया जा सकता है क्योंकि किस नेचर का प्रकरण है, अपराधी कौन है ।

अध्यक्ष महोदय :- उसके लिये नया शब्द है न यथाशीघ्र ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रिकॉर्ड कहां से लेना है, कहां जाना पड़ेगा, क्या जांच करनी पड़ेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- आप यथाशीघ्र बोल दीजिये न ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- यथाशीघ्र ।

अध्यक्ष महोदय :- बात खत्म हो गयी । धर्मजीत जी ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, अब बैठ जाईये । अब वह जांच हो जायेगी, यथाशीघ्र होगी । अब धर्मजीत जी आ रहे हैं ।

<u>लोक निर्माण विभाग अंतर्गत पुरानी एवं जर्जर सड़कों की मरम्म]त के नियम</u>

[लोक निर्माण]

3. (*क्र. 371) श्री धर्मजीत सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) लोक निर्माण विभाग अंतर्गत पुरानी एवं जर्जर सड़कों की मरम्मत किए जाने के क्या नियम हैं तथा कितने वर्षों के अंतराल में मरम्मत के प्रावधान हैं ? विवरण देवें? (ख) कंडिका "क" के नियमानुसार

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विधानसभा क्षेत्र लोरमी में विगत 03 वर्षों में कौन-कौन सी एवं पुरानी एवं जर्जर सड़कों में कितनी-कितनी लागत के मरम्मत के कार्य हुए हैं? विवरण देवें? (ग) कंडिका "ख" के क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़कें मरम्मत योग्य हैं एवं कौन-कौन सी सड़कें मरम्मत हेतु शासन स्तर पर लंबित हैं? विस्तृत विवरण देवें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) परफारमेंस अवधि में सड़कों का मरम्मत/सुधार अनुबंध द्वारा किया जाता है, तथा जो सड़कें पी.जी. अवधि में नहीं रहती उनका मरम्मत/संधारण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आबंटन की उपलब्धता अनुसार नियमानुसार कराया जाता है। 1. साधारण मरम्मत - उपलब्ध आबंटन अनुसार प्रतिवर्ष कराया जाता है, इसमें साधारण रखरखाव तथा पैचवर्क आता है। 2. सतह नवीनीकरण - प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में यदि आबंटन उपलब्ध हो तो आवश्यक होने पर सतह नवीनीकरण कराये जाने का प्रावधान है। 3. विषेश मरम्मत - आवश्यकतानुसार उपलब्ध आबंटन के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त कर कराया जाता है। 4. मजबूतीकरण - आवश्यकतानुसार बजट में मजबूतीकरण हेतु प्रस्तावित कर स्वीकृति प्राप्त की जाती है, एवं स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य कराया जाता है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र[2] ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र ‘‘ब‘‘ अनुसार है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने लोरमी विधानसभा की सड़कों के बारे में माननीय मंत्री जी से पूछा है । उन्होंने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है, मैंने उसका अध्ययन तो कर लिया है । मैं आपसे केवल एक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं, चूंकि मैंने पूछा था कि कंडिका (ख) के क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़क मरम्मत योग्य है और कौन-कौन सी सड़कें मरम्मत हेतु शासन स्तर पर लंबित हैं । आपने जो जवाब दिया है उसमें लिखा है कि मुंगेली-लोरमी मार्ग लंबाई 26.20 किलोमीटर और उसमें लोरमी विधानसभा के अंतर्गत 14.20 किलोमीटर यह बहुत ही मरम्मतयोग्य सड़क है, जर्जर, क्षतिग्रस्त है और इसके लिये शासनस्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है । यह लोरमी से मुंगेली जिले को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है जो कि पुरानी सड़क है और वह बहुत जर्जर है । उस सड़क में जब मैं भी जाता हूं तो बहुत लज्जा आती है और मैं समझता हूं कि आपके विभाग के खिलाफ भी अच्छी भावना और अच्छी बात कोई नहीं करता है । माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे केवल एक आग्रह है, मैं कोई नयी सड़क बनाने, बजट प्रावधान करने और दुनियाभर की बात नहीं कह रहा हूं । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप यह साढ़े 14- 15 किलोमीटर की सड़क को कब सरकारी कार्यवाही के प्रचलन से बाहर निकालकर धरातल पर पहंचायेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सड़क की ओर माननीय सदस्य ने ध्यानआकृष्ट किया है वह बजट में शामिल है । बजट में शामिल होने के बाद हमारा विभाग उसका

---

[2] परिशिष्ट "तीन"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्राक्कलन तैयार कर चुका है और अब प्रशासकीय स्वीकृति के लिये हम उसमें कार्यवाही कर रहे हैं, जैसे ही अनुमति मिलेगी । हम लोग तत्काल टेंडर और अन्य कार्यवाही कर देंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- अब तो धरातल पर आ चुका है, अब क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह जान रहा हूं कि बजट में है, प्रचलन में है । जैसे ही मिलेगा वैसे ही नहीं बल्कि मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार के पास बजट में प्रावधान है । सब कुछ प्रक्रिया पूरी हो गयी है तो उसे आप यह बोलिये न कि 15-20 दिनों के अंदर उसको हम क्लियर करा देंगे । आपके यहां तो विभाग में बहुत लेट-लतीफी होती है । चाहे वह आपका हो, चाहे फायनेंस में हो तो आप कृपा करके इस एक इकलौते रोड के लिये जो लोरमी विधानसभा को मुंगेली से जोड़ता है उसके लिये आप कृपा करके मुझे आश्वस्त कर दीजिये कि 15-20 दिन, एक महीना यानी कब होगा चूंकि बाद में तो कुछ हो नहीं पायेगा । बाद में तो आप स्वीकृति चाहेंगे तो भी नहीं दे पायेंगे, आचारसंहिता की घोषणा हो जायेगी ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग से जो कार्यवाही होनी है, वह हम पूरी करके तत्काल हम लोग वित्त को भेज रहे हैं जैसे ही आयेगी । अब वह चाहे 15 दिन में आये, 20 दिन में आये, महीने दिन में आये, वह आयेगी और हम लोग शुरू कर देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बृजमोहन अग्रवाल जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आखिरी है । मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जैसा-वैसा मत बोलिये । आप बोलिये न कि विधानसभा से निकलकर उन अधिकारियों को आदेशित करेंगे, थोड़ी देर के लिये उसको दुर्ग ग्रामीण विधानसभा की सड़क मानकर घोषणा कर दीजिये, वहां पर फोन कर दीजियेगा । वह बन जायेगा, हमारा भी जिला मुख्यालय से जोड़ने का अधिकार है और उस सड़क से बदनामी बहुत हो रही है, छोटी सी लंबाई की सड़क है, लोग गाली बकते हैं तो हमको लज्जा आती है, अब हम क्या करें । कार्यवाही नहीं हो रही है, उसको हम थोड़ी न बतायेंगे । उसको कोई मानता भी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका विधानसभा में प्रश्न आ गया है, अधिकारी लोग सुन रहे हैं, जल्दी कर देंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिये मेरा आपसे निवेदन है कि बाहर जाकर अधिकारियों को निर्देशित कर दीजियेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन अग्रवाल जी, आपका प्रश्न है। मूड नहीं है क्या?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रायपुर नगर निगम को विभिन्न मदों में प्राप्त राशि एवं कार्यों की वर्तमान स्थिति

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

4. (*क्र. 391) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर नगर निगम को 1 जनवरी, 2019 से 26 जून, 2023 तक राज्य शासन ने किन-किन कार्यों हेतु, कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई है ? वित्तीय वर्षवार, विधानसभावार जानकारी देवें ? **(ख)** कंडिका "क" के वर्षों में स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की गई ? कितने कार्य पूर्ण हैं ? कितने कार्य अपूर्ण हैं ? वर्षवार जानकारी देवें ? **(ग)** क्या रायपुर नगर निगम को केन्द्रीय योजनाओं के तहत भी राशि प्राप्त हुई है? यदि हां, तो किन-किन योजनाओं के तहत कंडिका "क" के वर्षों में कितनी-कितनी राशि, किन-किन कार्यों के लिए प्राप्त हुई है ? **(घ)** कंडिका "ग" के कितने कार्य पूर्ण हुए हैं व कितने अपूर्ण हैं ? वित्तीय वर्षवार, कार्यवार जानकारी देवें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क)से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले 4 सालों में रायपुर नगर निगम को कितना पैसा शासन के द्वारा दिया गया है? और जो पैसा दिया गया है, उसमें कितने काम स्वीकृत किये गये हैं और कितने काम पूरे हो गये हैं? कितने अधूरे हैं?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह 4 साल का पूरा एक साथ पूछा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप तो साढ़े 4 साल से हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 4 साल का नहीं, पूरा 5 साल का पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 9615 कार्य स्वीकृत हुए हैं और इसमें 1327 करोड़ 49 लाख 32 हजार रूपये के काम स्वीकृत हुए हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज धीमी गति से समाचार आ रहा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं आपको बता रहा हूं। अब 10 हजार काम हैं, उसमें से आप पूछ रहे हैं तो उसे आपको बताना तो पड़ेगा। पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें सालवार बता देता हूं। रायपुर उत्तर में वर्ष 2018-19 के 54 काम अपूर्ण हैं, जो प्रधानमंत्री आवास के हैं, बाकी काम जो स्वीकृत हैं, वे पूर्ण हो चुके हैं। उसी तरह रायपुर दक्षिण में वर्ष 2018-19 में 79 काम अपूर्ण हैं, जो प्रधानमंत्री आवास के ही हैं और रायपुर पश्चिम में इसी वर्ष के 70 काम अपूर्ण हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि रायपुर शहर राजधानी है। राजधानी में हम सब लोग रहते हैं, परंतु राजधानी की स्थिति बहुत खराब है। गड्ढों से भरा हुआ है,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

धूल से भरा हुआ है। बरसात में पानी भर जाता है। जिस काम के लिए पैसा देते हैं, उस काम में खर्च नहीं होता। उसका दुरूपयोग होता है और रायपुर में बढिया शासन चल रहा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो भाषण दे रहे हैं। ये प्रश्न पूछें तो मैं जवाब दूंगा। वे प्रश्न तो पूछे, मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरे 3 ही प्रश्न हैं। कुल कितने काम स्वीकृत किये गये? कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? कितने काम पूरे हो गये और कितने अधूरे हैं? मैं रायपुर शहर का ही प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- शिव जी, वे बिना कागज के पूछ रहे हैं, आप भी बिना कागज के उत्तर दे दीजिए न।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, मैंने दे तो दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- वे दूसरे के प्रश्न में बिना कागज के उत्तर देते हैं। लखमा जी भी दूसरे के प्रश्न में बिना कागज के उत्तर देते हैं। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- आज उन्हें संसदीय कार्य मंत्री जी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। टू और थ्री बैठे हैं, वन जवाब दे रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज आपने आई लव यू से शुरूआत की है।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिए आप दोनों के बीच में हो गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि रायपुर शहर के विकास के लिए जब से आपकी सरकार आयी है, तब से नगर-निगम को कितना पैसा स्वीकृत किया गया है? कितने काम स्वीकृत किये गये हैं? और उसमें कितने काम पूरे हो गये और कितने अधूरे हैं?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें एक बार बता चुका। 1327 करोड़ रूपया..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 1300 नहीं 130 है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वही तो बता रहा हूं। मैंने पहले आपको लाख में बताया। अब करोड़ में बता देता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह 130 करोड़ है। 1300 नहीं है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 1300 है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, 1300 नहीं है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- है ना जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अब तोला हिसाब-किताब नहीं करेला आवत होही तो मैं तोला हिसाब-किताब करे ला दे दूंहू।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह बता दीजिए कि किस-किस साल में कितना-कितना पैसा दिया 1300 करोड़ जो आप बोल रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हां, माननीय यह बता देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर उत्तर को..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उत्तर को नहीं होता।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं सभी का बता देता हूं न। एक साथ बता देता हूं। विधान सभा वाइज बता देता हूं। आपने विधान सभा वाइज पूछा है।

अध्यक्ष महोदय :- रायपुर शहर को कितने पैसे मिले? कितने का काम हुआ? कितना अधूरा है? इतना साफ है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वही बता रहा हूं। 1327 करोड़ 49 लाख और 32 हजार रूपये की राशि मिली है, जिसमें 9615 कार्य स्वीकृत हुए हैं। इसमें अधिकांश काम पूरे हो गये हैं । प्रधानमंत्री आवास के जो काम थे, उसका सर्वे इनके कार्यकाल में हुआ था, उस सर्वे में गलतियां थीं, इसलिए वह काम प्रारंभ नहीं हुआ । बाकी अधिकांश काम चालू हो गए हैं और अधिकांश काम पूरे हो गए हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा कि कितने काम स्वीकृत हुए और कितने काम पूर्ण हुए ? मेरे पास कॉपी है, जिसमें अधिकांश कामों में अपूर्ण लिखा हुआ है । रायपुर राजधानी, जिसमें हम लोग रहते हैं उस राजधानी की इतनी बुरी हालत पिछले साढ़े चार साल में हुई है । सड़कों के गड्ढों में लोग बेशरम के पेड़ लगा रहे हैं । आप पैसा दे रहे हैं, उन पैसों को लोग खा जा रहे हैं, वह पैसा लोगों की जेब में जा रहा है । रायपुर नगर निगम ऐसा नगर निगम है जहां मुगलिया शासन चल रहा है । जहां भूपेश बघेल जी का शासन नहीं चल रहा है और उस शासन में केवल भ्रष्टाचार चल रहा है । उनका राज चल रहा है, वे जैसा चाहे वैसा करें । जिसको ठेका देना हो दें । आपको मालूम है, इस विधान सभा में मैंने पूछा तो पता चला तेलीबांधा से लेकर वीआईपी रोड तक किए गए सौन्दर्यीकरण का टेंडर नहीं हुआ, वह जादू से बन गया । ढाई करोड़ के टेंडर को बीस-बीस लाख में किया गया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अब भाषण मत दीजिए ना, उसको हमने बनाया ही नहीं है । जिसको हमने किया ही नहीं उसके बारे में आप भाषण दे रहे हो । आप प्रश्न कीजिए तो मैं उसका जवाब दूंगा । आप प्रश्न कर लीजिए आपने तो भाषण देना शुरू कर दिया है । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस सड़क की बात कर रहे हैं वह नगर निगम ने बनाया ही नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- किसने बनाया ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- किसने बनाया ? हमको क्या मालूम (हंसी) ? हमने नहीं बनाया है, बता तो रहे हैं आपको ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- यह मंत्री का जवाब है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री का जवाब मेरे पास है । आपने कहा है कि हमने उसका टेंडर किया है, हमें एन.एच.आई. से परमीशन नहीं मिली और काम हो गया । तो जादू से काम होने लगा क्या ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये पिछले विधान सभा सत्र में इन्होंने पूछा था तो हमने बताया कि टेंडर किया गया था लेकिन उसकी अनुमति एन.एच.आई. से नहीं मिला तो हमने उस काम को निरस्त कर दिया तो हमने उस काम को कराया ही नहीं।

श्री अजय चन्द्राकर :- हरेली के दिन भूत मत बनाइस ओला ।

श्री रामकुमार यादव :- रायपुर के आड़ा-बाड़ा ला तुमन बनाए हो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- रायपुर शहर में इतनी anarchy हो रही है । काम नहीं हो रहे हैं । केवल एक मात्र काम भ्रष्टाचार का हो रहा है । चलिए, मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में पांचों बजट में यह घोषणा की या नहीं, कि शारदा चौक से तात्यापारा तक की सड़क बनाई जाएगी, वह कब तक बन जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धन्यवाद् ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा होगी और उसको हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग वाले करेंगे । उसकी प्रक्रिया चल रही है और यथाशीघ्र बन जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय :- पाण्डेय जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, आपको ध्यान होगा, ऐसा कोई सत्र नहीं होगा जिसमें मैंने उस सड़क की बात नहीं उठाई । उसके बाद भी मंत्री जी कहते हैं कि घोषणा की है तो बन जाएगी ।

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के खांसने पर)

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जाइए, मैं समझ गया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय पानी की व्यवस्था कर दी जाए, गुटखा गले में अटक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय :- कर रहे हैं, कर रहे हैं उसकी भी व्यवस्था ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- उनका गला क्यों नहीं अटकेगा । उनके क्षेत्र की सड़क नहीं बनेगी तो उनका गला अटकेगा ही । वे गुटखा के कारण नहीं खांस रहे हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बने के बाद सबके अटकत हे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, रायपुर शहर की इतनी बुरी हालत है । माननीय मंत्री जी, मुझे मालूम है रायपुर में आपकी नहीं चलती । रायपुर में आपकी भी नहीं चलती है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सबकी चलती है, सरकार की चलती है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं चलती है आपकी ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, मैं बता देता हूं । 15 सालों में तो इनके पुराने मंत्री से बनती नहीं थी । उन्होंने नहीं बनाया । 15 साल में अपनी सरकार में नहीं बना पाए । अब हमारी सरकार आई तो इन्होंने मांग की है । अध्यक्ष महोदय, वहां पर स्थिति यह है कि काम 6 करोड़ का है और मुआवजा 80 करोड़ का देना है । उसको देखकर किया जाएगा ना, उसकी प्रक्रिया चल रही है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसको बनाएंगे तो निश्चित रूप से पीडब्ल्यूडी विभाग उसको देख रहा है और उसका डीपीआर वगैरह बन रहा है । जैसे ही बन जाएगा उसके बाद कार्यवाही होगी । आप लोगों ने तो उसमें 15 साल कुछ किया ही नहीं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी, सदन में फिर से गलत जानकारी दे रहे हैं। उसको पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं देख रहा है, उसको नगर निगम देख रहा है । नगर निगम के माध्यम से एक पार्ट बन चुका है । मुआवजा देकर सड़क का चौड़ीकरण हो चुका है । उसका दूसरा पार्ट जो कि शारदा चौक से तात्यापारा रायपुर शहर का सबसे बड़ा बॉटल-नेक है । तात्यापारा से आगे का मुआवजा भी दिया जा चुका है । उसमें सरकार का पैसा नहीं लगना है, आपको लोन देना है और लोन की स्वीकृति करना है। मैंने बार-बार पत्र लिखा है, बार-बार कहा है, परंतु उसके बाद भी उस सड़क के लिए 40 करोड़ रूपए चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रूपये की घोषणा कर दी। वह सड़क कैसे बनेगी ? हम लोग सब रायपुर शहर में रहते हैं। मुझे इस बात का दुख, कष्ट है कि रायपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, यहां का विकास अवरूद्ध कर दिया गया है, यहां के लिए पैसे नहीं दिये जा रहे हैं और जो पैसे दिये जा रहे हैं उसमें स्वार्थपूर्ण बंटवारा हो रहा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो भाषण देना शुरू कर दिए। आप प्रश्न करिए ना, मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने रायपुर शहर को 15 साल बर्बाद किया। राजेश मूणत और इनका पटता नहीं है। इसलिए अभी चुनाव आ रहा है तो कह रहे हैं। यहां नेतागिरी कर रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने रायपुर शहर ही नहीं पूरे प्रदेश की शहरों को संवारा है। आपके समय में जो खराब स्थिति थी, उसको ठीक करने में हम लोगों को समय लगेगा, हम लोगों ने अच्छा काम किया है। हम लोग स्वच्छता के मामले में पूरे देश में लगातार तीन साल पहले नंबर पर आए हैं। इनको 15 साल में एक भी पुरस्कार नहीं मिला। हम लोग ओ.डी.एफ. प्लस

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में पूरे देश में पहले नंबर पर हैं। जो प्रधानमंत्री आवास बनता है, उसमें सबसे अच्छी गुणवत्ता का काम होता है, उसमें पूरे देश में पहले नंबर का पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रदेश को दिया है। हमारे प्रदेश को 4-4 नेशनल पुरस्कार मिला है। हम लोगों ने काम अच्छा किया है या इन लोगों ने काम अच्छा किया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नगरीय प्रशासन विभाग ने पूरे देश में सबसे अच्छा काम किया है। यहां पर उल्टा-सीधा भाषण देते हैं। आप प्रश्न करिए ना। यहां प्रश्न करने के लिए आए हैं, भाषण देने के लिए नहीं आए हैं। आप प्रश्न करिए, मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, यह पुरस्कार की बात कर रहे हैं, भाटापारा नगरपालिका को भी पुरस्कार मिला है। खाली नगरपालिका के अध्यक्ष का वार्ड घूम लीजिए, गंदगी के ढेर पड़े हैं। कैसे पुरस्कार ला रहे हैं, भगवान ही मालिक है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो रायपुर का लगा है। (व्यवधान) भाटापारा में गंदगी करने काम शिवरतन शर्मा ने किया है। (हंसी) पूरे भाटापारा को गंदगी करने का ठेका आपने ही लिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- सफाई करे बर तैं आ जा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं अगली बार आपकी सफाई करा ही दूंगा आप चिंता मत करिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अच्छे हैं, हम सब लोग खराब हैं। हम अपनी विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो आप क्यों खड़े हो रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं आपके विधानसभा क्षेत्र का जवाब दूंगा, आप बोलिए ना। मैं आपके विधानसभा क्षेत्र की हर सवाल का जवाब दूंगा, आप पूछिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं पूछ रहा हूं, आपने 9615 काम स्वीकृत किए तो उसमें कितने काम पूरे हो गये, कितने अधूरे हैं। चलिए बता दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 हजार सीटर महिला आजिविका केन्द्र प्रांरभ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उसकी क्या स्थिति है ? खाली घोषणाओं से कुछ नहीं होगा। मैंने दक्षिण विधानसभा के कौन-कौन से काम करवाने के लिए आपको पत्र लिखा है, उसमें कितने काम स्वीकृत हो गये और कितने काम अधूरे हैं, यह बता दीजिए। किसी प्रश्न का जवाब नहीं है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, पांच साल में कितने पत्र लिखे हैं, मुझे जवाब में पूछते तो मैं बता देता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हम सब रायपुर शहर में रहते हैं, रायपुर शहर राजधानी के अनुरूप विकसित हो। इसके लिए रायपुर शहर को जितना पैसा मिलना चाहिए, उतना पैसा नहीं मिल रहा है। मैं हर बार, हर बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी से एकाध मांग करता हूं, परंतु एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। एक सबसे बॉटल-नेक शारदा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चौक से तात्यापारा का चौड़ीकरण का मामला है, मैं उसके लिए हर बार बोलता हूं। परंतु वह स्वीकृत नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि यह चला-चली की बेला है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। तात्यापारा की सड़क पी.डब्ल्यू.डी. के बजट में सम्मिलित हो गया है और ए.एस. की प्रकिया प्रचलन में है। मैं आपको बोल रहा हूं, मतलब पढ़कर बोल रहा हूं, आप लोग थोड़ा समझा, देखा और पढ़ा करिए। कल बजट की पुस्तिका मिली है, उसको भी थोड़ा देख लीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माने आप थोड़ा बहुत अक्ल से बोलते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आजिविका केन्द्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, 1 हजार सीटर आजिविका केन्द्र की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उसमें टेंडर लगने वाला है, काम होगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मुझे उनकी ज्ञान की जरूरत नहीं है। वे बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में जो 10 करोड़ रूपये की घोषणा की है, वह कौन से विभाग से की है, जरा मुझे यह बता दीजिए। यह मेरे ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने 10 करोड़ रूपये की घोषणा की है, आप जरा इसको बता दीजिए। मंत्रीगण किसी की ज्ञान की परीक्षा ना लें, यह जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, यह उचित नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, हमको मालूम है। मैंने जिन बातों को पूछा है उसको तो बता नहीं पा रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हां, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है या किये हैं? ऐसा होगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप आदरसूचक शब्द कहिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोला ज्यादा हिंदी आथे। भैय्या, तैं विशेषज्ञ आदमी हरस तो तोर संग हमन थोड़ी न सक सकबो।

श्री शिवरतन शर्मा :- तैं तो सर्वज्ञानी हस गा।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- भैय्या, कौन किसका विशेषज्ञ है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वह हर विषय में विशेषज्ञ हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अमरजीत जी आपको अंग्रेजी में बताएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- डहरिया जी, मेरी बात सुनिये। क्या आप थोड़े विलंब से आये हैं?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप मेरी बात सुनिये। क्या आपने विधान सभा के अंदर थोड़े विलंब से प्रवेश किया है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नहीं, बृजमोहन अग्रवाल जी ने विलंब से प्रवेश किया है।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप शुरू से यहां बैठे हैं?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हां। मैंने तो आते ही आपको प्रणाम भी किया। पता नहीं क्यों? आप तो उधर ही देख रहे हैं। आप हम लोगों की तरफ तो देखते ही नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप मेरी बात तो सुनिये। आज चंद्राकर जी ने आई लव यू से शुरूआत की है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वह तो कुत्ते के लिए कहा है, मेरे लिए नहीं कहा है। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आप बृजमोहन अग्रवाल जी को संतुष्ट कर दीजिए। उन्हें ज्यादा कुछ नहीं पूछना है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, रायपुर शहर के विकास के लिए जितनी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, क्या आप उनको जल्द से जल्द पूरा करवा देंगे?

अध्यक्ष महोदय :- बस इतना सा सवाल है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, रायपुर शहर में पेयजल की भी बहुत बड़ी समस्या है। आपने पिछली बार इस विषय में मेरा ध्यानाकर्षण भी स्वीकृत किया था। मंत्री जी ने बता दिया कि 61,000 नलों में पानी आ गया है। अभी जब मैंने योजना समिति की बैठक में बात की तो मुझे बताया गया कि अभी 25,000 नलों में पानी नहीं आया है। यह जो राजधानी की स्थिति है तो मंत्री जी, राजधानी की स्थिति में सुधार हो, तेजी से काम हो, राजधानी विकसित हो, इसके लिए आप एक विशेष बैठक बुलाइये।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप राजधानी पर विशेष ध्यान दीजिए। बात समाप्त हो गई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यदि आप चाहे तो उस बैठक में मुझे भी बुला सकते हैं। क्या आप उस बैठक में इसकी समीक्षा करके सब कामों को पूरा करेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, जैसा वह चाहते हैं, आप यहां के विकास की एक बार समीक्षा कर लीजिए। इस बात को समाप्त कीजिए और प्रश्न को आगे बढ़ने दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप चिंता मत कीजिए। माननीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा, उसको हम करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आदेश होगा नहीं, है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मैंने मंत्री जी को आदेश दे दिया है और मंत्री जी ने आपको बता दिया है कि बैठक होगी तो आपको बुलाएंगे और समीक्षा करके उस पर बातचीत होगी। पाण्डे जी, क्या आपको प्रश्न नहीं पूछना है?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप निर्देश भी देंगे न तो भी पाण्डे जी के लिए बैठक नहीं होगी, इनके लिए भले हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, शैलेश पाण्डे जी।

<u>बिलासपुर नगर निगम सीमा अंतर्गत अवैध प्लाटिंग और अवैध कालोनियों के विरूद्ध कृत कार्यवाही</u>

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

5. (*क्र. 74) श्री शैलेश पांडे : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 1 जनवरी, 2021 से 30 जून, 2023 तक बिलासपुर नगर निगम सीमा में कितनी अवैध कालोनियों का निर्माण किया गया है? इन अवैध कालोनियों का निर्माण कब-कब हुआ है, जानकारी देवें। **(ख)** नगर निगम, बिलासपुर को उक्त इस अवधि में अवैध प्लाटिंग,जमीन कब्जा, बिना नक्शा के दुकान, मकान निर्माण की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? प्रत्येक शिकायतों पर की गई कार्रवाई की जानकारी देवें ? **(ग)** क्या कार्यवाही उपरांत भी उक्त स्थान पर निर्माण कार्य किया गया है? यदि हॉ तो यह किसकी जिम्मेदारी है और इस पर शासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2023 तक बिलासपुर नगर निगम सीमा में कुल 216 अवैध कॉलोनियों का निर्माण सूचना/शिकायत प्राप्त हुई है। अवैध कॉलोनियों का निर्माण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ"अनुसार है। (ख)** नगर निगम बिलासपुर को उक्त अवधि में अवैध प्लॉटिंग निर्माण की 66 शिकायत, जमीन कब्जा बिना नक्शा के दुकान, मकान निर्माण की 449 शिकायतें प्राप्त हुई है। शिकायतों पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"ब" और प्रपत्र-"स"अनुसार है। (ग)** कार्यवाही उपरांत उक्त स्थान पर निर्माण कार्य नहीं किया गया है।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से जो सवाल किया था, उसका माननीय मंत्री जी ने मुझे बहुत ही विस्तारित और अच्छे से जवाब दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप संतुष्ट हैं?

श्री शैलेश पाण्डे :- जी, मैं संतुष्ट हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। श्रीमती ममता चंद्राकर।

जिला कबीरधाम में श्रमिकों का पंजीयन

[श्रम]

6. (*क्र. 336) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2019 से जून, 2023 तक जिला कबीरधाम में श्रमिकों के पंजीयन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ?प्राप्त आवेदनों में कितने श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है और कितने बाकी हैं और क्यों तथा कितने श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिला? बतायें? **(ख)** प्रश्न 'क' के अंतर्गत प्रश्नांकित अवधि में श्रमिकों के प्रशिक्षण हेतु जिले को कितनी आबंटन राशि प्राप्त हुई है ?कितने श्रमिकों को किन-किन कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया? प्राप्त आबंटन राशि का व्यय किन-किन कार्यों में, कितना-कितना किया गया ? कितनी राशि शेष है? जानकारी बतायें?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जिला कबीरधाम अंतर्गत वर्ष 2019 से 30 जून 2023 तक छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीयन हेतु प्राप्त 36,968 आवेदनों का निराकरण कर पात्र 28,302 निर्माण श्रमिक तथा छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत पंजीयन हेतु प्राप्त 12,781 आवेदनों का निराकरण कर पात्र 7,305 असंगठित कर्मकार का पंजीयन किया गया है। उक्त दोनों मंडलों में लंबित आवेदन की जानकारी निरंक है। छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत श्रमिक पंजीयन हेतु आवेदन मंगाये जाने का प्रावधान नहीं है अपितु नियोजक द्वारा पोर्टल में ऑनलाइन श्रमिकों की जानकारी इंद्राज किये जाने पर श्रमिक स्वतः पंजीकृत हो जाते है। प्रश्नांकित अवधि में 315 संगठित श्रमिक पंजीकृत हुए हैं तथा लंबित की जानकारी निरंक है।प्रश्नांकित अवधि में छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत जिले में मंडल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से 40275 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों को तथा छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत जिले में मंडल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से 2236 पंजीकृत असंगठित कर्मकारों व उनके परिवार के सदस्यों को लाभांवित किया गया है। छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल द्वारा लाभांवित श्रमिकों की जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अंतर्गत प्रश्नांकित अवधि में छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के तहत जिला कबीरधाम को राशि रूपये 72,45,980/- का आबंटन प्रदाय किया गया है। मंडल में संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना अंतर्गत आर.पी.एल. प्रशिक्षण के तहत 210 निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को राजमिस्त्री ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया है, जिस पर राशि रूपये

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

5,07,150/- व्यय हुई, जिसका भुगतान छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर मुख्यालय से किया गया है। विवरण निम्नानुसार है :-

प्रशिक्षण शुल्क	परीक्षा शुल्क	मानदेय	योग
2,89,800	1,30,410	86,940	5,07,150

जिला कबीरधाम में मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना मद में प्रश्नांकित अवधि को आबंटित राशि रूपये 72,45,980/- एवं पूर्व में शेष राशि रूपये 97,049/- इस प्रकार कुल राशि रूपये 73,43,029/- शेष है।

श्रीमती ममता चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न श्रम विभाग से संबंधित है। मुझे प्रश्न का जवाब तो मिल गया है लेकिन मैं उसके भुगतान के संबंध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो 72 लाख रूपये का भुगतान हुआ है, उसमें आपने जवाब में 210 राजमिस्त्री का दिया है लेकिन ऑफिसियल डाटा 708 है।

अध्यक्ष महोदय :- आप क्या चाहती हैं?

श्रीमती ममता चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, जो गलत ढंग से राशि का भुगतान हुआ है, उसकी पूरी जानकारी लेकर गंभीरता से उस अधिकारी के विरूद्ध जांच करवाई जाए।

अध्यक्ष महोदय :- जी। मंत्री जी, उसकी जांच करवा दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जी, अध्यक्ष महोदय। उसकी जांच करवा देंगे।

श्रीमती ममता चंद्राकर :- धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या-7। रजनीश कुमार सिंह जी।

खाद्य निरीक्षकों के विरूद्ध जांच

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

7. (*क्र. 376) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी, 2020 से जून, 2023 तक खाद्य विभाग में खाद्य निरीक्षक एवं इससे उच्च पद पर पदस्थ किन-किन अधिकारियों को निलंबित/बर्खास्त, कब, क्यों व किसकी जांच के आधार पर किया गया है? अधिकारीवार एवं कारणवार जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका "क" अनुसार निलंबित किन-किन अधिकारियों को कितने दिनों पश्चात् बहाल किया गया है व किन-किन को कितनी अवधि पश्चात् भी बहाल नही किया गया है? **(ग)** कंडिका "क" अनुसार अधिकारियों के संवर्ग में किन-किन अधिकारियों के विरूद्व कब से,किस कारण विभागीय जांच, ईओडब्लू, एसीबी, लोक आयोग व केन्द्रीय एजेंसियों के द्वारा जांच की जा रही है? अधिकारीवार एवं एजेंसीवार जानकारी देवें?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) प्रश्नांक "क" की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"**[3] अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांक "ख" की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। **(ग)** प्रश्नांक "ग" की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि जनवरी, 2020 से जून, 2023 तक कितने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है? मेरे प्रश्न में माननीय मंत्री जी का जवाब आया है लेकिन मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मार्च के बजट सत्र में पी.डी.एस. में लगभग 400 करोड़ रूपये से अधिक की राशि का राशन कम होने का उल्लेख हुआ था तो मेरे पास जो 23 नाम आये हैं, उसमें केवल 3-4 अधिकारियों के ही नाम हैं कि लापरवाही के कारण, अतियमितता के कारण। मुझे उसका विस्तार से कारण नहीं बताया गया है। क्या उन दुकानों में ऐसे लोग शामिल हैं, जिनको कम राशन मिला है और क्या उसमें केवल 4-5 लोग ही शामिल हैं? आप यह बताने की कृपा करें।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का उत्तर उनको मिल गया है । उसके बाद वे अधिकारियों की बहाली और सत्यापन के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं तो पी.डी.एस. स्टॉक के सत्यापन के बारे में कार्य में लापरवाही बरतने के कारण जिनको सस्पेंड किया गया है, उनका भी नाम दिया गया है और किनको रि-स्टेट किया गया है, किनको नहीं किया गया है, आप परिपत्र देखेंगे तो जनवरी, 2020 से जून, 2023 तक जिन खाद्य निरीक्षक एवं उच्च पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है, उनकी लिस्ट परिशिष्ट में लगी हुई है और जिनको रि-स्टेट किया गया है, उनके बारे में भी लिस्ट लगी हुई है । अब किसी मामलें में कोई स्पेशिफिक प्रश्न हो तो बताईए ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि पी.डी.एस. की राशन दुकानों में चांवल की कमी हैं तो वहां के लिए भी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है क्या ? क्योंकि इसमें कुल 23 नाम हैं और 12-15 नाम में अलग-अलग कारण दिया गया है । 4-5 अधिकारियों के नाम है, जिसमें सिर्फ लापरवाही और अनियमितता की बात की गई है तो लापरवाही और अनियमितता क्या है ? पूरे प्रदेश की पी.डी.एस. सिस्टम के चावल में जो कमी आई है तो क्या सिर्फ 4-5 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है क्या ? बस यह जानना चाहता हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पी.डी.एस. के स्टॉक और सत्यापन के प्रकरण में कार्य में लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर, मुंगेली के प्रस्ताव के आधार पर श्री प्रफुल्ल पाण्डे, सहायक खाद्य अधिकारी, मुंगेली को संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति द्वारा दिनांक 18.11.22 को निलंबित किया गया तथा जारी आरोप-पत्र के संबंध में उनका जवाब समाधानात्मक कारक पाये जाने पर

[3] परिशिष्ट "चार"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उन्हें संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति द्वारा 15.5.2023 को आदेश जारी कर निलंबन से बहाल किया गया । इसमें बहुत सारे केस हैं । कोई स्पेशिफिक केस होगा और आप उसके बारे में पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, नहीं तो परिशिष्ट में जानकारी दी गई है, आप अध्ययन कर लीजिए ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा स्पेशिफिक प्रश्न कुछ नहीं है । मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि छत्तीसगढ़ में इतने बड़े पी.डी.एस. सिस्टम में 400 करोड़ रूपए से अधिक राशन की कमी आई और सिर्फ 1-2 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है । इसमें मैं दूसरा प्रश्न कर लेता हूं कि निलंबन के पश्चात् विभागीय जांच कितने दिन में पूर्ण होने चाहिए और कितने दिन में बहाल करने का नियम है ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अधिनियम, 1966 में नियम 9 के अंतर्गत नियोक्ता को उसके अधीन कार्यरत् कर्मचारियों को निलंबन और बहाल करने का अधिकार उनको है । अगर 90 दिन में उनका आरोप-पत्र जारी हो जाता है और जवाब संतोषप्रद रहने पर उनको रि-स्टेट करने का प्रावधान है ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि 90 दिन का प्रावधान है, पर इसमें जो सूची दी गई है, उसमें कोई अधिकारी का 400 दिन से बहाल नहीं हुआ है, किसी अधिकारी की बहाली 300 दिन में नहीं हुई हैं और कई अधिकारी 20-21 दिन में बहाल हो गए हैं तो यह कौन से नियम में है कि वे 20-21 दिन में बहाल हो गए और 400 दिन वाला अधिकारी अभी तक बहाल नहीं हुआ है तो क्या इसकी जांच करवाकर इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही बताया कि परिशिष्ट में लिस्ट लगी हुई है । अगर आप स्पेशिफिक केस के बारे में कहेंगे तो कितने लोग बहाल के लिए अभी शेष हैं, जो नेचर ऑफ केस रहता है । किसी के ऊपर आपराधिक केस चलता है, किसी के ऊपर केस को जो सरकमटैंस है, उसका प्रकार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह सरकार महात्मा गांधी की सिफारिश पर बहाल और अपराध को तय करती है । महात्मा गांधी की सिफारिश पर 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन बहाली होती है और 3-4 प्रकार से निर्धारित होता है । सिर्फ महात्मा गांधी की सिफारिश पर करते हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर उसको समय-सीमा पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उसका जवाब नहीं आया । उनका जवाब आने के बाद उनको संतोषप्रद पाये जाने पर बहाल किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, बहाल करने के लिए लक्ष्मी का स्त्रोत निर्धारित है न ।

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह जी, आप अपना प्रश्न करिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आजकल गुलाबी गांधी बैन हो गया है, वह लक्ष्मी स्त्रोत है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें तो दो दिन में बिना महात्मा गांधी वाले का अप्रोच चलता है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज़, प्लीज़ । आप बैठिए ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जिनका विस्तार से बचा हुआ है, वह किन कारणों से बचा हुआ है, आप कहेंगे तो मैं बताने के लिए तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं बताना है । आप सौरभ सिंह जी के प्रश्न का उत्तर तैयार करिए । सौरभ सिंह जी प्रश्न पूछेंगे । मैं माननीय मंत्रिगणों से यह निवेदन करूंगा कि प्रश्न के समय कम से कम कान में जो हेडफोन लगाते हैं, वह लगा लें, ताकि माननीय सदस्य जो असली प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, वह समझ में आ जाये । यहां हल्ला होता रहता है और आप लोगों को समझ में नहीं आता, उत्तर कुछ अलग देते हैं । (मेजों की थपथपाहट)

<u>खाद्यान्न योजना में हुई अनियमितता पर कार्यवाही</u>

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

8. (*क्र. 354) डॉ. रमन सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या माननीय मंत्री जी द्वारा विभाग के खाद्यान्न योजना में पूर्व में हुई अनियमितता के संबंध में 24 मार्च, 2023 तक रिपोर्ट आने के उपरांत जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था? इस संबंध में किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? विवरण प्रदान करें? **(ख)** प्रदेश की 13,333 दुकानों में से कितनी दुकानों में अनियमितता पाई गई एवं अनियमितता पाई गई दुकानों में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :(क) उचित मूल्य दुकानों के माह सितंबर 2022 के बचत स्टॉक के सत्यापन उपरांत स्टॉक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही का माननीय मंत्री जी द्वारा विधानसभा के बजट सत्र 2022-23 में आश्वासन दिया गया था। माह सितम्बर 2022 में उचित मूल्य दुकानों के बचत स्टॉक के सत्यापन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में 34 याचिकाएं दायर हुई है, जिसमें अंतिम न्यायालयीन निर्णय उपरांत ही स्टॉक वितरण में नियमितता की सही मात्रा तथा इस हेतु दोषी व्यक्तियों की अंतिम संख्या का निर्धारण संभव हो सकेगा। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)**प्रश्नांश "क" की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सितम्बर 2022 में राशन दुकानों के बारे में यह शिकायत हुई कि जो अतिरिक्त राशन था, जो कोटा एलाट होकर चला गया था, वह राशन नहीं मिल रहा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है। अतिरिक्त राशन, राशन दुकानों में है। उसकी जांच हुई और जांच के बाद 24 मार्च, 2023 को माननीय मंत्री जी ने घोषणा किया था कि किस-किस राशन दुकानों में कितना राशन कम था, और कितना अतिरिक्त कोटा एलाट हो गया था, उसकी पूरी जानकारी देंगे। 24 मार्च, 2023 को सत्रावसान हो गया। अब माननीय मंत्री जी उस बात की जवाबदारी नहीं दे रहे हैं और कोर्ट का हवाला देकर बता रहे हैं कि मामला कोर्ट में लंबित है। परन्तु बहुत सारी ऐसी राशन दुकानें हैं, जहां संचालकों ने पैसा भी जमा किया और राशन भी जमा किया। माननीय रजनीश जी जिस मूल बात को पूछ रहे थे।

अध्यक्ष महोदय :- आप क्या पूछ रहे हैं ? रजनीश जी की बात छोड़िये। आप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि जिन राशन दुकानों में गड़बड़ी पाई गई और उन्होंने स्वीकार किया कि गड़बड़ी है तो ही राशन जमा कराया या पैसा जमा कराया। वहां पर जितने भी अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई ? जो इनका फार्मूला है, m-,m2+m3 जो इनका कोटा निर्धारित है उस कोटे के निर्धारण के आधार पर जिस अधिकारी ने ऑनलाईन परमिशन दिया कि अतिरिक्त कोटा दिया जाए उस अधिकारी के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की गई, यही रजनीश जी का प्रश्न है और यही हमारा प्रश्न है। आपने उन अधिकारियों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की गई ? जहां उन्होंने स्वीकार कर लिया कि गलत हुआ था तो उन लोगों ने जमा कर दिया। जब स्वीकार कर लिये तो वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, 20-22 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई ?

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, रजनीश सिंह जी का अलग प्रश्न था यह डाक्टर रमन सिंह जी का प्रश्न है, जिसको आप पूछ रहे हैं, उन्होंने आपको अधिकृत किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये सबको कोर्ट-कोर्ट कहकर टाल रहे हैं। उन लोग दूसरे मामलें में कोर्ट गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- तो आप उनको समझा दीजिये कि कौन से मामलें में गये हैं और कौन से मामलें में नहीं गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी जिसमें स्वीकार हुआ है, आप उसी में उत्तर दिलवा दीजिये, हम उसी में मान लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मैं बोल रहा हूं, आप उनको प्रश्न करने दीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- मानीय अध्यक्ष महोदय, इशारा कहीं पर और निशाना कहीं पर है। ये किस प्रश्न का जवाब मांग रहे हैं, पहले वह स्पष्ट हो जाए। सदस्य डॉ. रमन सिंह जी के प्रश्न का जवाब मांग रहे हैं या रजनीश सिंह जी के प्रश्न का जवाब मांग रहे हैं। अगर रमन सिंह जी का प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका जवाब बताऊं, अगर रजनीश सिंह जी का प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनका जवाब बताऊ ?

अध्यक्ष महोदय :- वह डॉ. रमन सिंह जी के प्रश्न उत्तर मांग रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- उनका उत्तर दूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- हां, मगर वह यहां नहीं हैं, आप कहां पहुंचाने जाओगे ? सौरभ सिंह जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वह रमन सिंह जी का प्रश्न पूछ रहे हैं और वह अधिकृत हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अजय चन्द्राकर :- हम लोग ऐसी स्टाइल बहुत किए हैं।

श्री अमरजीत भगत :- हां, क्यों नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- सब आप ही से तो सीखे हैं, महाराज।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- और पन्ना पलट लो।

श्री अमरजीत भगत :- मैं एकदम बता रहा हूं। आप निश्चिंत होकर सुनिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कितना भी टालो, अभी 7 मिनट बाकी है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- नहीं तो I love you कहकर नक्की करो।

अध्यक्ष महोदय :- चलो छोड़ो। जल्दी करिये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सितम्बर, 2022 में उचित मूल्य दुकानों का सत्यापन कराया था। सत्यापन उपरान्त स्टाक में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धितों के विरूद्ध कार्यवाही करने की घोषणा की थी। 2022-23 के बजट सत्र में आश्वासन दिया था, जिसमें माह सितम्बर 2022 में उचित मूल्य दुकानों के बचत स्टॉक के सत्यापन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में 34 याचिकाएं दायर हुई हैं, जिसमें अंतिम न्यायालयीन निर्णय उपरांत ही स्टॉक वितरण में नियमितता की सही मात्रा तथा इस हेतु दोषी व्यक्तियों की अंतिम संख्या का निर्धारण संभव हो सकेगा। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। इसके बाद भी (श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य द्वारा प्रश्न पूछने हेतु खड़े होने पर) आप पहले मेरा उत्तर सुन लीजिये, मेरा उत्तर सुन लीजिये। पहले प्रश्न आया है, पहले जवाब तो सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- इसमें सुनने का क्या है, वह तो प्रश्नोत्तरी में जवाब दिया हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह समय काट रहे हैं, उत्तर थोड़ी ही दे रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ; रमन सिंह जी ने केन्द्र सरकार को 2 पत्र लिखा। उस पत्र के आधार पर कमेटी आई और उसने जांच की और सब शिकायत को निराधार पाया।

श्री धरम लाल कौशिक :- जो लिखा हुआ है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- फिर एक और चिट्ठी लिखे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पुराने नेता जी, पहले सुन लीजिये, फिर बोलियेगा।

श्री अमरजीत भगत :- उन्होंने एक और चिट्ठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लेकर लिखा था। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरम लाल कौशिक :- यह 5100 करोड़ रूपये के चावल का घोटाला है। ये हाईकोर्ट का नाम ले रहे हैं। 5100 करोड़ का घोटाला है, जिसके जवाब से बचना चाहते हैं। मैं उस पर प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- सरकार को बदनाम करने के लिये इस प्रकार की चिट्ठी लिख रहे हैं । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- 5100 करोड़ का घोटाला ...।(व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- अगर रमनसिंह का चिट्ठी बोलेंगे तो पढ़कर सुना देता हूँ । उसका जांच तक नहीं हुआ है ..। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- Honourable Speaker Sir, What action has been taken on the government. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- माननीय मंत्री जी घोटाला के बारे में बताना चाह रहे हैं..। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, एक मिनट । मूल प्रश्न यह है, उनका हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको दूंगा ना । व्यवधान

श्री अजय चन्द्राकर :- मूल प्रश्न के बारे में कुछ बोल रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री अमरजीत भगत :- ...प्रकरण का निराकरण किया (व्यवधान) ...। प्रकरण का जांच कराया, उसका निराकरण भी किया ...। (व्यवधान) कोर्ट के आदेश के ऊपर...। (व्यवधान) कोर्ट के आदेश के ऊपर यह चर्चा करना चाहते हैं ..(व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, यह ठीक नहीं है । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- Speaker Sir, It is my request, Let him answer my question. व्यवधान

श्री नारायण चंदेल :- यहां हंसी मजाक चल रहा है । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- What action has taken....। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो सुनने में क्या तकलीफ हो रही है । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- आप जवाब दीजिए ना । न आपने अधिकारी के ऊपर क्या कार्यवाही की है । पाईन्टली आन्सर दीजिए । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- क्या निष्कर्ष निकला । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- What action has taken by government officer ? आपने किस अधिकारी के ऊपर क्या कार्यवाही की...(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ...। व्यवधान

श्री अमरजीत भगत :- आपने चिट्ठी लिखा था, जैसे रमन सिंह जी चिट्ठी लिखे थे । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह :- जहां पर कमी पाई गई...। (व्यवधान)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- पहले सुनो, उसके बाद बात करना । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि इसमें गोलमाल है । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- क्या गोलमाल है, पहले अपनी मानसिकता साफ करो...। 22 महीना का चावल आता है तो 10 महीने के चावल की शिकायत करते हैं । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब दीजिए । 5000 करोड़ रूपया का घोटाला हुआ है । आप बताओ ना, क्या कार्यवाही कर रहे हो । यह सदन जानना चाहता है, प्रदेश की जनता जानना चाहती है । आप गोल-गोल जवाब दे रहे हो ।

श्री अमरजीत भगत :- गरीब कल्याण का 28 महीना से चावल नहीं आया है आप...। (व्यवधान)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- गोलमाल रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में होता था । (व्यवधान)

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- सीधे-सीधे जवाब दे मंत्री जी । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- चावल की अफरा-तफरी अनियमितता के बारे में सेंट्रल से टीम आई । सेंट्रल ने जांच किया । उसमें कुछ नहीं पाया है । पहला चिट्ठी है, इसमें कहां से घोटाला हुआ है । दूसरा, प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण का जो 58 महीना का चावल आया उसमें 35 महीने के लिये उसमें शिकायत किये हैं, जांच को ठंडा बस्ता में डाल दिया, आपकी चिट्ठी का यह हश्र हुआ है, केन्द्र में आपकी सरकार है ना, ...।(व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- चावल जमा हुआ है ना, जहां पर चावल जमा हुआ था, किस अधिकारी के ऊपर आप कार्यवाही किये हैं, पैसा जमा हुआ है, उन अधिकारियों पर आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं । चिट्ठी की बात आप क्या कर रहे हैं, किस अधिकारी के ऊपर आप कार्यवाही...(व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- आपकी सरकार जांच कर रही है...। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आपके द्वारा केन्द्र को चिट्ठी लिखने से पूरे प्रदेश के ...। (व्यवधान)

समय
1.59 बजे

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(श्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया ना । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- यह सरकार भ्रष्ट्राचारियों को संरक्षण दे रही है...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चंदन कश्यप, जल्दी बोलो ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खाद्यान्न व अन्य सामग्री वितरण में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

9. (*क्र. 416) श्री चंदन कश्यप : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के जिला नारायणपुर, बस्तर एवं कोण्डागांव में 01 जनवरी, 2021 से दिनांक 01 जून, 2023 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न व अन्य सामग्री की अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और इन शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? जिलेवार विस्तृत जानकारी देवें? **(ख)** अनियमितता के आधार पर कितने तथा कौन-कौन से राशन दुकानों को निरस्त किया गया और इन दुकानों को कहां-कहां संलग्न किया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) प्रश्नांकित अवधि में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न व अन्य सामग्री की अनियमितता की जिला बस्तर में 06 तथा कोण्डागांव में 04 शिकायतें प्राप्त हुई । जिला नारायणपुर में उक्त अवधि में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अनियमितता की शिकायत एवं की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न[4] प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** अनियमितता के आधार पर जिला बस्तर में 01 उचित मूल्य दुकान कुंगारपाल (गुमगा) तथा जिला कोण्डागांव में 01 उचित मूल्य की दुकान, रानापाल के आंबटन को निरस्त किया गया। निरस्त एवं निलंबित दुकानों के संलग्नीकरण एवं आबंटन की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

श्री चंदन कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरा निवेदन है कि जिन स्थानों पर शिकायत हुई है, वहां जांच कराने का कष्ट करें ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

[4] परिशिष्ट "पाँच"

समय:

12.00 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(1) छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022 पटल पर रखता हूं।

(2) वर्ष 2022-2023 के बजट की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं अंतिम तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2022-2023 के बजट की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं अंतिम तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखता हूं।

(3) छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2020-21

लोक निर्माण मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, कंपनी अधिनियम, 2013, (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2020-21 पटल पर रखता हूं।

(4) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

सहकारी मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पटल पर रखता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(5) परिवहन विभाग की अधिसूचनाएं :-

(i) एफ 5-7/आठ-परि./2023, दिनांक 23 मार्च, 2023 तथा

(ii) एफ 5-7/आठ-परि./2023, दिनांक 10 अप्रैल, 2023

परिवहन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :-

(i) एफ 5-7/आठ-परि./2023, दिनांक 23 मार्च, 2023 तथा

(ii) एफ 5-7/आठ-परि./2023, दिनांक 10 अप्रैल, 2023, पटल पर रखता हूं।

(6) छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखता हूं।

(7) छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के नियम 9 के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/खाद्य/29-2, दिनांक 1 सितंबर 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के नियम 9 के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखता हूं।

(8) राज्य आयुक्त दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य आयुक्त दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखती हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(9) छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-21

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-21 पटल पर रखती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं जिस माननीय सदस्य को अनुमति दूंगा, वही अपनी बात को रख पायेंगे। शून्यकाल की सूचनाएं।

पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि कबीर पंथ का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। पिछले 20-25 दिनों से लगातार एक घटना घटित हो रही है जिससे पूरे देश के और छत्तीसगढ़ के कबीरपंथी उद्वेलित है। पंथ श्री प्रकाश मुनि साहब के नाम से फर्जी आई.डी. बनाकर और उसमें गुरू माता की डी.पी. लगाकर के लगातार अश्लील पोस्ट डाले जा रहे हैं। प्रदेश में कई स्थानों पर कबीर पंथियों ने थानों में जाकर इसकी रिपोर्ट लिखाई है। दुर्भाग्य की बात है कि रिपोर्ट को लिखाए 15 दिन से ऊपर हो गये हैं। राजधानी में भी 12 जलाई को रिपोर्ट लिखाई गयी है। आपने एफ.आई.आर. तो कर ली लेकिन एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फर्जी आई.डी. किसने बनाई है उसको पकड़ने में पुलिस और सरकार अभी तक सफल नहीं हुई है और इसके चलते पूरे देश के कबीर पंथी उद्वेलित है। इस विषय पर हम लोगों ने अपना ध्यानाकर्षण दिया है। इस प्रकार का गंभीर मामला है। प्रकाश मुनि नाम साहेब और गुरू माता की डी.पी. लगायी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है। प्रकाश मुनि साहेब, उनका पूरे देश और विश्व में सम्मान है और उनकी आई.डी. को चोरी करकर, उसमें फर्जी रूप से अश्लील बातें डालीं जाएं और छत्तीसगढ़ शासन नींद में सोया रहे। यह दुर्भाग्यजनक है। इससे पूरे देश के कबीरपंथ के लोग नाराज़, आहत हैं और इस विषय में आपको सूचना दी है। आप इसमें चर्चा करवाएं और शासन को निर्देश दें कि शासन इसके ऊपर तुरंत कार्यवाही करें और जो भी दोषी लोग हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कार्यवाही की जाए। इसके ऊपर में माननीय गृहमंत्री जी का वक्तव्य आना चाहिए क्योंकि अगर पूरे प्रदेश, देश में कबीरपंथ के लोग सड़कों पर उतरेंगे तो कानून-व्यवस्था की स्थिति आ जाएगी। 15 दिनों के बाद भी कार्यवाही नहीं की गई है तो इस प्रदेश में शासन-प्रशासन नाम की कोई चीज है या नहीं है? जरा आप इसे देख लें। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर इसमें शासन का वक्तव्य आ जाये तो यह ज्यादा औचित्यपूर्ण होगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्री जी का वक्तव्य आ जाये तो ज्यादा औचित्यपूर्ण होगा।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद):- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा जिस दिन शुरू हुई उस दिन एक लज्जाजनक अच्छी बुरी घटना घटी। उसके दूसरे दिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने बैठक ली और साईबर क्राईम में भी जिन लोग किया हों, उसको भी दण्डित किया जायेगा, जो उसको फैलाएंगे। इतने लोग दिल्ली के रेल विभाग में है इतने लोग हैं 15 मिनट की बैठक में वह सारी चीजें तय हो गईं। यह माननीय प्रकाश मुनि ना साहब के अपमान की पहली घटना नहीं है।

(माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर जी द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को कॉपी दिखाने पर)

अध्यक्ष महोदय :- आप मुझे मत दिखाईये। आप सीधे मुख्यमंत्री जी को दे दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है। हम आपको यह दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कह रहा हूँ। मैं आपको आदेशित कर रहा हूँ कि उस कॉपी को सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात एक मिनट सुन तो लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप माननीय मुख्यमंत्री जी को उस कॉपी को दे दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आप मेरी बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैं जो कह रहा हूँ वह तो आप मानिए। उसकी कॉपी दे दीजिए। उसके बाद कहते रहिए। आप अपनी बात कहिए, आपको किसी ने मना नहीं किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि आपने घोषणा की तो साईबर थाने भी बन गये। प्रकाश मुनि नाम साहब धर्म क्षेत्र के एक बड़े हस्ताक्षर हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका अपमान यह पहली बार नहीं हुआ है उनके घर, आश्रम में कब्जा करने की कोशिश हुई। अब गुरू माता जी की डी.पी. लगाकर एक अशलील फोटो लगातार चल रहे हैं। फिर सरकार किस चीज में सफल है ? फिर हम लोगों को निर्वस्त्र दौड़ना पड़ेगा तब यह सरकार जागेगी और 15 मिनट में सी.एस. बैठक लेंगे। अपमान की पराकाष्ठा होगी तब यह सरकार जागेगी और तब तक सोती रहेगी। यहां लोग किस हद तक गिर जायें, उसके बाद यह गृहमंत्री जी और यह सरकार जागेगी। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वयं गृहमंत्री जी कबीरपंथी हैं। माननीय मंत्री जी आप भी कबीरपंथी हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि वह नहीं है तो कार्यवाही हो जाती है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कबीरपंथ के गुरू का अपमान हो रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी बात को कहने और होने दोनों में अंतर है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार सोई हुई है। सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? 15 दिनों से सरकार सोई हुई है अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ? और लगातार अश्लील डी.पी. डाली जा रही है। स्टेटस डाला जा रहा है और सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप वक्तव्य दिलवाते हैं तो मूल घटना में वक्तव्य नहीं आता। पुलिस ने ऐसा किया, पुलिस ने वैसा किया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहली घटना नहीं है। रायपुर आश्रम में...।

अध्यक्ष महोदय :- आप देखिए, दूसरी घटना में मत जाईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर के आश्रम में कब्जा कर लिया गया। लगातार कबीरपंथ को अपमानित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी आप देख लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, शिवरतन जी और बृजमोहन जी हम लोग आश्रम में गये थे।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पूरा गंभीर हूँ। आपकी बातों में मैं शून्यकाल में भी माननीय मंत्री जी से पूछ रहा हूँ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात बताना चाहूंगा कि आपके नाम (डॉ. चरणदास महंत) से फेसग्रुप में भी ऐसी चल रहा है। मैं बोलेंगे तो मैं आपको यह दिखा दूंगा। इस प्रकार से जो अपराध हो रहे हैं उसको बंद करवा दीजिए। आपके नाम से भी अश्लील वीडियो .....। मैं आपके कक्ष में लाकर दिखा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आपको धन्यवाद्।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो और गंभीर मामला हो गया। एक मामले की रिपोर्ट लिखाए तो कुछ हुआ नहीं है। आपके उसमें चल रहा है प्रमोद शर्मा जी आपको दिखा रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नाम से भी एक ग्रुप बना हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे नाम से भी ग्रुप चल रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वही बता रहे हैं। यह तो और गंभीर हो गया।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास है। मैं आपको कक्ष में आकर दिखा दूंगा, आप इस पर कार्यवाही करवाईये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर इस प्रदेश में पुलिस है क्या ? इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति कहां है ? पुलिस अपनी ड्यूटी में कहां है, वह तो दूसरे काम में लग गयी हैं। इससे इस प्रदेश की क्या स्थिति हो रही है। इस प्रदेश में कितनी भी बड़ी घटना हो जाए तो माननीय गृहमंत्री जी का एक वक्तव्य नहीं आता। वह मौन साधे हुए हैं। पूरे प्रदेश में यह स्थिति है।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा कॉपी दिखाने पर)

अध्यक्ष महोदय :- कृपया ऐसा नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता। आप यह नहीं कर सकते हैं। यह गलत बात है। आप ऐसा नहीं कर सकते।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अपमान की पराकाष्ठा है। माननीय मुख्यमंत्री जी (व्यवधान) कोशिश है। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- इसलिए तो मैंने इनको सीधे मंत्री जी को भेज दिया।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से लगातार फर्जी काम हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं गंभीर विषय समझकर ही उनको भेजा हूं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकाशमुनि नाम साहेब का पूरे देश के अंदर मान, सम्मान है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। यह क्या चल रहा है?

श्री धरमलाल कौशिक :- इतनी बड़ी घटना घट गई, प्रदर्शन हुआ लेकिन माननीय मंत्री जी का एक लाईन का बयान नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, इसमें आप जांच करायेंगे, बयान देंगे, यह बता दीजिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हो क्या रहा है?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन ये बात सार्वजनिक हुई, जानकारी में आई है, तत्काल कबीरपंथ के लोगों ने आकर साइबर में रिपोर्ट की है और इसकी जांच प्रक्रिया चल रही है। हम लोग जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। लेकिन कबीरपंथी होने के नाते जैसा कि यह लोग अश्लील फोटो सदन में दिखा रहे हैं, यह हमारे पंथ का, गुरूदेव का सबसे ज्यादा अपमान कर रहे हैं। (शेम-शेम की आवाज) यह बात बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम लोग भी कबीरपंथी हैं। .. (व्यवधान)

श्री ताम्रध्वज साहू :- यह जो कबीरपंथ की बात कर रहे हैं, ..(व्यवधान). . राजनीतिक रोटी सेंकना चाहते हैं। .. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(12.11 से 12.23 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :
12.23 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)**

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, आपको निर्देश देना चाहिए कि देश के और विश्व के कबीर पंथ के गुरू प्रकाशमुनि साहेब का जिस प्रकार की अश्लील आई.डी बनाकर वायरल किया जा रहा है। सरकार का वक्तव्य आना चाहिए और सरकार को यह commitment करना चाहिए कि अगले एक दिन में, 24 घंटे में हम ऐसा करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह प्रदेश में मामला बहुत बढ़ेगा। हमारे प्रमोद शर्मा जी ने तो बताया कि विधान सभा अध्यक्ष जी का भी वीडियो इस प्रकार का अनर्गल चल रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यजनक है।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष होदय, पहले तो वह यह बतायें कि जो हमारे गुरू प्रकाशमुनि साहब हैं, उनके नाम से इस तरह का अश्लील फोटो लेकर क्यों घूम रहे हैं? लोगों को दिखा रहे हैं। ये क्या बात करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, चंदेल साहब ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में प्रकाशमुनि साहेब के नाम से फर्जी आई.डी. बनी है और अश्लील पोस्ट लगातार डाली जा रही है। दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि 15 दिन के अंदर सरकार अपराधियों को पकड़ने में असफल रही है। पूरे कबीर पंथी उद्वेलित हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो प्रदेश में लॉ एंड आर्डर की स्थिति निर्मित हो जाएगी। पूरे देश के कबीर पंथी उद्वेलित हैं। सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज शासन को निर्देश देना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर में अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करें।

उपाध्यक्ष महोदय :- हमारे नेता जी कुछ बोल रहे हैं। चंदेल साहब की बात आने दीजिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने पोस्टर लहराया, किसने क्या कहा, यह विषय नहीं है। विधान सभा में कई तरह की बातें होती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ..।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुरू जी के नाम पर यह पोस्टर ही क्यों बनाया ? (व्यवधान) लज्जा करो । यह तो गलत बात है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में हमने नोटिस दिया है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आयेगी, बात आयेगी । (व्यवधान)

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबद्ध (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- शिवरतन जी फोटो लहरा रहे हैं । (व्यवधान) यह महिलाओं का अपमान है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने शून्यकाल की सूचना दी है । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, गृहमंत्री जवाब देंगे न । (व्यवधान) आप थोड़ा सा शांत रहिये ।(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने शून्यकाल की सूचना दी है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- ये बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं समझ रहा हूं, मैं मना कर रहा हूं । (व्यवधान) गृहमंत्री जी जवाब देंगे । बैठिए । (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- चर्चा के बहाने महिलाओं का अपमान कर रहे हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी बोल रहे हैं । (व्यवधान)

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इसको यहां चर्चा का विषय न बनायें, मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब आपको क्या हो गया ? अब आप दूसरी बात बोलिये। शून्यकाल में अब दूसरी बात आयेगी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं न । हम भी आपसे और आसंदी से हाथ जोड़ते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़ते हैं, सभी के मन में अपार श्रद्धा है । हाथ जोड़कर इस चर्चा को रोकने की बजाय कुर्सी है, ताकत है । हाथ में मिशनरी है, सदन चल रहा है, सदन की गरिमा बढ़ेगी । अभी कार्यवाही होगी, यह बात करें । हम अभी टेबल थपथपाकर स्वागत करेंगे । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप पेपर लहराकर हमारे गुरू का अपमान कर रहे हो । (व्यवधान) फोटो लहराकर गुरू का अपमान कर रहे हो । (व्यवधान) लज्जा करो। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री जी, कार्यवाही की बात करिये । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया, उनका जवाब आ गया । चलिये, आप बोलिये । दूसरा विषय ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टारगेट बनाकर कबीरपंथ को अपमानित किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब इस विषय पर उन्होंने कह दिया तो फिर समाप्त हो गया । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले उनके आश्रम में कब्जा करने का प्रयास हुआ ।(व्यवधान) उस पर कार्यवाही नहीं हुई ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, विनय जायसवाल जी आप दूसरे विषय पर अपनी बात रखिये । अब यह विषय समाप्त हो गया । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री धरमलाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में हम लोगों को कहना है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल में आप दूसरी बात रखिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे आग्रह है कि हम इस विषय पर चर्चा नहीं चाहते । हम चाहते हैं कि इस विषय पर शासन कार्यवाही करे । आपकी तरफ से माननीय गृहमंत्री जी भी गंभीर हैं उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर इस पर चर्चा न करें, हम भी नहीं चाहते कि चर्चा हो । हम चाहते हैं कि इस पर कार्यवाही हो और जब कार्यवाही होगी तो छत्तीसगढ़ में सायबर अपराध...। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सदन में गृहमंत्री जी हाथ जोड़कर पूरे सदन से निवेदन कर रहे हैं उसके बाद क्या बात रह गयी ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत जी, इनको सुनने दीजिये । आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में सायबर अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं । लोगों की आई.डी. को हैक करके इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है, बदनामी होती है, आम लोग इस बात को समझते नहीं हैं कि यह हैक किया गया है, यह फर्जी है और इसमें बदनामी होती है और कल आपके और हमारे खिलाफ भी यह होगा और ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐ हा रामरहीम, आसाराम नो हर हे हमर गुरू हा । (व्यवधान) अइसनहे बदनाम मत करा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं तो गृहमंत्री जी कह दें कि 24 घंटे के अंदर हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे । कार्यवाही कर देंगे तो मुझे लगता है कि चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों में प्रदेश में और देश में 3 घटनायें हुई हैं । सदन के समक्ष मैं इस बात को रखना चाहूंगा कि प्रदेश में 2 घटनाओं के बारे में जिक्र हुआ । परसों जो एक लज्जाजनक आंदोलन अपराधी युवकों ने किया, जिसकी जांच अभी पुलिस कर रही है । आज आप लोगों ने पेपरों में पढ़ा होगा कि किस तरह से 376 और 307 के अपराध उन युवकों के ऊपर दर्ज हैं । जिसके ऊपर एक नरेटिव बनाने की कोशिश की, दूसरा आज सबके जो बड़े धर्म गुरू हैं प्रकाशमुनि जी के ऊपर सायबर सेल में किस तरह से हैक होता है यह सभी लोगों को पता है और इसका जो नियंत्रण है, इन सब चीजों का नियंत्रण है वह कौन करता है, उसको कौन कर सकता है, सायबर अपराध की बात करें, फेसबुक की बात करें, वाट्सएप की बात करें, उसके ऊपर किसका नियंत्रण है यह

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भी इनको पता होना चाहिए और जिस तरह से ये अपमान कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, चंदन जी ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी बात रख लेने दीजिये । अगर गूंगे हैं तो आप बोलना सीखिये । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या शून्यकाल में इनका नोटिस है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने अनुमति दी थी, आप बोलिए लेकिन समय का ध्यान रखेंगे ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट बोलने दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल समय पर बात रखेंगे ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर बहरे हैं तो सुनना पडेगा, अगर गूंगे हैं तो बोलना पडेगा । मणिपुर में जो लज्जाजनक घटना घटी है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- ये शून्यकाल में कैसे बोल रहे हैं? इनका ये विषय कहां से आ गया? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- जायसवाल जी, आप बैठिए। शर्मा जी, आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- जिस तरह से मानवता लज्जित हुई है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- देखिए, शून्यकाल में भाषण नहीं होता। जायसवाल जी आप बैठिए। चंदेल साहब, आप बोलिए। देखिए शून्यकाल है। शून्यकाल में भाषण नहीं होता। दो मिनट में अपनी बात कहिए। चंदेल साहब, आप बोलिए। मैंने उन्हें सुन लिया। इसमें केवल 2 मिनट रहता है। जो भी माननीय सदस्य हैं, वे कृपया 2 मिनट में अपनी बात कहें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि जिनकी सूचनाओं को उन्हें अनुमति दी जाए और शून्यकाल विपक्ष का होता है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं पूरा सुन ही रहा हूं। उनका भी सुन रहा हूं। मैंने मंत्री जी को भी बिठाया है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देखिए यह बहुत ही बड़ी और गंभीर घटना है। माननीय गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, लेकिन शासन की ओर से कोई ठोस वक्तव्य नहीं आ रहा है कि हम 24 घंटे के अंदर कार्यवाही करेंगे। 48 घंटे के अंदर कार्यवाही करेंगे। वो कानून के गिरफ्त से बाहर नहीं होगा। इतनी बड़ी घटना हो गई। इतने गुरूदेव का अपमान हो गया। हमारे माननीय स्पीकर महोदय के बारे में भी फर्जी आई.डी. चल रही है। यह फर्जी आई.डी. कौन बना रहा है? ये कौन लोग हैं? यह कौन सा गिरोह है? उनका सरगना कौन है? वे क्यों कानून के शिकंजे से बाहर हैं? कानून

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

का हाथ उनके गिरेबान तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह छोटी-मोटी बात है? सदन मौन है। प्रशासन चुप है। यहां पर उत्तर आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मंत्री जी बोलेंगे। आप लोग नहीं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, एक मिनट। सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता इस विषय को जानना चाहती है। एक विषय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा दूसरा विषय है, इस पर हमने स्थगन की सूचना दी है। पहले इस पर शासन का उत्तर आ जाये, उसके बाद हम चर्चा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी का उत्तर आयेगा। जो भी उत्तर मंत्री जी देना चाहे, वे देंगे।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, आज हमर धर्मगुरू ला देखथन तो हमन ला अइसे लगथे कि अपन भगवान ला भेंट डारेन। हमन ला कतका दुख होथे, लेकिन एमन? छत्तीसगढ़ी में परंपरा हे कि घर के इज्जत ला बाहर नहीं निकाले, लेकिन एमन सिर्फ ओमा राजनीति करना चाहथे। एखर खातिर एमन ला ओखर सजा मिलही अउ गुरू हा एमन ला अइसे भस्म करही, एमन देखलहौ। एमन गुरू के अपमान करथे। एला फेसबुक, वाट्सअप में बढ़ावथे। एमन घर के इज्जत ला बाहर निकालथे।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस पर हमारी जांच और कार्यवाही जारी है। बहुत ही जल्दी से जल्दी हम इस पर कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, अब दूसरे विषय पर बात करिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय..।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप इसमें नहीं बोलेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हां इसमें नहीं। आपका निर्देश हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, दैनिक आकस्मिकता निधि वाले कर्मचारी और सभी प्रकार के कर्मचारी पूरे प्रदेश में आंदोलनरत हैं और 7 तारीख से पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था, ये पूरी ठप्प पड़ी हुई है। उन लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया है और सरकार के द्वारा न उन्हें बुलाकर उनसे बात की जा रही है और न उनके आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है और उसके कारण पूरा प्रदेश हलाकान है और पूरा प्रदेश परेशान है। लोगों के किसी भी प्रकार के कोई काम नहीं हो रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि हमने स्थगन दिया है कि आखिर कब तक? पिछले साढ़े 4 सालों से ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है। जो जनघोषणा पत्र था, जनघोषणा पत्र में इन्होंने वादा किया कि हम संविदा कर्मचारियों को, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रेग्यूलर करेंगे, परंतु इसके बाद भी उन्हें रेग्यूलर नहीं किया गया। 145 संगठन 7 तारीख से आंदोलन में हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री मोहन मरकाम) :- ये शून्यकाल में भाषण दे रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हमने आपको स्थगन प्रस्ताव दिया है, आप इसके ऊपर में चर्चा करवाएं। इस बात का आपसे आग्रह है।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी क्षमता पर, आपके संचालन पर, आपके आत्मविश्वास पर कहीं कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है। आपको बधाई, लेकिन एक बात है कि सदन में जो शून्यकाल होता है, नोटिस देते हैं, वे लोग अपनी बात रखते हैं। दुर्भाग्य यह है कि आपके उपस्थित रहते भी माननीय मंत्रीगण शून्यकाल में खड़े होते हैं। सदस्य एकाध बार अनुमति लेकर बोल लें तो भी चलेगा, लेकिन माननीय मंत्रीगण शून्यकाल में खड़े होकर बोलते हैं तो समझ में नहीं आता।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने टोक दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- समझ में नहीं आता कि ये कैसे सदन चलाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, मैंने मंत्री जी को टोका भी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी-जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों ने सरकार बनी तो बड़ी अपेक्षा से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कार्यक्रम रखा था। वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह साल किसानों का है और आने वाला साल कर्मचारियों का रहेगा । चुनाव आ गया, कल हमने विनियोग में चर्चा की । मुख्यमंत्री जी ने पहली बार हमारी बातों का, हमारी जिज्ञासाओं का, हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया । केवल रटा रटाया, दीर्घा से मिले हुए उत्तर को पढ़ दिया और मुझे लगता है कि यह सत्र इसलिए बुलाया गया था कि इसके लिए 2000, इसके लिए 2500, इसके लिए 3000, इसके लिए 5000 । ऐसा मुझे लगता है कि इन घोषणाओं के लिए सत्र बुलाया गया है । क्योंकि आज 145 कर्मचारी संगठनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को नकार दिया । कल घोषणा की, सदन चल रहा है और मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता पर इससे बड़ा प्रश्न चिह्न नहीं लग सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, कौशिक साहब ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनिये तो उपाध्यक्ष महोदय । मैं चाहता हूं कि घोषणा पत्र में जब शामिल था । हम बार-बार बोलते हैं, यदि आपने अच्छा काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी या कोई भी मंत्रिगण को नियत कर दें, धान खरीदी से लेकर आखिरी बिंदु तक खुली बहस हो जाए । यदि इनकी बात में सत्यता होती तो 4 लाख कर्मचारी आंदोलन पर नहीं जाते । ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और कर्मचारी से लेकर, किसान से लेकर, मजदूर, छात्र, बेरोजगार सारे लोगों में असंतोष है । कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को नकार दिया है । हमने इस पर स्थगन दिया है । इन कर्मचारियों के आंदोलन का प्रभाव आम जनता के ऊपर पड़ रहा है । आपसे अनुरोध है कि इस पर तत्काल चर्चा कराएं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- इन्होंने भाषण देना प्रारंभ कर दिया, क्या स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य हो गया है ।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र जारी किया गया और एक प्रकार से लोगों ने उस पर विश्वास किया । विश्वास के आधार पर सरकार बनी । प्रथम बैठक में ही उसको आत्मसात किया गया । उसके बाद संविदा कर्मचारियों के लिए, अनियमित कर्मचारियों के लिए लगातार हम प्रश्न पूछ रहे हैं । उस पर पांच सालों तक मुख्यमंत्री जी का जवाब नहीं आया, विभागों से जानकारी नहीं मिली । इस अंतिम सत्र में भी जानकारी नहीं मिली, उत्तर आ रहा है कि जानकारी एकत्र की जा रही है । कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद यह सोचा कि यदि मैं घोषणा कर दूं तो उसके बाद सब शांत हो जाएंगे । इन्होंने झुनझुना पकड़ाने का काम किया । आज भी वे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं । जिसके लिए उन्होंने वोट दिया, जिसके लिए उन्होंने सरकार बनाई और उसके बाद सरकार के द्वारा उनसे वायदा खिलाफी की गई है । इसलिए आपके झुनझुना पकड़ाने के बाद उन्होंने कहा कि हम धरने पर बैठे रहेंगे । 145 कर्मचारी संघ धरने पर बैठे हुए हैं । स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अनुकंपा नियुक्ति के लिए विधवाएं धरने पर बैठी हैं, ऐसे लोग इंतजार में बैठे हुए हैं । इस सरकार ने सबको छलने का काम किया । हमने जो स्थगन दिया है उस पर तत्काल चर्चा कराई जानी चाहिए ताकि हम विस्तार से सारी बातों को रख सकें और इस सरकार की पोल को खोल सकें । लोगों को पता चले कि सरकार की कथनी और करनी में क्या अंतर है ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2019 में महामहिम के अभिभाषण में जन-घोषणा पत्र को इस सरकार ने आत्मसात किया । 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे । माननीय उप-मुख्यमंत्री जी जन-घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे । गंगाजल उठाकर एक राजनीतिक दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत किया कि हम इस काम को पूरा करेंगे । 2019 में उसको आत्मसात कर लिया । 2019 में आत्मसात करने के बाद आज पूरे प्रदेश की जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है । 36 बिंदुओं में से एक भी बिंदु को पूरा नहीं किया गया है । प्रदेश में 4 लाख कर्मचारी परिवार हैं । सारे कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, आंदोलित हैं । संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी आंदोलनरत हैं । आज प्रदेश की स्थिति क्या हो गई है? किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो उसका इलाज करने के लिए अस्पताल में डॉक्टर तो है लेकिन बाकी स्टाफ नहीं है । लोग भटक रहे हैं । सारे कार्यालयों में कामकाज बंद पड़ा है और सरकार शांत बैठी है । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यह महत्वपूर्ण विषय है इसे ग्राह्य करके चर्चा कराएं ताकि हम अपनी बातों को रख सकें ।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पामगढ़ विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत मुलमुला और लोहरसी है। वहां पर रीपा योजना के अंतर्गत छोटे-छोटे उद्योगों के लिए करोड़ों रूपए की स्वीकृति हुई है लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत और लापरवाही के कारण वह भ्रष्टाचार की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भेंट चढ़ गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधान सभा को ध्यानाकर्षित कराना चाहूंगी कि वहां पर जो शेड निर्माण हुआ है, वह अत्यंत खराब क्वालिटी की हुई है, वहां पर जो सामान खरीदा गया है, वह बहुत ही खराब सामान खरीदा गया है। इसके संबंध में मैंने कई बार शिकायत भी की लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से इस सदन के माध्यम से ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी कि जो मेरी ध्यानाकर्षण सूचना है, उसको ग्राह्य करके चर्चा कराने की मांग करती हूं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 145 संगठन के साढ़े चार लाख लोग आंदोलनरत हैं और यह छोटे-छोटे कर्मचारी-अधिकारी हैं, यह कौन हैं ? यह छत्तीसगढ़ के लोग हैं, छत्तीसगढ़िया हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको विश्वास दिलाया कि हम आपके हितों में काम करेंगे। वे ठगा महसूस कर रहे हैं, एक असत्य भरोसा हो गया है। अब असत्य भरोसा का आरोप लग रहा है लेकिन भरोसा तो नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर स्थगन है, इसको स्वीकार करके चर्चा कराईए ताकि इनके साथ न्याय हो सके।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी, हजारों कर्मचारियों की छटनी कर दी गयी और छटनी करने उनको बेरोजगार कर दिया गया। अब बेराजगारी के चलते उनको आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, वह दाने-दाने के मोहताज हो गये हैं। कर्मचारियों को नियमित करना तो दूर, उनके स्थायीकरण के लिए भी विचार नहीं किया गया, पंचायत शिक्षाकर्मी के परिजन जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर-दर भटक रहे हैं, वे लंबे समय से लगभग एक वर्ष पहले से लगातार आंदोलनरत रहे और उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया। लेकिन फिर भी सरकार का उस ओर ध्यान नहीं गया और सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। आज इतने सारे संगठन के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण में किसी को भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला है, निश्चित रूप से जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में हमने स्थगन लगाया है, कृपया स्थगन स्वीकार करें।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2018 में सरकार अपनी घोषणा पत्र लेकर आई, उसमें इन्होंने वादा किया कि अब प्रदेश में कोई अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नहीं रहेगा, हम सबको नियमित कर्मचारी के रूप में स्थान देंगे। शुरू के 6 महीने साल भर में कहते रहे, अभी तो 6 महीना हुआ है, अभी तो साल भर हुआ है, हमने पांच साल के लिए घोषणा की है, अभी तो हमारे पास समय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधानसभा का अंतिम सत्र है और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल घोषणा की गयी, कोई भी संगठन इससे संतुष्ट नहीं है बल्कि उनका आंदोलन और उग्र हो गया है, वे रात-रात भर आंदोलन स्थल में सो रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

छोटे-छोटे बच्चे लेकर सो रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में काम प्रभावित हो रहा है, हमने इस महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन दिया है, आपसे आग्रह करते हैं, इसको ग्राह्य करके चर्चा कराई, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी जिससे छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के हित में बात आ सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 145 संगठन से अधिक कर्मचारी-अधिकारी आंदोलनरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल झुनझुना पकड़ाने की घोषणा की, उसके बाद भी वे असंतुष्ट हैं। उन्हें सरकार संतुष्ट करें। वे आंदोलन में जाकर उनसे बात क्यों नहीं करते, वे वहां जाकर चर्चा करें और उस आंदोलन को समाप्त करें। आपने आत्मसात किया है कि हम उनको नियमित करेंगे। उनकी जो मांग है, उसको पूरा करें।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 के अपने भाषण में कहा था कि ए साल किसान के अऊ अगला साल कर्मचारी मन के। ओ कर्मचारी मन इंतजार करत हे कि हमर साल कब आही। अब हमर साल आही, अब हमर साल आही। रायपुर मा, नया रायपुर मा, बूढ़ा तालाब मा, कोन जनिक ओ मन कतेक दिन से लईका बच्चा ला छोड़ के आंदोलन मा बइठे हे। अब 75-80 दिन आचार संहिता लगे के बचिस। उहू मन टूकूर-टूकूर ताकत हे, ओखर लईका बच्चा मन ताकत हे, दाई ददा कहां चल देहे करके तो दाई ददा मन ईंहा बूढ़ा तालाब में बइठे हे। आपसे आग्रह हे, एला ग्राह्य करतिस अउ, ग्राह्य करके ओखर चर्चा ला करतिस।

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गोबरा नवापारा तहसील में नवागांव में लगभग 200 एकड़ जमीन में सैकड़ों वर्षों से प्राकृतिक वन था। उसमें से कुछ जमीन निजी जमीन भी थी, लेकिन उसमें से अधिकांश जमीन शासकीय जमीन है। उस जमीन में लगभग 20,000-25,000 पेड़ लगे हुए थे और वहां पर वन्य प्राणी भी बहुत बड़ी संख्या में थे। जिस व्यक्ति की भूमि उस वन क्षेत्र में थी, उसने महीनों तक पूरे जंगल के अंदर तक की कटाई करके लगभग 200 एकड़ का जंगल साफ कर दिया। उसने लकड़ी काटकर पूरे जंगल को साफ कर दिया। (शेम-शेम की आवाज) इसकी शिकायत वन विभाग से भी की गई, सरपंच ने भी डिप्टी रेंजर से इसकी शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने स्वयं वहां पर जाकर देखा। जब हम मौके पर गये तो वहां पर मुश्किल से 1,800 कटे हुए पेड़ जब्ती किये गये हैं, जबकि हजारों की संख्या में वह सारे पेड़ अन्यत्र स्थापित कर दिये गये। इसकी थाने में भी रिपोर्ट की गई है लेकिन अभी तक वन विभाग तथा राजस्व विभाग के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने इस पर ध्यानाकर्षण दिया है, कृपया इसको ग्राह्य करें।

श्री अजय चंद्राकर :- भैय्या, हरियाली के समय पेड़ कटा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल जी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने छत्तीसगढ़ प्रदेश के बहुत ज्वलंत मुद्दे पर स्थगन दिया है। राजधानी का जो धरना स्थल है, पहले बूढ़ा तालाब धरना स्थल हुआ करता था। लेकिन बूढ़ा तालाब का धरना स्थल कर्मचारियों को छोटा पड़ने लगा तो मुख्यमंत्री जी ने उनको नया रायपुर भेज दिया क्योंकि आंदोलन करने वालों की संख्या अब हजारों में हो गई है और पूरे प्रदेश में उनकी संख्या लाखों में है। पूरे प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी आंदोलनरत हैं। लेकिन लगभग 8,000-10,000-20,000 लोग रायपुर में आंदोलनरत् हैं। जब से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यह नई सरकार बनी है, तब से लगातार आंदोलन हो रहे हैं। आंदोलन किसलिए हो रहे हैं? क्योंकि आपने असत्य वायदा किया। जब आप अपना वायदा पूरा नहीं कर सकते हैं तो आपने वायदा क्यों किया? आज सब कर्मचारी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वायदा, वो कसम, वो इरादा? भूपेश बघेल जी मौन हैं। आज जो 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी और 145 संगठन आंदोलनरत हैं, उसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि उन कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग को मानना तो दूर उनसे वार्ता करने के लिए कोई जाने को तैयार नहीं है। हम उस दिन वहां पर गये थे। हमने उनसे पूछा कि क्या यहां पर कोई मंत्री जी आये थे और क्या कार से उतरकर अपने कोमल पांव को यहां तक लाये थे? (हंसी) उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो दूर कोई मंत्री नहीं आये थे। मुख्यमंत्री जी हमारी पहुंच में नहीं हैं, हमारे रेंज में नहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है? इस प्रदेश का कोई वरिष्ठ अधिकार, किसी विभाग का सचिव, उस विभाग का मंत्री हमारे उन आंदोलनरत् कर्मचारियों, जो किसान के बेटे हैं, जो छत्तीसगढ़ के भूमि पुत्र, अन्नदाता के बेटे हैं। हमारा आपसे आग्रह है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, एक मिनट।

श्री बृहस्पत सिंह :- अजय चंद्राकर जी, क्या आप नेता प्रतिपक्ष जी की बात मानने को तैयार नहीं हैं? आप उनको बोलने दीजिए। आप उनको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं?

श्री अजय चंद्राकर :- बृहस्पत जी, मैं आपके हाथ-पांव जोड़ता हूं। (हंसी) माननीय उपाध्यक्ष जी, एक लाइन का इन्ट्रप्शन है। आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिए आपको धन्यवाद। जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष होते थे तो उनकी दिनचर्या में यह शामिल था कि वह ब्रश करेंगे, चाय पियेंगे और बूढ़ा तालाब जाएंगे। बूढ़ा तालाब इलाके के बच्चे-बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी को पहचानते हैं। लेकिन अब तेलीन तरिया के समीप गांव के लोग माननीय मुख्यमंत्री को देखने के लिए तरस रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी उस दिनचर्या को बनाये रखें, जिसके दम पर वह उस कुर्सी में आ गये हैं। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वह प्रतिदिन वहां भी जाएं। यह तो उनकी दिनचर्या में शामिल था।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपकी बात आ गई है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नया रायपुर में मंत्रालय है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वह आंदोलन स्थल में जाकर उनसे बात करें और उनकी मांग को सुने। उनकी मांग जायज है क्योंकि आपने घोषणा की है, इसलिए आप उनकी मांग को पूरा कीजिए। दूसरा विषय यह है कि पूरे जशपुर क्षेत्र में परसों रऊतिया समाज के 50,000 लोग सड़कों पर आंदोलनरत् थे, सड़कों पर थे और उनकी एक ही मांग है कि उनको अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया जाये । उनका 550 पृष्ठ का आवेदन है, पर सरकार आजतक भारत सरकार को रिपोर्ट नहीं भेज रहीं है और इनको भारत सरकार का पत्र मिल चुका है । वे अनुसूचित जनजाति समाज में शामिल होने से वंचित हैं, उनकी मांग आज की नहीं है, वर्षों पुरानी मांग है । यह राज्य सरकार की लापरवाही के कारण है । हमने इसमें ध्यानाकर्षण दिया है, स्थगन दिया है और हमारा आग्रह है कि हमने कर्मचारियों के विषय पर जो स्थगन दिया है, उस पर चर्चा कराएं।

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में बहुत ही विद्वान सदस्य अजय चन्द्राकर जी ने जब मुझसे I Love you कहा और कुत्ते से I Love you बोला तो वह पोर्टल में समाचार आ गया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण स्थगन है, महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण है । आपको इसको स्वीकार कर चर्चा करानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था दे रहा हूं । वोरा जी, आप बैठ जाईए ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आरोप को निराधार कराना चाहता हूं । उन्होंने यह आरोप लगाया कि आपके दिमाग में अश्लील साहित्य भरा हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अविश्वास प्रस्ताव में आपको अभी चर्चा करनी है । वोरा जी, आप बैठिए ।

श्री अरूण वोरा :- अजय चन्द्राकर जी को माफी मांगनी चाहिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, दो भूतपूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी दिवंगत हैं, उनके सुपुत्र इस सदन में सदस्य हैं । मुझे कहने में यह संकोच नहीं है कि अरूण वोरा जी अमितेश शुक्ल जी की फोटो कापी हैं, लेकिन उनसे ज्यादा एक्टिव हैं । मैं व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत तौर पर अरूण वोरा जी को फिर से I Love you कह देता हूं (हंसी) और मैंने यह कहा कि उसको अश्लीलता में मत लीजिए । यह तो हम किसी से प्रेम करते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि मैं जहां जाता हूं, वह spirituality की जान है, हमें आध्यात्मिकता की अपने आप से प्रेम है । प्राणी मात्र से प्रेम करें । वोरा जी तो जीते-जागते प्राण हैं, उससे तो मुझे भारी प्रेम है।

श्री अरूण वोरा :- मुझसे प्रेम करिए, चाहे मत करिए, पर यह तो मत बोलिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अरूण वोरा :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदमे में बैठा हुआ हूं, मेरे हृदय में गहरा आघात लगा हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए, आप लोग अविश्वास प्रस्ताव में बोल लीजिएगा । हम आपको पर्याप्त समय दे रहे हैं ।

श्री शैलेश पांडे :- तुम करो तो प्यार, हम करें तो लीला ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए ।

श्री अरूण वोरा :- हम आंह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और आप कत्ल भी करते हो तो चर्चा रहती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने विषय बदल दिया ।

श्री अरूण वोरा :- मैंने विषय नहीं बदला है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके इतने एक्टिव होने के बाद, आप अमितेश शुक्ल जी से 100 गुना एक्टिव हैं, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी की नजर आपके ऊपर नहीं पड़ रही है । वे आपसे प्रेम नहीं करते, हम लोग आपसे प्रेम करते हैं ।

श्री अरूण वोरा :- मुझ पर मुख्यमंत्री जी की कृपा है । आपने कैसे कह दिया कि वे मुझसे प्रेम नहीं करते ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं करते हैं । इसीलिए तो आपको झुनझुना पकड़ाया।

श्री अरूण वोरा :- आप मुझे भड़काने का काम कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उन्होंने आपको भी झुनझुना पकड़ा दिया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपसे प्रेम करते तो आप वहां नहीं, (मंत्रियों की सीट की ओर इशारा करते हुए) यहां होते ।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, आप लोग बैठिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यही निवेदन करता हूं कि हमारे स्थगन पर आपकी व्यवस्था आ जाये, आप सदन में व्यवस्था दे दें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोग ऐसा मत बोलिए कि मुझे भड़काने का काम कर रहे हैं । आप बोलिए कि मेरे लिए आप गड्डा क्यों खोद रहे हैं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- प्रेम को दौलत से या मापदण्ड से मत मापिए ।

श्री अरूण वोरा :- मैं तो शुरू से ही मुख्यमंत्री जी को मानता हूं । जब वे मुख्यमंत्री जी नहीं थे, तब भी मानता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप थैंक्यू दीजिए ।

श्री अरूण वोरा :- किस बात के लिए ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने मुझे विधायक के साथ-साथ दुर्ग का महापौर भी बनाया है ।

श्री अरूण वोरा :- उपाध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी वहां के प्रभारी क्या बन गए हैं, इनको उल्टा-सीधा जो पता लगता है, वे बोलते रहते हैं । आप वहां जाकर वास्तविकता देखिए कि आप किस स्थिति में हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपको अविश्वास प्रस्ताव में 10 मिनट अतिरिक्त समय दूंगा, उस समय आप बोलिएगा ।

<u>व्यवस्था</u>

संविदा एवं अनियमित कर्मचारियों के संबंध में प्रतिपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थगन तथा माननीय सदस्यों के विचारों को मैंने सुना । चूंकि आज अविश्वास प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा होनी है । प्रतिपक्ष के सदस्यों को अपनी बात करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा । इसलिए प्रस्तुत स्थगत को मैंने अग्राह्य कर दिया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव दूसरा विषय है, स्थगन प्रस्ताव तत्कालिकता का विषय है । स्थगन प्रस्ताव लोक महत्व की तत्कालिकता में आता है । अविश्वास प्रस्ताव दूसरे विषय में आते हैं । आप दोनों का कंटेन्ट देख लीजिए, दोनों अलग-अलग विषयों में आते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अभी आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- दोनों का कोई संबंध नहीं है इसलिए उससे को-रिलेट मत करिए । आपसे आग्रह है कि स्थगन पर तत्काल चर्चा कराई जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मैं ध्यानाकर्षण सूचना लेता हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरे प्रदेश का महत्वपूर्ण विषय है । साढ़े चार लाख कर्मचारी जो सरकार के हाथ-पैर होते हैं, वे पिछले 15 दिनों से सड़कों पर बैठे हुए हैं, आन्दोलन कर रहे हैं, पूरे शासन-प्रशासन की व्यवस्था ठप्प है और उस विषय पर हम इस सदन में चर्चा नहीं करेंगे तो कहां चर्चा करेंगे । इसलिए हम चाहते हैं कि इस विषय पर आप चर्चा करवाएं । कर्मचारी आन्दोलनरत् हैं, उनके परिवार परेशान हैं, कर्मचारी परेशान है, उनको वेतनमान ठीक से नहीं मिल रहा है, उनको भत्ता नहीं मिल रहा है, उनको ठीक से भत्ता नहीं मिल रहा है। इससे पूरा शासन-प्रशासन ठप्प है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करायें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह बहुत गंभीर विषय है। अच्छा, इस पर चर्चा नहीं होगी तो किस पर चर्चा होगी। इस पूरे सत्र में एक भी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई है। 4-4 लाख से ज्यादा परिवार पीड़ित हैं। पूरा प्रशासन ठप्प है, आम आदमी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

को परेशानी हो रही है। गांव का आदमी आफिस जाता है, वहां कोई कर्मचारी नहीं मिलता है। वह बार-बार जाता है फिर लौटकर आता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस स्थगन पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दोनों अलग-अलग विषय हैं। अविश्वास प्रस्ताव और स्थगन दोनों अलग-अलग विषय हैं।

(सत्ता पक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं अब ध्यान आकर्षण की सूचना लूंगा। मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। स्थगन पर चर्चा नहीं होगी। आपको बोलने लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा। मैं स्थगन पर पहले ही व्यवस्था दे दी है। आपको अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने कर्मचारियों के विभिन्न मांगों को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने स्थगन दिया था और आपने व्यवस्था दे दी। व्यवस्था के बाद कार्यवाही आगे बढ़ना है। भईया जो भी करना है, जल्दी कर लो क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी संगठन के लोग धन्यवाद देने आये हैं, मैं वहां जाऊंगा। क्योंकि आप लोगों ने स्थगन दिया है, इसलिए यहां बैठा हूं। (हंसी) बहुत सारे लोग आये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कर्मचारी संगठन से मिलने जा रहे हैं, अच्छी बात है। परन्तु आप लोगों की घोषणा के अनुसार उनको नियमित करने की घोषणा कीजिये, आप रेग्युलर करने की घोषणा कीजिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमने कोई घोषणा नहीं की है। आप लोग अपने समय में कर्मचारियों का शोषण किए हो।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब मैं ध्यानाकर्षण की सूचना लूंगा। मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। अभी आपको अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा, उस पर बोल लीजियेगा।

नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण की सूचनाएं लूंगा।

(सत्ता पक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

उपाध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(12:58 से 1:05 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय
1.05 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुये)

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. रेणु अजीत जोगी जी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) राज्य में संचालित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विश्वविद्यालय के मापदण्ड का पालन नहीं किया जाना ।

डॉ.रेणु अजीत जोगी (कोटा) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात् राज्य में अनेक निजी विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा विभाग और आयुष विश्वविद्यालय के मापदण्डों को ताक में रखते हुए अब तक चल रहे हैं । छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के राजपत्र दिनांक 06/07/2022 को जारी अधिसूचना में क्रमांक 2 पर उललेखित आयुर्वेद/हेल्थ एंड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग/फार्मेसी इत्यादि निजी पाठ्यक्रम दर्शित है, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है । उसी प्रकार निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ करने के लिये 25 एकड़ भूमि एक साथ होनी चाहिए, किन्तु कई निजी विश्वविद्यालयों के पास एकमुश्त भूमि न होकर दो-तीन टुकड़ों में 8-10 किलोमीटर की दूरी पर भूमि स्थित है एवं इन निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता मिली हुई है । छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग के राजपत्र दिनांक 06/07/2022 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार बिना अध्यादेश लागू किये कोई निजी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों को लागू नहीं कर सकता है, किन्तु नियमों की अवहेलना करते हुये कई निजी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों को चला रहे हैं । इससे लोगों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- छत्तीसगढ़ राज्य के उदय के पश्चात् राज्य में अनेक निजी विश्वविद्यालय खुले हैं, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग और आयुष विश्वविद्यालय के मापदण्डों को ताक में रखते हुए अब तक चल रहे हैं वरन् तथ्य यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 16 निजी विश्वविद्यालय स्थापित है, इनमें से 15 निजी विश्वविद्यालय संचालित है तथा 1 निजी विश्वविद्यालय संचालित होने की प्रक्रिया में है ।

यह भी है कि चिकित्सा शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों के संचालन के संबंध में अनुमति छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित अधिनियम, 2010 के अंतर्गत दी गई है । अधिनियम-2005 में किसी भी पाठ्यक्रम के संचालन पर रोक नहीं है । इस प्रकार चिकित्सा शिक्षा विभाग और आयुष विश्वविद्यालय के मापदण्डों को ताक में नहीं रखा गया है ।

यह कहना सही नहीं है कि छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग का राजपत्र दिनांक 06/07/2022 को जारी अधिसूचना में क्रमांक 2 पर उल्लेखित आयुर्वेद/हेल्थ एंड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/ नर्सिंग/फार्मेसी इत्यादि निजी पाठ्यक्रम दर्शित है, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है । तथ्य यह है कि छत्तीसगढ़

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उच्च शिक्षा विभाग का राजपत्र दिनांक 06/07/2022 को जारी अधिसूचना में क्रमांक 2 पर उल्लेखित आयेर्वेद/हेल्थ एवं एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग/फार्मेसी इत्यादि निजी पाठ्यक्रम दर्शित है के संबंध में अधिनियम 2005 का पालन किया जा रहा है ।

यह कहना सही नहीं है कि निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ करने के लिए 25 एकड़ भूमि एक साथ होनी चाहिए किन्तु कई निजी विश्वचविद्यालयों के पास एकमुश्त भूमि न होकर दो-तीन टुकड़ों में 8-10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा इन निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता मिली हुई है । तथ्य यह है कि निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ करने के लिये 15 एकड़ तथा 25 एकड़ भूमि का प्रावधान अधिनियम, 2005 की धारा 7(2)(क) एवं (ख) में है, जिसका पालन किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग का राजपत्र दिनांक 06/07/2022 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार बिना अध्यादेश लागू किए कोई निजी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों को लागू नहीं कर सकता है । किन्तु यह कहना सही नहीं है कि निजी विश्वविद्यालय उक्त प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं । वस्तुस्थिति यह है कि निजी विश्वविद्यालयों में अध्यादेश जारी होने के पश्चात् ही पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है । निजी विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रमों का संचालन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किया जा रहा है ।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 में किसी भी पाठ्यक्रम के संचालन पर रोक नहीं है । छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 में चिकित्सा शिक्षा से संबंधित पाठयक्रमों को अन्य विश्वविद्यालयों को संचालित करने पर प्रतिबंध रखा गया है । इस प्रकार राज्य शासन के दो अधिनियमों में विरोधाभास हो जाने के कारण उक्त विरोधाभास को दूर करने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

अत: लगाए गए आरोप निराधार एवं असत्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि प्रदेश में कितने निजी चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं और उनके पास पर्याप्त 25 एकड़ भूमि है या नहीं ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के राजपत्र दिनांक 06.07.2022 का उल्लेख किया है, वह भारती यूनिवर्सिटी का है और भारतीय यूनिवर्सिटी के पास पूरी 25 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न भी करना चाहूंगी कि प्रदेश में कितने निजी नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं जो अस्पताल से संबद्ध नहीं है और उनकी संख्या कितनी है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कितने निजी नर्सिंग कॉलेज है, अभी इसकी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो निजी नर्सिंग कॉलेज हैं, वह आयुष विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप और कुछ पूछना चाहती हैं ?

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- जी, मैं यह जानना चाहती हूं और यह मेरा अंतिम प्रश्न है कि पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी और निजी विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था तो सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि एक करोड़ रूपये थी, फिर भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में वह दो करोड़ रूपये हुई और वर्तमान में सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में कितनी राशि ली जाती है ?

श्री उमेश पटेल :- उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक दो कॉलेजों को उसमें छूट मिली है और जो अधिनियम में है, उसके तहत अभी तक किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को छूट नहीं मिली है। पूर्ववर्ती सरकार में एक महाविद्यालय को छूट मिली थी और हमारी सरकार में भी एक भारती यूनिवर्सिटी है, जिसको यह छूट मिली है।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- उपाध्यक्ष महोदय, उनको छूट मिली है तो उनसे कितनी राशि ली जा रही है ?

श्री उमेश पटेल :- उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो अधिनियम है उसके अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में 03 करोड़ रूपये और अन्य क्षेत्रों में 05 करोड़ रूपये की सिक्योरिटी राशि ली जा रही है।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- धन्यवाद्।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय शिक्षा मंत्री जी, जहां तक मैं सोचता हूं कि निजी विश्वविद्यालय में एक शंकराचार्य यूनिवर्सिटी है, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रूप में रजिस्टर्ड हुई। ध्यानाकर्षण का जो विषय है, उसको मैं टी.व्ही. में सुन रहा था। ध्यानाकर्षण के विषय में जो नर्सिंग कॉलेज है या पैरामेडिकल के कोर्स है, जो आपके नोटिफिकेशन में शामिल नहीं है, वैसे कोर्स वहां संचालित हो रहे हैं, तो उसकी डिग्री की मान्यता क्या रहेगी ? क्या वह यूनिवर्सिटी खुद डिग्री दे सकती है ? यदि एक सामान्य यूनिवर्सिटी है तो क्या वह बी.एस.सी. नर्सिंग या एम.एस.सी. नर्सिंग का सर्टिफिकेट दे सकती है ? या जो हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वह उनके संचालित कोर्स को डिग्री देगी ? इस बारे में क्या निर्देश है ? इसके जवाब से सबको फायदा हो जायेगा। इसमें कई स्थितियां ऐसी है, जब आप 12-13 यूनिवर्सिटीज में चेक करेंगे तो वहां वे इस तरह के ओकेशनल कोर्स चला रहे हैं और उसकी डिग्री भी दे रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- उपाध्यक्ष महोदय, For example यदि कोई निजी विश्वविद्यालय किसी पैरा मेडिकल का या किसी इस तरह के कोर्स की अनुमति मांगता है, जहां किसी और की भी अनुमति की आवश्यकता है। जैसे लॉ में बार काउंसिल की, फॉर्मेसी के लिये फॉर्मेसी काउंसिल की, जहां पर अलग-अलग

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

काउंसिल की अनुमति की आवश्यकता है, उन्हें 2005 के अधिनियम के अनुसार हम विथ कंडीशन अनुमति देते हैं। कंडीशन यह है कि जैसे उनको फॉर्मेसी का सब्जेक्ट शुरू करना है तो उनको फॉर्मेसी काउंसिल से एन.ओ.सी. लेनी पड़ेगी, तभी जाकर वे वह पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं। अभी तक जितने भी निजी विश्वविद्यालय खोले गये हैं, चाहे वह पूर्ववर्ती सरकार के समय के हो या हमारी सरकार के समय के हो, सबने इस कंडिशन के साथ उनको सब्जेक्ट शुरू करने की अनुमति दी है कि आप जिस सब्जेक्ट को चलाते हैं, आप उस पर्टिकूलर काउंसिल से पहले उस सब्जेक्ट की अनुमति प्राप्त करें और उसके बाद उसको संचालित करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में ध्यानाकर्षण कभी-कभी आता है और इसमें मंत्री जी ने जहां तक बात कही है, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन मैंने दूसरी चीज पूछी थी, उसमें भी उनकी ओर से जानकारी आ जायेगी, मंत्री जी जानकारी देने के लिये पर्याप्त है। शिक्षा में जो व्याप्त चीजें हैं, आपके उत्तर से बहुत से लोग सुनेंगे, वह छपेगा तो ठीक हो जायेगा। जैसे मान लीजिये कलिंगा यूनिवर्सिटी है, किसी के ऊपर आरोप नहीं । यह मैनेजमेंट, कम्प्यूटर साईंस, इंफरमेशन टेक्नॉलॉजी, बायो टेक्नॉलॉजी, बायो इंफरमेटिक,, कला विज्ञान, वाणिज्य, स्नातकोत्तर, अनुसंधान पाठ्यक्रम हैं। वह इतने विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए रजिस्टर्ड हुई है। इसे आपने सूचीबद्ध किया। अब यह पैरा मेडिकल का कोर्स या नर्सिंग का कोर्स नर्सिंग कौंसिल से एन.ओ.सी. लेकर वह कोर्स चला रहे हैं। तो क्या इस हिसाब से वह रजिस्टर्ड हुई है वह नर्सिंग की डिग्री दे सकती है कि वह हमारे विश्वविद्यालय से एफीलेटेड रहेगा, जो हमने मेडिकल विश्वविद्यालय बनायी है, वह उसको डिग्री देगा ? क्योंकि ऐसे बहुत से संस्थान हैं जो रजिस्टर्ड दूसरे हुए हैं और दूसरे पाठ्यक्रम चला रहे हैं। तो इसलिए एन.ओ.सी. के अतिरिक्त डिग्री की भी प्रक्रिया हो। क्योंकि वह पंजीकृत नहीं है और कोई आदमी कोर्ट में जाता है तो वह डिग्री अमान्य हो जाएगी। इसलिए बच्चों के भविष्य के साथा खिलवाड़ न हो, आपका उत्तर आ जाएगा तो सबका भला होगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने जो कंसर्न रेस किया है। कुछ हद तक वह इसी तरह से हो रहा है क्योंकि इसमें दो विभाग इंवाल्व हैं। एक उच्च शिक्षा जो विथ कंडीशन उस विषय की अनुमति दे रहा है और दूसरा मेडिकल विभाग है, जो उसको Affiliation देगा। इसमें मेडिकल का जो स्टैण्ड हैं वह और उच्च शिक्षा के स्टैण्ड में कहीं न कहीं विरोधाभाष है मैं इस बात से आपसे एग्री करता हूँ। हमने इसके ऊपर कार्यवाही की है। जब भी इस तरह की परिस्थिति विकसित होगी कि हमें किसको अनुमति देनी है तो हम उसके लिए एक नयी प्रक्रिया विकसित कर रहे हैं, जिससे सारे विभागों में एक सामान्जस्य बने। हर निजी विश्वविद्यालय को यह पता रहे कि उसको एन.ओ.सी. और Affiliation कहां से लेना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। मेरा यह कहना है। मैंने ही निजी विश्वविद्यालय विधेयक के गठन का एक्ट बनवाया था फिर वह पूरे देश में गया। गठन में यह था कि उसका प्रतिवेदन रखा जाएगा। हमने नियामक आयोग, निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग भी बनाया है। अब यदि उसके प्रतिवेदन में चर्चा करें तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि साहब, मैंने केवल कितने विश्वविद्यालय में नर्सिंग का एक उदाहरण दिया। पैरा मेडिकल कोर्स भी मेडिकल से हो सके। मैं एम.बी.ए. का बता देता हूँ। उसको तकनीकी विश्वविद्यालय से लेना पड़ेगा। तो जो नये कोर्स हैं जो हमारे विश्वविद्यालय में नहीं है। मान लीजिए कि हमारे विश्वविद्यालय में फैशन डिजाईनिंग, Interior design का कोर्स नहीं है, उसके विषय सम्मिलित हैं वह डिग्री दे सकते हैं, पर जिसके लिए वह रजिस्टर्ड नहीं हैं उनकी डिग्री कौन देगा ? इसमें छात्र ठगे मत जाएं और उनकी डिग्री मान्य हो, इसके लिए कोई सुनिश्चित व्यवस्था या वह किसी अधिकारी की Committee Constitute कर दें, जो इस बात को सुनिश्चित करे कि जो विश्वविद्यालय जिस प्रकृति की है, उससे बाहर की डिग्री एन.ओ.सी. के बाद भी नहीं दे सकती। यह किसी नियम में नहीं है। माननीय उमेश जी, आप बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। चूंकि आप शिक्षा मंत्री हो तो शिक्षा में ध्यानाकर्षण या चर्चा बहुत कम है। आपको तो उत्साह से भाग लेना चाहिए क्योंकि फर्जी डिग्री से बहुत से नौजवानों के भविष्य प्रभावित होते हैं। तो यह सुनिश्चित होना चाहिए कि बच्चों के साथ यह घटना नहीं होगी। जिस प्रकृति का विश्वविद्यालय है, जो पंजीकृत है यदि उससे बाहर का कोर्स चलाती है तो एन.ओ.सी. के बाद उसको संबंधित विश्वविद्यालय से डिग्री देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य आप भी बोल दीजिए। मंत्री जी का एक साथ उत्तर आ जाएगा।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्राकर जी ने जो प्वाईंट उठाया है माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने इसीलिए आपको मौका दिया।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब वर्ष 2006-07 में आपने यह एक्ट पारित किया था तब उस वक्त जो विश्वविद्यालय बने थे, उस वक्त अनुसूची में जो पाठ्यक्रमों को डी.पी.आर. से जो संशोधन करके सूची में डाल दिए गए थे। उसके बाद वही विश्वविद्यालय जो अन्य पाठ्यक्रम, उस वक्त अनुसूची में नहीं थे, अगर प्रारंभ करे तो उसके लिए बार-बार विधान सभा में विधेयक को लाना पड़ता। उसके लिए आपकी सरकार के समय ही आपने संशोधन करवाया था कि जो भी निजी विश्वविद्यालय है अगर वह कोई भी पाठ्यक्रम प्रारंभ करना चाहते हैं जो अनुसूची में नहीं है तो उसके लिए विधान सभा में संशोधन लाने की जरूरत नहीं है। हम Executive ऑर्डर से हायर एजुकेशन से संशोधित कर सकते हैं यह पुराना विषय है। अगर अब इसमें जो भी पाठ्यक्रम प्रारंभ करता है तो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उसमें जो सेन्ट्रल regularity बॉडी है, अगर उसकी अनुमति है अगर सरकार ने उसका Ordinance पास किया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न कीजिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी दे रहा हूं, मेरा प्रश्न नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न ही कर सकते हैं और माननीय मंत्री जी उसका उत्तर देते हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है।

उपाध्यक्ष महोदय :- अगर संज्ञान में आ जाये तो अच्छा है।

श्री शैलेश पाण्डे :- उपाध्यक्ष महोदय, सुझाव है।

उपाध्यक्ष महोदय :- इसके बाद माननीय इंदु बंजारे जी तैयार रहेंगी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी विश्वविद्यालय अगर कोई पाठ्यक्रम चालू कर रहा है तो उन्हें उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति चाहिए। साथ ही साथ उन्हें उस रिलेटेड पाठ्यक्रम से affilicatin चाहिए। मान लीजिए कोई एल.एल.बी. का विद्यार्थी है तो उसको बार काउंसिल से अनुमति चाहिए। अगर यह अनुमति किसी विश्वविद्यालय के पास नहीं है और अगर वह पाठ्यक्रम चला रहा है तो गलत है। इस तरह का कोई भी विषय आयेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जायेगी। कोई भी विश्वविद्यालय कोई पाठ्यक्रम चलाता है तो उसके पास वह पाठ्यक्रम राजपत्र में प्रकाशित होना चाहिए और साथ ही साथ उस काउंसिल से उसको affilicatin होना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं शिकायत के बजाय जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, संयोग से मैं उपस्थित हो गया, जो यूनिवर्सिटी ऐसे कोर्स चला रही हैं, पाण्डे जी ने भी ठीक बात कही, कोई गलत बात नहीं कही।

उपाध्यक्ष महोदय :- उनका बढ़िया सुझाव आया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, जो यूनिवर्सिटी ऐसे कोर्स चला रही हैं जिसके लिए वह वैधानिक रूप से eligible नहीं है, वास्तव में नियामक आयोग को 1-2 महीने का समय देकर इसको जांच करनी चाहिए। उसका कारण एक है कि हमारे साथ भविष्य में दुर्घटनायें हुई हैं। 87000 बच्चे ऐसे थे जिनके कोर्स यूनिवर्सिटी में नहीं थे और उनको 02 साल में डिग्री दिलवानी थी। अब उसको कैसे किये होंगे, वह याद करने लायक विषय है। भगवान ने उसको निपटा दिया, जैसे भी निपटाना था। छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ यह घटना और मत घटे, उमेश पटेल जी इसका इतना ही आशय है। आप इसको सुनिश्चित कर दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- अगर इस तरह की आपके पास भी कोई शिकायत होगी, मैं तो खुद भी इसकी जांच करा लूंगा, चेक करवा लूंगा। अगर आपके पास शिकायत होगी तो..।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको इसी में से एक उदाहरण बता रहा हूं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है। उसके कोर्स भी लिखे हैं। अब यदि इस कोर्स के बाहर वह एन.ओ.सी. के बाद भी कोर्स चला रहा है तो वह यूनिवर्सिटी उसको डिग्री देगी या उस नेचर की जो यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए वॉनिकी का विषय चला रहा है तो हमारी वॉनिकी की यूनिवर्सिटी डिग्री देगी या वही प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी उसको डिग्री देगी, यह बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसको आर्डिनेंस में या संशोधन में क्लीयर कर दीजिए या यह व्यवस्था कर दीजिए कि आप डिग्री नहीं दे सकते। हमारी यूनिवर्सिटी डिग्री देगी। हमारे यूनिवर्सिटी से affilicatin लेकर आप अपनी यूनिवर्सिटी में वह कोर्स चलाईये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह का कोई विरोधाभास होगा तो मैं उसको दिखवा लूंगा और में उसको करेक्ट भी करवाऊंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- भाभी जी को, मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। एजुकेशन में ध्यानाकर्षण नहीं आते, यह बड़ा विषय रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय :- बढ़िया है। धन्यवाद। श्रीमती इंदु बंजारे जी।

(2) <u>जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत तहसील नवागढ़ के ग्राम बरगांव में भू- माफियाओं द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर बिक्री किया जाना।</u>

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत तहसील नवागढ़ के ग्राम बरगांव में जिले एवं तहसील मुख्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से ख.नं. 1340/1, खसरा नं. 1340/2 एवं कई अन्य घास जमीनों तथा सरकारी जमीनों को भू-माफियाओं को लगातार विक्रय किया जा रहा है एवं सिलिंग की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा जिला एवं अनुभाग स्तर पर कई बार शिकायत किये जाने के उपरांत भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने से स्थानीय ग्रामीणों एवं आम जनमानस में शासन-प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत तहसील नवागढ़ के ग्राम बरगांव में जिले एवं तहसील मुख्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों की मिली भगत से ख.नं. 1340/1, खसरा नंबर 1340/2 जैसे कई अन्य घास जमीन एवं अन्य सरकारी जमीन को भू-माफियों को लगातार विक्रय किया जा रहा है, सिलिंग की भूमि में अधिकारियों के संरक्षण में कब्जा किया जा रहा है। यह कहना भी सही नहीं है कि ग्रामीणों द्वारा

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

जिला एवं अनुभाग स्तर पर कई बार शिकायत किये जाने उपरांत भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने से स्थानीय ग्रामीणों एवं आम जनमानस में शासन-प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है।

बल्कि वस्तुस्थिति यह है कि खसरा नं. 1340/1 मिसल एवं अधिकार अभिलेख में कुल रकबा 6.17 एकड़ जो घास मद में दर्ज है। वर्तमान में खसरा, पांचसाला वर्ष 2021-22 में रकबा 1.930 हेक्टेयर/4.77 एकड़ छत्तीसगढ़ शासन घास चराई मद में दर्ज है। शेष 1.00 एकड़ खलिहान 0.40 डिसमिल प्राथमिक शाला कुल रकबा 6.17 एकड़ दर्ज है। खसरा नं. 1340/2 मिसल, अधिकार अभिलेख एवं वर्तमान खसरा पांचशाला में कुल रकबा 0.30 एकड़ घास मद में दर्ज है। वर्तमान वर्ष 2022-23 के नामांतरण पंजी अनुसार उक्त खसरा नं. 1340/1 एवं 1340/2 का कोई खरीद-बिक्री नहीं हुआ है।

तथ्य यह है कि ग्राम बरगांव में वर्तमान में कोई सीलिंग भूमि नहीं है तथा सीलिंग की भूमि में अधिकारियों के संरक्षण से कब्जा संबंधी कोई शिकायत/आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अत: स्थानीय ग्रामीणों एवं आम जनमानस में शासन-प्रशासन के प्रति कोई रोष व्याप्त नहीं है।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो ग्राम पंचायत पर..।

उपाध्यक्ष महोदय :- इंदू बंजारे जी, दो मिनट ।

सदन को सूचना

उपाध्यक्ष महोदय :- कार्यसूची के पद क्रमांक 5 तक का कार्य पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं कि सभा सहमत हैं।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, हम जो ग्राम पंचायत की गांव की बात कर रहे हैं, वह मेरे पैतृक ग्राम से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां पर गौचर भूमि है, जो शासकीय जमीन है उसको अधिकारियों की मिलीभगत से खरीदी-बिक्री किया जा रहा है। इसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा की गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी कि ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गयी था, जिसमें जांजगीर के अनुविभागीय अधिकारियों के द्वारा जांच कर तहसील नवागढ़ को यह लिखित में आदेश दिया गया था कि कार्रवाई करके जांच करें। उसके बावजूद सालों बीत गये हैं, लेकिन तहसीलदार के द्वारा न तो जांच की गई है और न तो कार्रवाई की गई है। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

से निवेदन करती हूं कि मंत्री जी इसी सदन में घोषणा कर दें कि वह जांच करायेंगे और जो अधिकारी मिलीभगत कर रहे हैं, उनकी जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही जानकारी दी है कि गांव में सीलिंग की कोई जमीन ही नहीं है। दूसरा, उसमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि माननीय सदस्य की जानकारी में है और यदि एस.डी.एम. के पास में जांच लंबित है तो हम उसको दिखवा लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, ठीक है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी। माननीय मंत्री जी, यह नवागढ़ क्षेत्र का मामला है और यह बरगांव मेरे विधानसभा क्षेत्र का है। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- वह तो बता रही हैं कि मेरे क्षेत्र का है।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं-नहीं।

श्रीमती इंदू बंजारे :- सर, बरगांव जांजगीर-चांपा जिले में मेरे पैतृक ग्राम से एक किलोमीटर की दूरी पर है।

श्री नारायण चंदेल :- मंत्री जी, क्या है कि आसपास के गावों में जो गौचर भूमि है, खेल मैदान है, मुक्तिधाम की भूमि है, वहां पर भू-माफिया लगातार सुनियोजित ढंग से कब्जा कर रहे हैं और कई बार लायन आर्डर की भी स्थिति बिगड़ती है इसलिए आप उसको चिन्हांकित करा लें कि ऐसे कितनी जमीन सरकारी हैं जो निस्तार की जमीन हैं, जहां पर निस्तार होता है? सार्वजनिक कामों के लिए जमीन नहीं है। आपको गौठान बनाना है, लेकिन जमीन नहीं है। खेल मैदान के लिए जमीन नहीं है। सामुदायिक भवन के लिए जमीन नहीं है और यह जो पूरा रैकेट काम कर रहे हैं, उसको अधिकारियों का संरक्षण है। बिना अधिकारियों के संरक्षण के वह रैकेट काम नहीं कर सकते। इसलिए हमारा आग्रह है कि आप उसकी पूरी जांच करा लें, जानकारी ले लें और ऐसे लोगों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई हो ताकि आसपास के गांव वालों में दहशत रहे।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है। माननीय मंत्री जी।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इंदू बंजारे जी ने जो बात संज्ञान में लाई, उसके बाद ही नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है तो एस.डी.एम. उसकी जांच कर लेगा और कोई उसमें गलत पाया जाएगा तो उसके विरूद्ध बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और हम जांच करवा लेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय राजस्व मंत्री महोदय, नेता जी के लिए नहीं तो दीर्घा की ओर देखकर कम से कम उनके सम्मान में घोषणा कर दीजिये कि मैं उनके कहे अनुसार कार्रवाई करूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- आ गया एस.डी.एम। उन्होंने एस.डी.एम. से कहा भी है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्षीय दीघा में कौन बैठी हैं, देख लीजिये न। घोषणा कर दीजिये, नेता जी का सम्मान बढ़ जायेगा।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैंने घोषणा कर दिया है।

श्री अजय चंद्राकर :- श्रीमती नेता प्रतिपक्ष जी बैठी हैं। आप घोषणा कर दीजिये।

समय :
1.30 बजे

नियम 267- "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

1. श्री अजय चंद्राकर
2. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
3. श्री सौरभ सिंह
4. श्री रजनीश कुमार सिंह
5. श्री चंदन कश्यप

समय :
1.30 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां एवं पंद्रहवां प्रतिवेदन

श्री सत्यनारायण शर्मा, सभापति :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां एवं पंद्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(2) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी प्रथम प्रतिवेदन

श्री धनेन्द्र साहू, सभापति :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी ।

(सदस्य, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव के सदन में उपस्थित न रहने पर)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(3) महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का षष्ठम्, सप्तम एवं अष्टम् प्रतिवेदन

श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल, सदस्य :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का षष्ठम्, सप्तम् एवं अष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अजय चंद्रकार :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- एक मिनट बघेल जी ।

श्री अजय चंद्रकार :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्मी ध्रुव जी महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का षष्ठम्, सप्तम एवं अष्टम् प्रतिवेदन रखेंगी । अमूमन कार्यसूची के सभी सदस्य उपस्थित रहते हैं। कार्यसूची इसीलिये दी जाती है । आपने उसके स्थान पर यदि किसी को रखने की अनुमति नहीं दी है और किसी ने रखा नहीं है तो यह प्रतिवेदन व्यपगत माना जायेगा कि वेलिड माना जायेगा ? इसकी व्यवस्था दीजिये चूंकि सदन के साथ यह मजाक बना दिये हैं । यह व्यपगत होगा या इसको बाद में रखा जायेगा और ऐसा कभी हुआ नहीं है ।

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबद्ध (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्मी ध्रुव जी के किसी करीबी का देहांत हो गया है इसलिये वह गयी हुई हैं ।

श्री अजय चंद्रकार :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहा हूं । आप इसमें व्यवस्था दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- देखिये, मैं दे रहा हूं न । जब भी कोई माननीय नहीं हैं तो उसकी जगह दूसरे माननीय सदस्य बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री अजय चंद्रकार :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप इसमें कहां बात का बतंगड़ बना रहे हैं ? उनके घर-परिवार में किसी का देहांत हो गया । चूंकि नियम-प्रक्रिया में है, नियम-प्रक्रिया के तहत् है उनकी उनुपस्थिति में कर सकते हैं । आप इतने बड़े विद्वान हैं, यह बात बोलते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत जी, आप बैठिए ।

श्री अजय चंद्रकार :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या है कि यह आसंदी का, विधानसभा का सबका अपमान होता है । सत्तारूढ़ दल की सदस्य हैं और वह कितनी देर के लिये अनुपस्थित हैं ? या आज के लिये अनुपस्थित हैं और इसकी सूचना भी सदन को नहीं है तो क्या उनको अधिकृत किया गया है, उनकी अनुपस्थिति की सूचना है, क्या है, कैसा है, यह सदन को बताना चाहिए न ।

उपाध्यक्ष महोदय :- है । चलिये, लखेश्वर बघेल जी ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी की लगातार उपस्थिति और नहीं उपस्थिति का प्रतिवेदन चंद्राकर जी को पेश करना अनिवार्य नहीं है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- आप थोड़ा शांत रहिये न ।

श्री अजय चंद्रकार :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब इस सदन की यह स्थिति आ गयी है कि आपकी उपस्थिति में ऐसे लोग व्यवस्था देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- उनकी बात को हम कहां सुन रहे हैं । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये हर बात में बोलते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय बृहस्पत जी, आप सहयोग करियेगा ।

श्री अजय चंद्रकार :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान) आपसे पूछकर, अनुमति लेकर ही बोल रहा हूं । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी के परिवार में देहांत हो गया है, क्या उनकी सूचना इन्हीं को देनी होगी कि सदन को देंगे ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्रकार :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या उन्होंने अपनी अनुपस्थिति की सूचना दी है, क्या आसंदी से अनुपस्थिति की कोई घोषणा हुई है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- परम्परा ऐसी है कि अगर सभापति नहीं हैं तो माननीय सदस्य पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री अजय चंद्रकार :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कितने बजे उनको अधिकृत किया ? यह सदन की गरिमा का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- लखेश्वर बघेल जी ।

(4) स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री लखेश्वर बघेल, सभापति :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(5) शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का बीसवां, ईक्कीसवां, बाईसवां, तेईसवां, चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां, एवं अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

श्री कुलदीप जुनेजा, सभापति :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का बीसवां, ईक्कीसवां, बाईसवां, तेईसवां, चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां एवं अट्ठाईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

1.35 बजे **मंत्री का वक्तव्य**

तारांकित प्रश्न संख्या-03 (क्र.-258) एवं परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या-29 (क्र.-391), दिनांक 06 मार्च, 2023 के संबंध में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री दिनांक 06 मार्च, 2023 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-03 (क्र.-258) एवं परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या-29 (क्र.-391) के उत्तर के संबंध में वक्तव्य देंगे।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 06 मार्च, 2023 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित माननीय सदस्य श्री नारायण चंदेल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-03 (क्र.-258) एवं श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य द्वारा पूछे गए परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या-29 (क्र.-391) के उत्तर के संबंध में अध्यक्षीय निर्देशानुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2023 को पूछे गए परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या-29 (क्र.-391) के उत्तर के परिशिष्ट-27 के प्रपत्र-ब के स्तंभ-2 में वित्तीय वर्ष 2022-23 (त्रुटि पूर्ण अंकित 2022-23) के अंतर्गत स्तंभ-5 में दर्शित केन्द्रांश की राशि रू. 40842.00 लाख, वस्तुत: **"आवासों के विरूद्ध आवश्यक केन्द्रांश की राशि"** है, न कि **"आवश्यक राशि के विरूद्ध प्राप्त केन्द्रांश राशि"**, जो उक्त परिशिष्ट के स्तंभ-13 में अंकित निरंक "(-)" से भी स्पष्ट होता है।

इसकी पुष्टि उक्त परिशिष्ट के स्तम्भ-17 शीर्षक **"शेष राशि"** से भी होती है, जिसमें शेष केन्द्रांश राशि रू. 40482.00 लाख, ही दर्शायी गयी है, जो स्तंभ-5 अनुसार दर्शित स्वीकृत आवासों के विरूद्ध आवश्यक केन्द्रांश की राशि के समान ही है।

अत: उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मेरे द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2023 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-03 (क्र.-258) एवं माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर द्वारा पूछे गए परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या-29 (क्र.-391) के उत्तर में विरोधाभासी एवं असत्य कथन नहीं किया गया है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मेरा जो प्रश्न था कि जहरीली शराब के कारण तीन लोग मर गये, उनका उत्तर अभी तक नहीं आया है। अच्छा अकबर जी दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आ रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी पढ़ा गया। त्रुटिपूर्ण है या नहीं है। हम 21 दिन पहले लगाते हैं। एकाध गलती स्वीकार्य होती है, ये तो गलतियां ही गलतियां और हां या नहीं, 30 ठोक प्रश्न का पढ़े हैं। तो सरकार कैसे चल रही है? क्या हमें इतना संशोधन स्वीकार करना चाहिए। संशोधन होता है, त्रुटिपूर्ण होती है तो क्या सदन ही स्पष्टीकरण के लिए है। विभाग में जो लोग उत्तर बनाते हैं, उनके ऊपर में कोई कार्यवाही नहीं होगी क्या? इन लोगों ने हर बात में मजाक का अड्डा बना दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एकाध त्रुटि चलती है। 2 त्रुटि चल जायेगी, पर इतनी त्रुटि ही त्रुटि नहीं चलती। क्या-क्या नहीं हो रहा है इस सरकार में। कोई गंभीरता ही नहीं है। इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए।

समय :
1.38 बजे **तारांकित प्रश्न संख्या-06 (क्र.-274) दिनांक 19 जुलाई, 2023 का पूर्ण उत्तर पटल पर रखा जाना।**

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री दिनांक 19 जुलाई, 2023 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-06 (क्र.-274) का पूर्ण उत्तर सभा के पटल पर रखेंगे।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 19 जुलाई, 2023 की प्रश्नोत्तरी सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-06 (क्र.-274) **"प्रदेश में मदिरा विक्रय में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही"** द्वारा श्री नारायण चंदेल पर चर्चा के दौरान आसंदी से प्रदत्त निर्देश कि उक्त प्रश्न का पूर्ण उत्तर कल सदन में रख दें, के परिप्रेक्ष्य में मैं आज दिनांक 20 जुलाई, 2023 को उक्त प्रश्न से संबंधित **क्रमश: (1) विभाग को विभिन्न करों से प्राप्त राशि में से किये गये व्यय की अतिरिक्त जानकारी (2) जिला जांजगीर-चांपा के ग्राम रोगदा में शराब सेवन से हुई तीन व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में,** अतिरिक्त जानकारी सदन के पटल पर रखता हूं।

समय :
1.39 बजे **सदन को सूचना**

उपाध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

उपाध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए दोपहर 3.00 बजे तक के लिए स्थगित।

(1:40 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय
3.00 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)**

<u>शासकीय विधि विषयक कार्य</u>

<u>(1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2023</u>

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 11, सन् 2023) पर विचार किया जाये ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए शासन विगत् वर्षों में सामान्य एवं अनुसूचित सभी क्षेत्रों में शिक्षा के विकास एवं उसके प्रचार, प्रसार लगातार कर रहा है । राज्य की स्थापना के बाद लगभग 114 विद्यालय हमको मिले थे, वे बढ़कर 285 हो गए हैं । इसी तरह से राज्य की उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों की संख्या 2 से बढ़कर 9 हो गई है। ऐसे ही निजी क्षेत्रों में आज के तारीख में 16 चल रहे हैं और 1 नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए यह विधेयक लाया गया है । मैं यही कहूंगा कि हमारे जी.ई.आर. को बढ़ाने के लिए और सुलभ बनाने के लिए इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास किया जाए ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई दी थी और भाभीजी को भी बधाई दी थी । सदन में बहुत कम अवसर आते हैं जब शिक्षा पर बहस होती है । आज ध्यानाकर्षण में बड़ी सार्थक बहस हुई और माननीय मंत्री जी ने उसमें उत्तर भी अच्छा दिया । उपाध्यक्ष महोदय, निजी विश्वविद्यालय की अवधारणा दुनिया में बहुत पहले से है । छत्तीसगढ़ में बाद में आई, जिस स्वरूप में आई वह थोड़ा अच्छा नहीं था । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खत्म कर दिया फिर हम नये स्वरूप में आए । सौभाग्य से उस दौर में उच्च शिक्षा का नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला था, वह छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा संकटकाल था । जब उस विधेयक को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में लाया गया तो माननीय महामहिम के सामने यह तय हुआ था कि हम निजी विश्वविद्यालय को ऐसी चीजों के लिए लाएं क्योंकि लाने के पीछे कारण था, जब छत्तीसगढ़ बना तो जी.ई.आर. डेढ़ से दो परसेंट था । उतने सरकारी संसाधन 6 हजार, 7 हजार करोड़ के बजट में नहीं थे । शिक्षा में मैं यह नहीं गिनता कि 15 साल किसका शासन, प्रशासन था । एक विकसित राज्य में हिंदुस्तान में 18-20 परसेंट का जी.ई.आर. उस समय होता था । छत्तीसगढ़ के माथे पर एक कलंक था कि हम इतने पीछे हैं । दूसरी बात यह थी कि शिक्षा के क्षेत्र में असंतुलन था । शिक्षा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

का मतलब दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, भिलाई होता था । बाकी जगहों में शिक्षा की किसी तरह की व्यवस्था नहीं होती थी । जब हम डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय से अलग हुए तो मात्र एक यूनिवर्सिटी थी, वह थी पं. रविशंकर शुक्ल । इस चुनौती का सामना करने के लिए इस विधेयक को लाया गया और यह परिकल्पना की गयी थी कि हमारे जो शासकीय विश्वविद्यालय हैं, जो कोर्स संचालित नहीं कर सकते, जो नियामक संस्थाएं हैं, AICTE हो, UGC हो और भी नर्सिंग काऊंसिल जितने भी प्रकार के Authorities हैं, बी.एड, डी.एड. को मान्यता देने वाली संस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं। हम असंतुलन को भी दूर करें और इसके बाहर के जो कोर्स हैं, खासकर जो जॉब ओरियेंटेड हैं, ऐसे कोर्स को हम मान्यता दें। मैं हर बार इस विधेयक में बोलता हूं, आज वह दौर आ गया है, आप पढ़िएगा कि एक विशेषांक निकला, उस विशेषांक में हमारे मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू भी है, भारतीय छात्र आजकल सबसे ज्यादा विदेश पढ़ने जा रहे हैं, चीन के बाद दूसरे नंबर में हम हैं। कोई भी नया सब्जेक्ट या University नहीं ला रहा है। हम ज्यादा संख्या बढ़ायेंगे तो मैं यह कहूंगा कि सरकार अपनी नैतिक दायित्वों से जो सामाजिक दायित्व हैं, उससे पीछे हट रही है। आज जब हम 1 लाख 10 हजार करोड़ के आसपास बजट में पहुंच रहे हैं, उसके बाद हम यदि निजी क्षेत्र को प्रमोट करते हैं, आप ISRO को देखिए, आपको जितने चंद्रयान 1,2,3 का नेतृत्व करते दिखेंगे, सारे साउथ इंडियन दिखेंगे। किसी समय में छत्तीसगढ़ में जितने इंजीनियर होते थे, वे सारे साउथ इंडियन होते थे। हमने University की संख्या बढ़ा दी, हमारे पास हर तरह की University है। हम नई तरह की University भी बना सकते हैं और यदि मान लीजिए शिक्षा मंत्री जी दिल्ली से मदद मांगते, कोई प्रोजेक्ट मांगते तो मैं समझता हूं कि शिक्षा के मामले में किसी को संकोच करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति बता देता हूं। मैंने उस दिन भी इस विषय में थोड़ा सा बोला था। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ में Graduation के कितने बच्चे निकलते हैं, मंत्री जी जवाब में जरूर बताएंगे और राज्य सरकार के पास पी.जी. की कितनी सीटें हैं ? मैंने अपने क्षेत्र की एक कॉलेज का उदाहरण दिया था, 200 सीटें हैं, आजकल छत्तीसगढ़ में भी कट-ऑफ नंबर आ रहा है तो लोग प्राईवेट कॉलेज में जा रहे हैं। निजी विश्वविद्यालय में जा रहे हैं। यह Cambridge, Stanford या Oxford University की तरह नहीं है। यह यूनिवर्सिटियां बाजारवाद के दौर में प्रवेश कर रही है। महात्मा गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ बनाया था या संपूर्णानंद जी ने विद्यापीठ बनाया था, कांशी विद्यापीठ जो बनी है, वह इस तरह की विद्यापीठ नहीं है। यह बाजारवाद पर बनी है। छत्तीसगढ़ सरकार मुश्किल से पांच साल में पी.जी. की 15 हजार सीट बढ़ाई होगी। यू.जी. की सीट की गणना मेरे पास नहीं है, मैं यह सोचता हूं कि वे भी 20 हजार से ऊपर की सीटें नहीं बढ़ी होंगी। मुख्यमंत्री जी कल बहुत सारे आंकड़े पढ़ रहे थे, मैंने पहली बार कल उनसे बाजीगरी आंकड़ों की भाषणबाजी सुनी। हम आंधप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तप्रदेश, से घूमकर कहां-कहां पहुंचे। सामाजिक क्षेत्रों में कितना बजट है, यह नहीं बताए। बहुत अच्छा बजट है,

कर्जभार बहुत कम हो रहा है, बजट अनुशासन है, IBFM में उनका अनुशासन है, सबमें अनुशासन हैं तो सामाजिक क्षेत्रों में कितना व्यय हो रहा है, जो सरकार का प्राथमिक दायित्व है ? आप एक भी नये कोर्स नहीं ला रहे हैं कि आप स्पेस साईंस ले आएं हों। आप आटोमोबाईल टेक्नोलाजी ले आए हों कि आप और कुछ ले आए हों, आप इसलिए नहीं लाना चाहते, इसलिए नहीं करना चाहते कि छत्तीसगढ़ में निवेश यदि फॉक्सकान आती है तो अहमदाबाद मांगता है, महाराष्ट्र मांगता है, गुजरात मांगता है, छत्तीसगढ़ के पास वह दृष्टि नहीं है कि हम नये क्षेत्रों को खाजें, नये विषय खोलें, नई चीजें लाएं और वह नया वर्किंग कोर्स तैयार करें। पूरी दुनिया में यह बात है कि भारत सबसे जवान देश होगा, 2040 तक चीन 65 साल की आयु तक पहुंच जाएगा। भारत सबसे नौजवान होगा, इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूं कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता है, जिसके बच्चे गोबर बिनते हैं और गोबर बिनकर अपना कैरियर बनाये हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप फिर से गोबर में पहुंच गये। अभी विश्वविद्यालय की बात हो रही है और आप गोबर में पहुंच गये। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- आप सिर्फ इतने भर के लिए खड़े होते हैं। अभी मैं आपकी प्रशंसा कर रहा था।

श्री अमरजीत भगत :- आप यह बताइये कि जिसके दिमाग में गोबर भरा है, वह उससे बाहर कैसे निकलेगा?

श्री अजय चंद्राकर :- आप इनको थोड़ा सा ठीक से सिखाइये। यह बात आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को भी समझ में आ जाएगी। छत्तीसगढ़ के नवजवानों को भविष्य के लिए तैयार करने का काम और उनको नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने का काम, उनको नये विषय उपलब्ध करवाने का काम और सरकारी क्षेत्र की जगह निजी क्षेत्र को इसलिए प्राथमिकता दी गई क्योंकि सरकार के पास संसाधन कम है। लेकिन जब हम निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं तो आप इसमें जितने विषय हैं, उनको पढ़ लीजिए कि इनमें से नये विषय कौन से हैं? इस विधेयक की लिस्ट आपके पास भी होगी। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन इसमें जिन विश्वविद्यालयों के नाम लिखे हैं, यदि वही व्यक्ति होगा तो फिर यह कॉलोनाइजर है। मैं यह नहीं जानता कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान रहा है? आप समझ रहे हैं न?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह योगदान की बात कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नेता का बेटा ही नेता बनता है, किसान का बेटा ही किसान बनता है और टीचर का बेटा ही टीचर बनता है? क्या दूसरा नहीं बन सकता है? इतने विद्वान होकर भी आप कहां भटक रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय :- इसके बाद आपका भी है।

श्री अमरजीत भगत :- आप बृहस्पत सिंह जी से सीखिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि असंतुलन को दूर करने के लिए हमने एक निजी महाविद्यालय स्थापना विधेयक लाया था। शायद आपने उसको स्वीकृत कर लिया है और उसके लिए कुछ बजट की भी व्यवस्था हुई है। माननीय मंत्री, मोहन मरकाम जी ने कहा कि क्या हश्र होगा? हमारे पास तो बहुमत है। आप तो इसको पारित कर ही लेंगे और मेरे भाषण का भी मतलब नहीं है, लेकिन क्या यह यूनिवर्सिटी अपना कैम्पस दंतेवाड़ा में बनाएगी, क्या यह यूनिवर्सिटी जशपुर में अपना कैम्पस बनाएगी, क्या यह यूनिवर्सिटी मानपुर-मोहला में अपना कैम्पस बनाएगी, क्या यह यूनिवर्सिटी दल्लीराजहरा में अपना कैम्पस बनाएगी और क्या सारंगढ़, चंद्रपुर व सराईपाली के इलाके में अपना कैम्पस बनाएगी? क्या शिक्षा का मतलब सिर्फ राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायपुर और बिलासपुर तक होता है ? आदिवासी व अनुसूचित जाति वर्ग को इसकी चिंता होती है और यह बिल उन क्षेत्रों में नये कोर्स, सस्ती शिक्षा, सस्ती उच्च शिक्षा, सस्ते कैम्पस, सस्ती अच्छी चीजें जैसी जरूरतों पूरा नहीं करता है। हम सिर्फ बाजारीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। आज जो हमारे राजकीय विश्वविद्यालय हैं और आपने दो विश्वविद्यालयों की घोषणा की। रमन सिंह जी के रिजम में मैंने एक बार एक दिन में तीन विश्वविद्यालयों का गठन किया था। डेढ़ साल के अंदर यू.जी.सी. से मान्यता मिल गई, बिल्डिंग का टेण्डर हो गया, जमीन एलॉर्ट हो गयी, काम शुरू हो गया और उसका कैम्पस बन गया। आपने पाटन जैसी जगह को तय किया है। मैं यह भी जानता हूं कि पाटन को क्यों तय किया गया है। लेकिन उसके बाद भी आप 5 साल में एक ईंट भी नहीं रख सके हैं। रायगढ़ उनका गृह जिला है लेकिन वहां भी एक ईंट तक नहीं रख सके। राजकीय विश्वविद्यालयों को कमजोर क्यों बनाया जा रहा है? आज हेमचंद विश्वविद्यालय का आर्ट का रिजर्ट छपा है। बी.ए. में 9,000 बच्चे फेल हैं और 6,000 बच्चे सप्लीमेन्ट्री आये हैं। राजकीय विश्वविद्यालय की स्थिति यह है। (शेम-शेम की आवाज) हमारे पास एक समृद्धि है कि हमारे पास सभी नेचर के विश्वविद्यालय हैं। टेक्नीकल, ओपन यूनिवर्सिटी, पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, वानिकी यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी और सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी हैं। केवल जनजाति विश्वविद्यालय भर नहीं है। यदि वह मांगते तो वह भी मिल जाती, लेकिन आपको तो राजनीति करनी है। आप दंतेवाड़ा या सीतापुर में कैम्पस बना लेते। मरकाम जी, आदरणीय गुरू जी बहुमत में सब पारित कर लेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति तब होती है, जब निजी विश्वविद्यालय को वहां पर दे, जहां उसकी जरूरत है। असंतुलन भी दूर हो। नये कोर्सेस भी आये। बाजारीकरण न हो। सरकार अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करे। आज की स्थिति में यह सरकार इसमें असफल दिख रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में शिक्षा के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत ही विद्वान साथी अभी वक्तव्य दे रहे थे । इन्होंने अपने समय में किनको यूनिवर्सिटी बनाया है, आपको मालूम है ? इन्होंने के.के. मोदी यूनिवर्सिटी बनाई है । इन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटी वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, हरिद्वार को यूनिवर्सिटी बनाई है

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

और हमने छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है । मैं बता दूं कि विश्विद्यालय बनने से हमारे प्रदेश के बच्चों का शैक्षणिक विकास काफी तेजी से हो रहा है । ये तो शहर के नजदीक रहते हैं, बड़े घराने से हैं । इनको क्या पता कि गरीब बच्चों को पढ़ने में क्या दर्द होता है ? जो दूरस्थ अंचल सरगुजा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोण्डागांव, बलरामपुर के बच्चे रायपुर में आकर पढ़ते हैं, उन बच्चों के बारे में सोचिए । हमारे पास गिनी-चुनी यूनिवर्सिटी है और बहुत कम एडमिशन हो पाते हैं । अगर कोई प्राईवेट सेक्टर की संस्था शैक्षणिक संस्थान् की ओर कदम बढ़ाती है, अगर वह संस्था हमारे प्रदेश के बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहती है तो इससे बड़ा अच्छा काम और क्या हो सकता है ? इनको बधाई देना चाहिए, बल्कि ये उसका विरोध करके छत्तीसगढ़ को अपमानित करने का काम कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, मैं आपकी ओर मुखातिब हूं, मैंने विरोध किया क्या ? आप किसी भी तरह की शिक्षा के लिए जो भी कदम उठाएंगे, उसका समर्थन है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ बनने के बाद हम लोगों ने पहले 16 निजी विश्वविद्यालय बना चुके हैं और 17वें विश्वविद्यालय के लिए आज यह पवित्र सदन अनुमति देने जा रहा है । इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं । हमारे मित्र यह भी भूल गए थे और उच्च शिक्षा मंत्री को बार-बार शिक्षा मंत्री कहकर पुकार रहे थे, आप रिकार्ड को दिखवा लीजिए क्योंकि वे इतने ज्यादा विद्वान हो गए हैं, उनको यही पता नहीं कि कुत्ते को भी । Love you कहने लगे हैं इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है, किसानों को उनके उपज का अधिक रेट देने, उनका अधिक धान खरीदने का काम कर रही है । वहीं उनके बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर गरीब से गरीब बच्चे को, अंतिम छोर में रहने वाले बच्चे को भी अंग्रेजी बोलने का, पढ़ाने का काम यह सरकार करा रही है । ऐसे मौके पर मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं । (मेजों की थपथपाहट) हमारी सरकार यहीं नहीं रूकती, उसके आगे की प्लानिंग हमारे सरकार की है कि जो बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता हो चाहे वह केन्द्रीय स्कूल में पढ़ ले, नवोदय विद्यालय में पढ़ ले, एकलव्य विद्यालय में आप बच्चों को पढ़ा लीजिए, चाहे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा लीजिए, लेकिन उसके आगे की पढ़ाई के लिए अंग्रेजी कॉलेज खोलने की प्लानिंग हमारी सरकार ने करके रखी है कि आगे चलकर हम इंग्लिश मीडियम महाविद्यालय भी चालू करेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अगर सभी संभागीय स्तर पर इंग्लिश मीडियम महाविद्यालय खोलने की योजना बनाई है । मुख्यमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि आपने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल इतना ज्यादा खोला है कि एडमिशन के लिए बच्चों की भरमार है, लाईन लगाना पड़ रहा है । भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और सांसद लगातार पत्र लिख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के बच्चों को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इन स्कूलों में एडमिशन दिया जाये क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हैं और उनका एडमिशन मेरिट के आधार पर हो रहा है । उसी तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करने के बाद बच्चों के लिए आगे पढ़ने की जगह नहीं है, उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने तय कर लिया है कि संभागीय स्तर पर भी इंग्लिश मीडियम कॉलेज भी चालू करेंगे । मैं तो कहूंगा कि जिला स्तर पर भी यह चालू होना चाहिए । अगर वह नहीं हो सके तो पी.पी. मॉडल में प्राईवेट यूनिवर्सिटी को मान्यता देने में हमें परहेज नहीं करनी चाहिए। आज हमारे पास दावड़ा विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव आया है, मानव रचना एजुकेशन सोसायटी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैं सदन की ओर से बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को उच्च शिक्षा की ओर पढ़ाने के लिए अग्रसर हों और इससे प्रोत्साहित होकर बहुत सारे कॉलेज आ रहे हैं । सरकार को इतना काम जरूर करना चाहिए कि समय-समय पर इसकी गुणवत्ता पर नजर रखनी चाहिए । कुछ विश्वविद्यालयों का रिजल्ट आया है, रिजल्ट देर से आया है, उसमें बहुत से बच्चें फेल हो गए हैं। तो हमें उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जहां हम उन्हें विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दे रहे हैं, वहीं पर हमको उस पर निगरानी रखने की आवश्यकता है ताकि वहां अच्छी पढ़ाई हो, पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छी हो, बच्चे बेहतर पढ़ाई कर सकें, हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। इस पर भी नजर रखें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर आपसे आग्रह करता हूं कि मानव रचना एजुकेशन सोसायटी को श्री दावड़ा विश्वविद्यालय के नाम से नया विश्वविद्यालय खोलने मान्यता प्रदान की जाये। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इस नये विश्वविद्यालय से हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विधेयक लाया है। अभी हमारे प्रदेश में 16 Private universities हैं और इस विधेयक के बाद हम 17वीं Private universities को अनुमति दे रहे हैं। Private universities में से 14 Private universities सिर्फ इसी क्लस्टर में है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई इतने में ही 14 Private universities हैं। वही चीज माननीय अजय चन्द्राकर जी बोल रहे थे। ये university क्या बस्तर में नहीं खुल सकती ? क्या यह university सरगुजा में नहीं खुल सकती ? यदि हम Private university को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो जो geographic disbalanceहै, उसको क्यों नहीं देख रहे हैं ? हम एक ही जगह को क्यों शिक्षा का केन्द्र बना रहे हैं उसका de-centralization क्यों नहीं कर रहे हैं। यही एक चिंता थी।

श्री बृहस्पत सिंह :- सिंह साहब, एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक आग्रह करना था। मुझे आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना था कि आप जो विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, उसमें भी सरकार की ओर से यह होना चाहिए कि जो हमारे सरगुजा, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे क्षेत्र हैं, वहां भी निजी महाविद्यालय खोला जाये। यदि हो सके तो वहां भी निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये। हमने वहां उद्योग लगाने के लिए उद्योग नीति में छूट दिया है, A-B-C श्रेणीकरण

करके निर्धारित किया है, वहां के विशेष छूट प्रदान की गई है। उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष छूट देकर ट्रायबल क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, geographic disbalances को हटाना चाहिए। को वहां पर university खोलना चाहिए। आप यहीं पर क्यों खोल रहे हैं ? किसी भी प्रायवेट संस्था को university खोलना है तो आप यहां के लिए अनुमति मत दीजिये, उनको conditionality लगाईये। आप बलरामपुर में खोल दीजिये, आप वहां के लिए conditionality लगाईये। उस conditionality के बाद भी यह profitable institution है। अभी सदस्य मोदी university के बारे में बात कर रहे थे। मेरी जानकारी के अनुसार जो श्री दावड़ा विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, वह एक बिल्डर खोल रहा है। जब एक बिल्डर university खोल रहा है तो यह सब profitable institution है। यहां पर profit making institutions है, यहां पर जो हमारे बी.पी.एल. कार्डधारी के बच्चें हैं, जो बच्चें अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग से आते हैं, जिनके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती है, उसमें क्या व्यवस्था होनी चाहिए। उनके फीस में कितनी कमी होगी, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, उसका भी यहां पर निर्धारण होना चाहिए। अगर हम उनको बार-बार अनुमति दे रहे हैं। मैं यहां पर बोल रहा था कि यहां जो 14 university है, 3 university बाहर हैं। एक कोटा में है, एक गरियाबंद में है और एक रायगढ़ में है। रायगढ़ की जो university है, वह छोटी है और वह सिर्फ टेक्नीकल साइड पर फोकस करती है, जिन्दल की university है। बाहर की कोई university नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, university में जो education दे रहे हैं, उस education में क्या क्वालिटी शिक्षा दे रहे हैं? किस लेवल का education दे रहे हैं? आज हमारा बच्चा वहां जाकर पढ़ रहा है तो उसके मॉ-बाप किस परिस्थिति में फीस को पटा रहे हैं। उसका फीट पटाने के बाद उनके मॉ-बाप को क्या मिल रहा है ? वह बच्चा क्या technically qualified हो रहा है ताकि वह competition में भाग ले सके ? समस्या क्या आती है कि वह बच्चा आई.टी.आई. कर लिया, वह बच्चा पढ़ लिया और पढ़ाई के बाद वह बच्चा competition में खड़ा होता है, आपको maximum नौकरी कहां मिलेगी ? maximum नौकरी government सेक्टर में है तो government सेक्टर में competition के द्वारा जाना पड़ेगा। competition में stand नहीं कर पाता है तो फिर वह फ्रस्टेड होता है और अनइम्पायमेंट की समस्या होती है। प्रायवेट में नौकरी है तो प्रायवेट सेक्टर में भी उनको performance चाहिए और performance के बगैर नौकरी नहीं देंगे। तो क्वालिटी education के ऊपर..।

श्री अजय चन्द्राकर :- फ्रस्टेशन को कैबिनेट के ऊपर भी आ गया है। इसीलिए ऐसे बिल पारित हो रहे हैं। रविन्द्र चौबे जी फ्रस्टटेड, मोहन मरकाम जी फ्रस्टटेड।

श्री सौरभ सिंह :- तो Quality of education के ऊपर फोकस होना चाहिए। हम जो education दे रहे हैं, उसकी क्या Quality है। मैं जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटीज में अटेंडेंस का कोई फार्मुला नहीं है, जब छात्र जाते हैं, अपने हिसाब से अटेंडेंस लग जाती है, अपने हिसाब

से पढ़ लेते हैं, अपने हिसाब से पास हो जाते हैं, कौन सा ऑफ कैम्पस, कौन सा ऑन लाईन कैम्पस, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है ? ये सारी यूनिवर्सिटीज डिग्री देने की एक मशीन बन गई है । हमको डिग्री देकर उस बच्चे को नहीं लाना है, उसकी क्वालिटी को बनाना है कि जीवन में वह खड़ा हो सके । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो यूनिवर्सिटीज आई है, इसमें तीन-चार चीजें हैं, इसमें एक कोर्स है हॉटल प्रबंधन, अतिथि सत्कार, पर्यटन यात्रा । अगर यूनिवर्सिटी हॉटल प्रबंधनखोल रही है तो कृपापूर्वक बतायेंगे कि किस हॉटल के साथ उनका टाई अप है, कहां पर वह बच्चे ट्रेनिंग लेंगे, कहां पर वह फ्लोर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेंगे, 6 महीने बाद वह किस किचन में काम करेंगे, कहां पर वह वेटर का काम करेंगे, कहां पर वह लॉबी मैनेजर का काम करेंगे और वह फ्लोर मैनेजमेंट की डिग्री पायेंगे ? आपने लिख दिया, हमारे पास यहां पर संस्थान है, हॉटल मैनेजमेंट की संस्थान है, आप यह बता दीजिए कि किस हॉटल के साथ यूनिवर्सिटी का अटैचमेंट होगा, इतनी सारी जो यूनिवर्सिटीज खुली है, कितने फाईव स्टॉर हॉटल हैं, जिसके साथ अटैच नहीं है ? इसमें एक और कोर्स है, एम.फिल और पी.एच.डी., मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि अभी यूनिवर्सिटी खुली नहीं है, वहां पर कौन फैकल्टी में रहेगा, किस ग्रेड का आदमी उस फैकल्टी में रहेगा, क्या उसकी काबिलियत होगी, आप उसको एम.फिल देने लगे ? आप पी.एच.डी. देने लगे ? वह डॉक्टर बनकर घूम रहे हैं, यह क्या हो रहा है, क्यों शिक्षा के साथ मजाक कर रहे हैं ? अभी यूनिवर्सिटी खूली नहीं है और आप एम.फिल और पी.एच.डी. की डिग्री देना चालू कर दिये ? फिर यह डिग्री पैसे में बंटती है, इस ढंग से मत हो, मेरा यही आग्रह है । आपने बोलने के लिये समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय प्रमोद शर्मा जी ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय ।

<u>अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि</u>

<u>श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी, पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ विधान सभा</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी, पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा, अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं, सदन उनका अभिनन्दन करती है । (मेजों की थपथपाहट)

<u>शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)</u>

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय मंत्री जी का जो निजी विश्वविद्यालय खोलने का विधेयक आया है, यह निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिये, हमारे लिये बहुत अच्छी बात है । माननीय उमेश पटेल जी ऐसे मंत्री हैं कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का स्तर बढ़ा है और हमेंशा बढ़ेगा । माननीय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उमेश पटेल जी से एक और निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र बलौदाबाजार में भी ऐसे विश्वविद्यालय खुले...।

श्री अजय चन्द्राकर :- इस यूनिवर्सिटीज को तो आप बलरामपुर या सीतापुर में खोल दो । दावड़ा यूनिवर्सिटीज का कैम्पस, उधर अराजकता ज्यादा है, शिक्षा की ज्यादा जरूरत है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही स्वागतयोग्य है, छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटीज खुले, इससे हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को फायदा मिले। मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि बलौदाबाजार सीमेंट का हब है, 6-6 इंटरनेशनल सीमेंट प्लाण्ट है, ऐसा यूनिवर्सिटी वहां भी एक खुलवा दीजिए, ताकि युवा वर्ग सीमेंट टेक्नॉलाजी का कोर्स करके उन्हें फायदा हो और ...।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर साहब बलरामपुर में विश्वविद्यालय खोलने के नाम पर मजाक कर देंगे । मैं तो यही आग्रह करूंगा कि यह बात सच हो जाये कि वहां भी विश्वविद्यालय खोले जायें और वह निजी विश्वविद्यालय खुले ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कुलपति आप बन जाये ।

श्री बृहस्पत सिंह :- कुलपति मुझे नहीं बनना है । आप जो बोल रहे हैं, ये सरकार वह भी पूरा करेगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निजी विश्वविद्यालय में माननीय विधायक जी चांसलर भी बन सकते हैं । गवर्नर से हम लोग आग्रह कर देंगे कि इन्हीं को चांसलर बना दे । उसमें तो निजी क्षेत्र के लोग ही बनते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक-दो समस्या है, उसका समाधान कर दीजिएगा । खैर विधेयक में नहीं बोलना चाहिये, मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूँ । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय शैलेन्द्र पाण्डेय साहब ।

श्री शैलेन्द्र पाण्डेय (बिलासपुर) :- उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा एक और विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, छत्तीसगढ़ निजि विश्वविद्यालय स्थापना संचालन अधिनियम 2005 क्रमांक 13 सन् 2005 को और संशोधित करने का जो विधेयक है, मैं इसका समर्थन करता हूँ और मैं इस पर अपनी बात को रखूंगा । पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, जहां पर शिक्षा की वास्तविक जरूरत है । आपने अपने कार्यकाल में जो काम किया, आपने 15 साल सरकार चलाई, आपने छत्तीसगढ़ को समझा, जाना, आपने शिक्षा की जरूरत को समझा, आप दीर्घा में बैठे हुये हैं, आप भी शिक्षा मंत्री थे । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो एक पिछड़े राज्य की श्रेणी में आता है, इस बात से इंकार है क्या ? नहीं । इसके लिये कौन जवाबदार है । छत्तीसगढ़ को कौन चलाता है, छत्तीसगढ़ से चुनकर कौन आता है, आज यहां पर 90 विधायक हैं,

यह छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च सदन है, यहां पर तय किया जाना चाहिये कि हमारी जरूरत क्या । यदि आपने अपने कार्यकाल में विश्वविद्यालय खोले तो वह सब अच्छे थे और यदि हमारे मंत्री जी अपने कार्यकाल में विश्वविद्यालय खोल रहे हैं तो उसमें किंतु परंतु किसलिये है ? हमारे बहुत वरिष्ठ साथी श्री सौरभ सिंह जी बहुत अच्छे हैं, हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, मैं आपकी बात को क्रिटीसाइज नहीं कर रहा हूं। पहली बात, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई भी निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है तो वह यह प्रस्तावित करता है कि वह यह-यह कार्य करेगा, इसका मतलब यह नहीं है कि वह पहले दिन से ही यह-यह कार्य कर लेगा। यहां पर नंबर-5 एवं नंबर-6 में दो विश्वविद्यालय है, जो आपके कार्यकाल के है। उसमें भी यही सूची है, जो आपकी आज की सूची है। वह विश्वविद्यालय वह पाठ्यक्रम तब तय करते हैं, जब उच्च शिक्षा विभाग तय करता है कि हां इसका ऑर्डिनेंस पास हुआ है या नहीं हुआ है, जब वह ऑर्डिनेंस पेश करेंगे तब शासन तय करता है कि वह पाठ्यक्रम कब चलाना है। केवल सूची में डालने से यह काम तय नहीं हो जाता है, यह तब तय होता है, जब सरकार उसे अनुमति देती है। इसलिये सूची में डालने का मतलब सिर्फ यही होता है कि वह विश्वविद्यालय यह प्रस्तावित करता है कि वह शिक्षा के स्तर में इस स्तर की गुणवत्ता तक जा सकेगा, जहां पर वह शिक्षा को शोध कार्यों तक ले जा सकेगा और छत्तीसगढ़ में शोध भी करवाएगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है, यह सही चीज है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि अगर हम आज से 10 साल पुरानी यू.जी.सी. की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें भी यह तय था कि हमारे देश को और 1500 विश्वविद्यालयों की जरूरत है। आज पिछले 10 वर्षों में हमने कितने शासकीय विश्वविद्यालय खोले हैं, हमने निजी क्षेत्र में कितने विश्वविद्यालय खोले हैं ? आज से 10 साल पहले 1500 विश्वविद्यलाय की जरूरत हुआ करती थी। इसका मतलब यह है कि 10 साल पहले जितने छात्र-छात्राएं हिंदुस्तान में पढ़ते थे, आज उससे ज्यादा छात्र-छात्राएं हिंदुस्तान में पढ़ रहे होंगे, आज हमको उससे ज्यादा विश्वविद्यालयों की जरूरत है।

श्री अजय चन्द्राकर :- पंडित जी, क्या हमारी उम्र 23 साल है ? पूरे इतिहास में, आजाद हिंदुस्तान में जितनी सारी राजकीय यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में बनायी गयी है, यदि इतनी कम अवधि में किसी राज्य ने बनायी हो, तो आप शिक्षाविद हो, आप मुझे बताईये। आप हमारी उपलब्धियों में गर्व भी कीजिये।

श्री शैलेश पाण्डे :- उपाध्यक्ष महोदय, हमने कहां मना किया। हमने यह नहीं कहा कि आपने गलत किया, हमने यह कहा कि जो काम हम कर रहे हैं, वह भी सही है और सही दिशा में कार्य किया जा रहा हैं।

श्री अमितेश शुक्ल :- अजय भैया, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी कब बनाई गई है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- देखिये अमितेश जी, आपके लिये अब कोई चांस नहीं है। नो वेकेंसी। यह टाईम काटने की जगह नहीं है।

श्री अमितेश शुक्ल :- अजय भैया, व्यक्तिगत बात करने से कुछ होने वाला नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्रिमंडल का आखिरी पुनर्गठन हो गया है। आप लाख योग्यता दिखा लीजिये लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री अमितेश शुक्ल :- अजय भैया, मेरी बात का जवाब दीजिये। इधर-उधर बात नहीं करिये। आप कितना भी चिल्लाते रहिये उससे कोई मतलब नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप यहां घूमने के लिये आ जाते हैं।

श्री अमितेश शुक्ल :- आप यह बताईये कि पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी किसने बनाई है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके खड़े होने से मुख्यमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री अमितेश शुक्ल :- भूपेश बघेल जी को क्या बोल रहे हैं। प्रथम पंचायत मंत्री तो मैं ही रहूंगा।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- चन्द्राकर जी, वह पहले पंचायत मंत्री रहेंगे, उसके बाद ही तुम्हारा नंबर रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग आपस में टोका-टाकी न करिये। पाण्डे जी, आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बीच में लाख खड़े हो जाईये, केबिनेट में कोई बदलाव नहीं होना है। (व्यवधान)

श्री शैलेश पाण्डे :- भैया, बैठिये ना। तीन विधेयक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा दूसरी बात, यहां दो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उसमें अरूण वोरा जी आपसे ज्यादा तेज है, वह आज सुबह प्रमाणित हो गया है। आप उस समय यहां उपस्थित नहीं थे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजय जी आप भले ही दो बार पंचायत मंत्री बने हो, लेकिन प्रथम पंचायत मंत्री तो अमितेश शुक्ल जी ही है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कुछ भी कह लीजिये। लेकिन आज हमने अरूण वोरा जी को आई लव यू बोल दिया है लेकिन हम लोग अमितेश जी को बोलने से रहे । (हंसी)

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- आप बोलते हैं कि कुत्ता को आई लव यू बोलता हूं तो उनको क्यों बना रहे हैं ?

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चंद्राकर जी के दिमाग में दिल्ली वालों ने कूट-कूट कर यह बात भर दी है कि 2014 में जब मोदी जी आये हैं, तभी देश आजाद हुआ है, इसलिये चन्द्राकर जी यह बात बार-बार बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- पाण्डे जी, आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सम्माननीय वरिष्ठ साथी अपने कार्यकाल के बारे में बताना चाह रहे थे। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं कि जब यू.जी.सी. ने कहा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कि सभी विश्वविद्यालयों को च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में काम करना है। आप बताईये कि तब कितने राजकीय विश्वविद्यालय तैयार थे ? वह कितने साल तक तैयार नहीं हो पाये थे ? इस बात को मैं जानता हूं कि वे क्यों तैयार नहीं हो पाये थे। यू.जी.सी. ने कहा कि सारे विश्वविद्यालयों को सेमेस्टर वाईस परीक्षाएं लेनी होंगी। आप बताईये कि छत्तीसगढ़ के कितने राजकीय विश्वविद्यालय तैयार थे ? एक भी विश्वविद्यालय तैयार नहीं था और कई साल तक तैयार नहीं हो पाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- पंडित जी, सुनिये, माननीय चौबे जी, आपको बता रहा हूं कि आपका जो शासन है वह शिक्षा की उन्नति नहीं चाहता है। आपकी प्राथमिकता राजनीति करनी है। मैं उसके उदाहरण बता रहा हूं।

श्री शैलेश पाण्डे :- आप बातें करोगे तो वह ठीक है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप मेरी बात सुन लीजिए। हमने अर्जुन सिंह जी से आग्रह किया है उन्होंने बिलासपुर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया। हमने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को एन.आई.टी. घोषित किया। हमने उनसे खैरागढ़ विश्वविद्यालय के लिए पैसा मांगा। उन्होंने खैरागढ़ विश्वविद्यालय के लिए पैसा दिया। हमने उनसे जो तकनीकी शिक्षा विहिन जिले थें, उनके लिए उन्होंने तत्काल 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्वीकृति दी। माननीय अध्यक्ष जी कहां है? जांजगीर में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है। माननीय विनोद सेवनलाल चन्द्राकर जी होंगे तो महासमुंद में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है। यहां भाभी जी बैठी हैं वहां कांकेर और दंतेवाड़ा में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला। आप तो भाषण देते हैं आप छत्तीसगढ़ से कोई रूचि थोड़ी रखते हैं। हमने खुला दिल दिखाया तो हमको यह संस्थाएं मिलीं। मैं अर्जुन सिंह जी को हमेशा धन्यवाद् देता हूँ। आप राजनीति करना छोड़ दीजिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अजय भईया, यहां पर राजनीति की बात नहीं हो रही है। आपने जो बातें कहीं हैं उन बातों का यह जवाब है कि अगर आपने शिक्षा की गुणवत्ता की बात कही है क्या हम लोग शिक्षा की गुणवत्ता में काम नहीं कर रहे हैं? आपने यह बात कैसे कही ?

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह बोल रहे थे कि हमने उदार दिल से मांगा। अभी यहां तीन मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई। उसके लिए बजट में प्रावधान हुआ। केन्द्र सरकार से तीनों मेडिकल कॉलेज के लिए जो पत्र आना था, वह पत्र नहीं आया।

श्री रामकुमार यादव :- जइसे केन्द्र सरकार के बात कहिथे तो चेथी के रूंआ हा खड़ा हो जथे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय पाण्डे जी, आपने बहुत बढ़िया भाषण शुरू किया था। अजय चन्द्राकर जी ने कुछ बोल दिया तो आप थोड़ा रेएश हो गए।

श्री शैलेश पाण्डे :- नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो बोल रहा हूँ, वह आप सुन तो लीजिए। उससे क्या है आपकी लाईन लेंथ गड़बड़ हो गई।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अजय चन्द्राकर जी वरिष्ठ सदस्य हैं मैं उनसे बिल्कुल रेएश नहीं हुआ। वह हमारे आदरणीय हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह तो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रताड़ना से परेशान हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- पाण्डे जी, आपकी लाईन लेंथ गड़बड़ हो रही है। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आप इतना गुस्सा मत करिये।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- पाण्डे जी, आप गुस्से में बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा।

श्री शैलेश पाण्डे :- भईया, गुस्सा वाली बात ही नहीं है। वह गुस्सा हो गए हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- पाण्डे जी, आप बढ़िया बोलिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय धर्मजीत भईया, मैं गुस्सा नहीं होता हूँ। अजय चन्द्राकर जी गुस्सा होते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- पाण्डे जी, आपमें यही कला तो होनी चाहिए कि आप बिना गुस्से के भाषण दें। आप बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी ला कोचक ना।

श्री अमितेष शुक्ल :- तोर बात ला नइ सुनत हे तें बइठ जा। तें लगातार ज्यादा चिल्लाथस तेखर कारण तोर बात ला नहीं सुनत हे। कभी कभार चिल्लाए कर।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :-ए अजय भाई, काय बताना चाहत हस।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय चौबे जी, आज दुर्लभ संयोग है कि माननीय शुक्ला जी और माननीय अरूण जी दोनों साथ-साथ उपस्थित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, आपने अपना भाषण पहले बोल दिया है।

श्री रामकुमार यादव :- मेरे ददा को अभी मत जगाओ। मेरा ददा सोया है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्राकर जी को बीच-बीच में क्या-क्या झटके लगते रहते हैं। मैं तो रोज सदन में आता हूँ। आपकी सीट बदलनी पड़ेगी। आप बहुत सीधे सज्जन व्यक्ति हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ को ही नहीं, पूरे देश को उच्च शिक्षा के ऐसे संस्थानों की जरूरत है। अगर छत्तीसगढ़ राज्य तमाम् हमारे जो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चुनकर आये हुए जनप्रतिनिधि हैं, अगर वह इस बात का स्वागत करते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर इतने चिंतित हैं तो यह बहुत सौभाग्य की बात है। इससे यह तय होता है कि छत्तीसगढ़ का जो भविष्य उच्च शिक्षा में बहुत सुनहरा है । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो आज विश्वविद्यालय लाये हैं हम इस प्रकार से दो-चार विश्वविद्यालय और खोल चुके हैं। यह हमारी कोशिश है कि हम शिक्षा में प्राईवेट सेक्टर का participation भी रखें । हमने participation किया। आपने अपने कार्यकाल में क्या किया ? आपने 3 हजार स्कूलों को बंद कर दिये। आदरणीय बृहस्पत सिंह भईया ने इस बात का उल्लेख किया। हमने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलें, यह आपने उल्लेख किया। यह अच्छी बात है। शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी पहल की गई है तो यह बहुत अच्छी बात है। आज हमको इस बात की जरूरत है कि हम कितने ऐसे जॉब oriented संस्थान खोल सकते हैं। वह कोर्सेस कहां से आएंगे ? वह कोर्सेस कौन खोलेगा ? उसके लिए फण्ड कहां से आएगा ? अगर कोई संस्थाएं, देश की चुनी हुईं संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में रूचि रख रही है। जिन्होंने अन्य राज्यों में भी अपने विश्वविद्यालय बनाये हैं अगर वह हमारे राज्य में आकर विश्वविद्यालय खोलते हैं और यहां पर शिक्षा का काम करते हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। हमारे राज्य में जो निजी विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं, निजी महाविद्यालय काम कर रहे हैं हमें उनको और रिलेक्सेशन, सुविधाएं देनी चाहिए। हमारी सरकार ने माननीय मंत्री जी ने इस प्रस्ताव को पिछली बार विधान सभा में लाया था। आदरणीय सौरभ भईया, आपने कहा, आपने जो बात रखी।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप उधर देखिए। हम लोगों कोई देखने की चीज थोड़ी हैं?

श्री शैलेश पाण्डे :- नहीं। मैं बात को कनेक्ट कर रहा हूँ ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप उधर देखिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बात को कनेक्ट कर रहा हूॅ। आदरणीय सौरभ भईया ने जो बात बोली है विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों के बारे में बहुत अच्छी बात बोली। मैं उनका स्वागत करता हूँ। यह ऐसी जगहों में बिल्कुल होना चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूँ कि पिछले विधान सभा सत्र में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने एक विधेयक लाया था। उसमें हम लोग प्रस्ताव लाये थे कि हम छत्तीसगढ़ में ऐसी जगह पर महाविद्यालय खोलेंगे जहां प्राइवेट सेक्टर में और उनको सुविधायें देंगे। यह पालिसी लाये थे या नहीं लाये थे? यह पालिसी शासन ला चुका है।

श्री अजय चन्द्राकर :- पुराना बिल है।

श्री शैलेश पाण्डे :- पुराना बिल नहीं है। हम लोगों ने उसको संशोधन किया। हम लोग बिल को लाये हैं। हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि..।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, एक मिनट रहा न। जतका अच्छा होही, उही मन करत हे, जतका खराब हे, हमन किये हें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में सबको एक होकर, बराबर सोचना चाहिए। क्योंकि हमारा मुकाबला अन्य राज्यों से भी है। आप उस दिन केरल, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश का उदाहरण दे रहे थे। मैं कह रहा हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ का बच्चा भी आई.ए.एस., आई.पी.एस. और बड़ी-बड़ी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सलेक्ट होगा तो इससे हमारे छत्तीसगढ़ का नाम होगा। इसके लिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए। हमारा जी.ई.आर. का प्रतिशत कितना है। माननीय अजय भैया, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुए 23 साल हो गये हैं तो हमारा जी.ई.आर. कितना है ? माननीय मंत्री जी 25 प्रतिशत या 26 प्रतिशत कितना है ? आज छत्तीसगढ़ का जी.ई.आर. 22 प्रतिशत के आसपास है। यह 22 प्रतिशत जी.ई.आर. को बढ़ाना हमारे लिए चुनौती है। हमको 50-60 प्रतिशत तक जी.ई.आर. बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। हमने 40 प्रतिशत तक सुना है। यह 40 प्रतिशत जी.ई.आर. कैसे लायेंगे। अगर हम उच्च शिक्षा के संस्थान नहीं खोलेंगे तो इस क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ का जी.ई.आर. कैसे बढ़ेगा। हमको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि अगर अन्य राज्यों से हमारा जी.ई.आर. कम है तो उसे बढ़ाने की जरूरत है।

श्री अजय चन्द्राकर :- पंडित जी, आप शिक्षाविद हो।

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं शिक्षाविद नहीं हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छी बात है। जब आप राजनीतिक भाषण देते हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं कहां राजनीतिक भाषण देता हूं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सुनिये। आप 22 प्रतिशत, 42 प्रतिशत के लिए बधाई दे रहे हो न तो डेढ़, दो प्रतिशत की स्वीकारोक्ति कौन करेगा ? उसकी स्वीकारोक्ति पहले करिये न। डेढ़, दो प्रतिशत हमारे 50 साल के शासन में था। उसको कौन स्वीकार करेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय चन्द्राकर साहब, एक निवेदन है आप कितना भी छटपटा लीजिए छत्तीसगढ़ की जनता जब तक नहीं चाहेगी, उधर नहीं जा पायेंगे।

श्री शैलेश पाण्डे :- हमने यह नहीं कहा। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने भी उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए बहुत अच्छे काम किये। मैं आपको सबके सामने बधाई देता हूं, आपको भी देता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी को आप भी बधाई दीजिए न। आज अगर वह बिल लेकर आये हैं तो आप उनको बधाई क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी चन्द्राकर जी को एक नेक सलाह है। उधर तो कुछ होना नहीं है, आप इधर ही आ जाईये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में 03 जोड़ी है। एक अमितेश शुक्ल जी और अरूण वोरा जी उपस्थित हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी उधर बैठना चाहते थे और साहब, वह बैठ गये। कौशिक जी की जगह में बैठना चाहते थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अमितेश शुक्ल जी और अरूण वोरा जी उपस्थित हैं, रामपुकार सिंह जी और खेलसाय सिंह उपस्थित हैं, सत्यनारायण शर्मा जी भी उपस्थित हैं, धनेन्द्र साहू जी भर उपस्थित नहीं हैं। आप बोलिये, आपकी बढ़िया जोड़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, पाण्डेय जी, अपनी बात जारी रखें।

श्री शैलेश पाण्डे :- आदरणीय चन्द्राकर जी, एक बात बहुत जरूरी है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जोड़ी बनाने का काम तो आप ही लोगों के समय से शुरू हुआ है। बृजमोहन जी, प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। लेकिन बीच में ये दोनो तो थे आप उधर चले गये थे। एक जोड़ी वह भी है, वह पूरा प्रयास कर लिये लेकिन वह कभी इधर पहुंच ही नहीं सके, वहीं तक थे। फिर एक जोड़ी अभी भी है। शाश्वत रूप से वही जोड़ी चल रही है। नंबर दो और इधर। इनको दिल्ली तक पहुंचा दिये, आप लोग यही संघर्ष कर रहे हैं। जब तक आप इनको हटायेंगे, तब तक आप लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का भला होने वाला नहीं है। यह जोड़ी आप नहीं तोड़ सकते।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मुख्यमंत्री जी क्या है कि यह जो आप जोड़ी की बात बोल रहे थे न, सत्यनारायण भैया और यह (धनेन्द्र साहू जी) कहां चले गये। अजय जी यह ऐसे शेर हैं जिनका दांत और नाखून दोनों निकाल लिया गया है। उसके बाद भी आप जोड़ी की बात कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, 2018 से पूरे प्रदेश में जय और वीरू की चर्चित जोड़ी रही है। यह जोड़ी बीच में टूटी, फिर जय अभी जुडे हैं तो शोले का जय कौन होगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- बसंती पूछ रहे हैं या गब्बर सिंह ?

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, शोले का जय कौन होगा ?

श्री अजय चंद्राकर :- आप बसंती भी पूछ लीजिये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- मुख्यमंत्री जी, यानी गब्बर और सांभा कौन है? यह मामला है। यदि अजय जी उधर गये तो मैं बता रहा हूं कि आधा से ज्यादा इधर आ जायेंगे। (हंसी)

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का आशय यह था कि इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव तो ला दिया है, लेकिन ये खुद ही विश्वास खो चुके हैं। मैं सोचता हूं कि आगामी समय में कहीं भाजपा का विलय इधर तो नहीं हो जायेगा। आप लोग इधर तो नहीं आ जायेंगे। पूरी की पूरी। भाजपा का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, पांडे साहब, जारी रखिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम एक तरफ युवाओं के रोजगार की बात करते हैं। उस दिन यहां पर बेरोजागरी वाले मुद्दे पर कितनी गरमा-गरमी से बात हुई थी। हमारी सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है। हम क्या चाहते हैं। हम क्या छत्तीसगढ़ में बेरोजागरों की फौज इकट्ठी करना चाहते हैं? मैं यह कह रहा हूं कि अगर हमें छत्तीसगढ़ के युवाओं का बेहतर भविष्य देखना है, सुनहरा भविष्य देखना है तो हमको ऐसे संस्थानों की जरूरत है और अगर हमारी सरकार ऐसे संस्थानों को खोल रही है तो उसको सर्वसम्मति से पास किया जाना चाहिए, मैं ऐसा निवेदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने जो विधेयक लाये हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और ऐसे विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में और बनने चाहिए, जिससे छत्तीसगढ़ की उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज चार-चार उच्च शिक्षा मंत्री जी इस वक्त इस सदन में उपस्थित हैं। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के पहले उच्च शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। उनका भी आशीर्वाद हमको मिलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीया लक्ष्मी ध्रुव जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस समय इसी विषय को उठाया था। आप उसको देख लीजिये। आप सहमत हैं तो मैं उस विषय में ज्यादा नहीं बोलता।

उपाध्यक्ष महोदय :- दिखवा रहा हूं। चलिये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005 की धारा 9 (1) के अंतर्गत 16 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है और (स्थापना एवं संचालन) विधेयक, 2023 विधान सभा में लाया गया है। आज हम भू-मंडलीकरण (Globalisation) के युग में जीवन जी रहे हैं। भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। ऐसी स्थिति में यहां के विद्यार्थियों के लिए Globalisation के अनुसार शिक्षा व्यववस्था करना बहुत जरूरी हो गया है। ऐसी स्थिति में यह विधेयक लाया गया है। यह बहुत ही प्रशंसनीय है, उपलब्धि है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद, बधाई देती हूं एवं आभार व्यक्त करती हूं क्योंकि शिक्षा की कमी के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। मेरा सिहावा विधान सभा क्षेत्र चारों ओर जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहां बच्चों को जो आधुनिक शिक्षा मिल रही है, यह निजी विश्वविद्यालयों के माध्यम से मिल रही है। यह शिक्षा व्यवस्था को उन्नत, उच्च बनाने के लिए अभी-अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 377 स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाया, यह उसी की देन है और इंग्लिश मीडियम कॉलेज भी हमारे माननीय मुखिया की देन है। वह बहुत आगे की सोच रखते हैं और उनकी सोच बहुत अच्छी है, उत्कृष्ट कोटी की है। यह काम छत्तीसगढ़ बनने के बाद होना था, लेकिन उस दिशा में बहुत कम सोचा गया और जब सोचा गया तो धड़ाधड़ प्राईवेट कॉलेज खोले गए, जिसका परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में 50 से ज्यादा निजी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं । जिसकी स्थिति बहुत खराब है । मैं इसको और भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूं क्योंकि 10 सालों तक मैंने भी गर्व

इंजीनियरिंग एक निजी कॉलेज के तौर पर चलाया है और उनको कौन-कौन से नियम-कानून का पालन करना पड़ता है उसको मैं यहां पर रखना चाहती हूं । जो भी निजी विश्वविद्यालय बने हैं, वह ऐसे अचानक नहीं बनते हैं । बहुत अनुभव होता है, अनुभव होने के बाद उसके पास सारे नॉर्म्स होते हैं तब उसको बहुत मुश्किल से अनुमति मिलती है लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ को जो निजी विश्वविद्यालय दिये हैं । चूंकि इससे जो है, बच्चों को चूंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रवेश लेने में बहुत दिक्कत होती थी, एडमिशन नहीं मिलता था । मारे-मारे घूमते थे । हताश-उदास और निराश रहते थे । आज निजी विश्वविद्यालय होने से कम से कम यह अवसर तो नहीं है । बच्चे खुश हैं, विद्यार्थी खुश हैं । उनको कहीं न कहीं एडमिशन मिल रहा है और एडमिशन के साथ-साथ विषय का चुनाव हमारे जितने भी विश्वविद्यालय थे उनमें आधुनिक शिक्षा का अभाव था । ग्लोबलाईजेशन के अनुसार शिक्षा प्राप्त करना बहुत कठिन था । ऐसी स्थिति में यदि कोई बच्चा बी.एस.सी. फर्स्ट डिवीजन 75 परसेंट है और वह मनपसंद विषय में एडमिशन लेना चाहता था तो उसको नहीं मिलता था । उनको राहत कहां से मिली, यह निजी विश्वविद्यालयों के माध्यम से उनको राहत मिली है और साथ ही साथ निजी विश्वविद्यालय के कारण न केवल भारतीय बच्चे बल्कि विदेशी बच्चे भी पढ़ते हैं और जो खुली प्रतियोगिता होती है तो उससे प्रतियोगिता का वातावरण बना है उनको कैसे पढ़ना है, कहां जाना है । यह बच्चे अब समझने लगे हैं और आत्मविश्वास निरंतर बढ़ता जा रहा है । आज के हमारे जो भारतीय बच्चे हैं उनका कांफिडेंस लेवल देखिये और पहले के बच्चों में देखिये । बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो रहा है । युवाओं को रोजगार का बेहतर अवसर मिल रहा है । इसके साथ ही साथ जो स्थानीय व्यवसाय है उसमें कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनसे संबद्ध है और इसके कारण राज्य के आय में भी वृद्धि हो रही है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य की आय में वृद्धि करने में यह लोग मददगार बने हुए हैं और जो दुरस्थ क्षेत्र है । वहां के बच्चों को भी यह शिक्षा, चूंकि जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रहे थे उनको भी शिक्षा मिल रही है और उनके साथ-साथ प्रतियोगिता में वे भी शामिल हो रहे हैं । यह निजी विश्वविद्यालय की स्थापना होने से राज्य में बुद्धिमान मानव संसाधन और नौकरशाह भी बेहतर ढंग से मिल रहे हैं और पहले की तुलना में उनके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ रही है । कोई भी समृद्ध देश के लिये यह कहा जाता है कि संख्यात्मक की तुलना यदि गुणात्मक मानव समूह हो तो वह राष्ट्र समृद्धि की ओर तेजी से आगे बढ़ता है और यह काम जो है, सरकारी विश्वविद्यालय के साथ-साथ आज निजी विश्वविद्यालय भी सहयोगी भूमिका निभा रहा है और मैं कहती हूं कि यह केवल मध्य भाग में नहीं होना चाहिए । छत्तीसगढ़ में नॉर्थ की ओर भी इसका विकास होना चाहिए, साउथ की ओर भी होना चाहिए, ईस्ट की ओर होना चाहिए और वेस्ट की ओर विकास होना चाहिए । जब किसी प्रदेश में समान विकास होता है तो वह राज्य बहुत तेजी से आर्थिक समृद्धि की ओर जाता है । यह निजी

विश्वविद्यालय स्थापित होने से मैं यह कहूंगी कि यह जो शिक्षा दे रहे हैं, इसमें एक बात की सावधानी रखनी चाहिए । यह गुणवत्तापरक होना चाहिए और रोजगारपरक होना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ें और निकलें और वहीं से उनको पोस्टिंग ऑर्डर मिल जाना चाहिए तो मैं कहूंगी कि रोज-रोज निजी विश्वविद्यालय खुले और छत्तीसगढ़ आगे बढ़े तथा छत्तीसगढ़ के हमारे बच्चे बेरोजगार न रहें । वे जैसे ही पढ़कर निकलें, उन्हें रोजगार मिले। बेरोजगारी की चिंता उनके दिमाग में नहीं होनी चाहिए और मैं यही कहूंगी कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद बहुत तेजी से उच्च शिक्षा की तस्वीर बदली है और वर्तमान समय में भी बदली है और आने वाले समय में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यही कहूंगी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर की कमी है। इसको इसमें न लिया जाये। प्रोफेसर की कमी है, केवल एड-हॉक, संविदा पर नहीं चलाना चाहिए। परमानेंट प्रोफेसर की सभी कॉलेजों में जरूरत है और दूरस्थ क्षेत्रों में भी ध्यान देने की जरूरत है और मैं इससे खासकर बहुत आहत हूं, इसलिए मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि मेरे यहां सिहावा नगरी में केवल एक ही महाविद्यालय है और उस एरिया के दूर-दूर के जंगल और बांध को लांघ-लांघकर आते हैं तो मेरे यहां सारे सब्जेक्ट्स में परमानेंट टीचर दे देंगे तो मैं इसके लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगी और धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह बड़े संयोग की बात है कि उच्च शिक्षा के विधेयक पर चर्चा हो रही है और छत्तीसगढ़ के प्रथम उच्च शिक्षा मंत्री श्री सत्यनारायण शर्मा जी यहां बैठे हैं, आदरणीय रविन्द्र चौबे जी, जो उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, वे बैठे हैं, प्रेमप्रकाश पाण्डे जी, जो उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, वे भी यहां उपस्थित हैं। आदरणीय अजय चन्द्राकर जी, जो उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, वे भी यहां उपस्थित हैं और बांधी साहब, हालांकि वे अभी यहां उपस्थित नहीं हैं, लेकिन वे भी उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं। यह बड़े ही संयोग की बात है कि इस विधान सभा में आज 5-5 पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री यहां उपस्थित हैं और साथ ही साथ शैलेश पाण्डे जी, जो रजिस्ट्रार रहे हैं, शिक्षाविद् रहे हैं, उनकी भी उपस्थिति इस विधेयक के चर्चा के दौरान रही। डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जो प्रोफेसर रही हैं, उनकी भी उपस्थिति रही है तो यह बड़े ही अच्छे संयोग की बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- बृहस्पत सिंह जी भी हैं।

श्री उमेश पटेल :- ये हमारे प्रिय विधायक हैं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चर्चाएं हुईं, बहुत सारी बातें हुईं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चिंताजनक बात है कि जो हमारे स्कूलों की संख्या है और प्रतिवर्ष जो 12वीं से पास होकर हमारे बच्चे बाहर निकल रहे हैं, क्या हमारे पास उतनी सीटें हैं कि हम सभी को रेग्यूलर कॉलेज में accommodate कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, नहीं। हार्डली, जब मैंने ज्वाइन किया था तब 17 प्रतिशत था और आज के दिन में 22 प्रतिशत के आस-पास हम पहुंच पाये हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तो सिर्फ 22 प्रतिशत बच्चों को ही हम हायर एज्यूकेशन में accommodate कर पा रहे हैं। ये एक क्रोनिकल प्रॉब्लम है। यह प्रॉब्लम सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये ओव्हर-ऑल इंडिया का प्रॉब्लम है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से मुझे यह कहने में बिल्कुल हर्ज नहीं है कि हम कई स्टेट से इस स्थिति में बेहतर हैं। इसमें हमारे पूर्ववर्ती सरकारों का भी हाथ है। उन्होंने भी कई कॉलेज बनाये, कई यूनिवर्सिटीस बनाये और हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम नये कॉलेज, नये यूनिवर्सिटी चालू हों, जिससे हमारे 12वीं के बच्चे पास होकर निकल रहे हैं, उन सबको हम accommodate कर सकें।

श्री अजय चन्द्राकर :- भतीजे, आप दिन भर बढिया भाषण दे रहे हैं, लेकिन 5 साल में तो दो यूनिवर्सिटी को वर्किंग में नहीं ला सके। केवल बना दिये। उसमें तेजी लाओ न। अब क्या करोगे, अब केवल 3 महीने बाकी है। हमारे लिए छोड़ दोगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- आज के लिए तो बधाई दीजिए भाई कि अच्छा पूण्य काम कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज तो बोला कि दिनभर अच्छा भाषण दे रहे हैं। आप सुनते हो नहीं, इसीलिए अराजक स्थिति है। सीतापुर या बलरामपुर ले जाओ यूनिवर्सिटी को दावड़ा वाले को।

श्री बृहस्पत सिंह :- चलिए, आप चाह रहे हैं तो वो भी देंगे। वो भी मिलेगा।

समय
4.00 बजे

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो दूरस्थ क्षेत्र है, वहां कॉलेज और यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है । इसीलिए इन साढ़े चार साल के हमारे कार्यकाल में बस्तर क्षेत्र जो सबसे दूरस्थ है, जहां से आप आते हैं, हमारे मोहन मरकाम जी आते हैं, हमारे सभी बस्तर के साथी आते हैं। हमने पिछले पांच सालों में 8 नए कॉलेज शुरू किये हैं (मेजो की थपथपाहट) । सरगुजा में हमने यूनिवर्सिटी दी है, 2 कॉलेज खोले हैं । हमने दूरस्थ क्षेत्रों को हमने फोकस किया । उसके साथ-साथ माननीय शैलेश पाण्डे जी ने उल्लेख किया, अजय जी आप उसको गलत समझ गए । आपने कहा कि यह हमारे समय का है । नहीं, हम नई पॉलिसी के साथ आए हैं और हमारी पॉलिसी यह कहती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी यूनिवर्सिटी अपना कैम्पस अति पिछड़े या पिछड़े क्षेत्र में खोलता है तो हम उसको सहयोग देंगे, लैंड का भी सहयोग देंगे, पैसे से भी सहयोग करेंगे और पिछड़े और अति पिछड़े क्षेत्र में खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं । अजय जी, यह करने की आवश्यकता क्यों है ? इसलिए क्योंकि यही भविष्य है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं विधान सभा में बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं । विधान सभा से प्रोसीडिंग निकलवा लीजिए । मेरे कार्यकाल का दूरस्थ क्षेत्रों में और उसमें नोटिफाई था कि इन-

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

इन क्षेत्रों में यदि आप कॉलेज खोलोगे तो आपको यह-यह सहायता इतने वर्षों तक दी जाएगी । यह बिल इस विधान सभा में पारित है और बता दूं दीर्घा में बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा । आसंदी से तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष का संशोधन आया था कि इसमें यह-यह संशोधन किये जाएं, आप देख लीजिए। उसको आपने मॉडीफाई कर दिया । प्रोसीडिंग है यहीं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- हम यह मानते हैं कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया तो क्या इसका मतलब यह है कि मंत्री की शपथ दिलवा दें आपको ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने इसमें नया पीपीपी मॉडल शुरू किया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और अन्य लोगों से बातचीत चल रही है । हम बहुत जल्दी इसमें कोई न कोई नया एम.ओ.यू. साइन करने वाले हैं, प्रक्रिया में है । उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह भी कहा जो यहां कई लोगों की चिंता है । जो प्रायवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी खुलेगी उसमें फीस की क्या स्थिति बनेगी ? क्या हमको सरकारी रेट पर फीस लगेगी ? नहीं, उतना संभव नहीं है । लेकिन हमने उसमें अपर और लोवर लिमिट निर्धारित की है, आप इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते और इससे कम फीस नहीं ले सकते । इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं । माननीय सौरभ सिंह जी ने प्रश्न उठाया कि इसमें एफ.फिल है, पी.एच.डी. है । ये प्रस्तावित है । अभी इसमें काम होगा, अभी इसमें नोटिफिकेशन जाएगा, अनुमति लगेगी, इसमें बहुत सारी प्रकिया बची है । जब शुरूआत होती है तो बताता है कि हम इस इस क्षेत्र में काम करेंगे । उसको विधेयक के रूप में हम आगे बढ़ाते हैं लेकिन उसके लिए बहुत सारी अनुमति की आावश्यकता है । मैं यही कहूंगा कि ये जो यूनिवर्सिटी बन रही है यह छत्तीसगढ़ के छात्रों के हित में है और मैं पूरे सदन से अनुरोध करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यलय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बना।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी चले गये हैं तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पढ़ देंगे कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- वे तो एक बार पढ़ चुके हैं और पहले पारित कर चुके हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- उनको जाने की इतनी जल्दी क्या थी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप उसको पढ़ दीजिए ना।

श्री नारायण चंदेल :- पारित तो करवा लीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- प्रक्रिया पूरी कर दें।

श्री अजय चंद्राकर :- पूरा ट्रेनिंग नई दे हस ना, सब झन ला टोनहा बना दे हस। (हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- अगले पंचवर्षीय में सब ट्रेंड हो जाएंगे।

श्री ननकीराम कंवर :- सरकार आएगी तब ना।

श्री रविन्द्र चौबे :- सौ प्रतिशत सरकार आएगी, 71 से 75 पार। भाटो ज्यादा चिंता झन कर।

श्री अजय चंद्राकर :- आपका स्थान क्या रहेगा ?

श्री रविन्द्र चौबे :- जहां हैं, वहां तो रहेंगे ही। (हंसी)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं - छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023) पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्व सम्मति से पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(2) छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023) पर विचार किया जाए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने पहले भी बताया कि बहुत संक्षिप्त सा संशोधन है, केवल अनुसूची के मद 19 में क्रमांक 25, राज्य योजना मंडल के स्थान पर राज्य योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। शासन ने पहले ही समाचार पत्रों में घोषित कर दिया कि माननीय टेकाम जी को योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। अभी तक योजना मंडल के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होते थे, अब इन्होंने योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके शासन पहले घोषणा कर दी, समाचार पत्रों में छप गया। यह तो विधान सभा की अवमानना है। क्या कोई ऐसा सर्कुलर है जो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष होंगे, उसके बजाय शासन किसी को भी नियुक्त कर सकता है, किसी विधायक को नियुक्त कर सकता है। इसमें ऐसा संशोधन लाना चाहिए था। यह जो संशोधन लाया गया है, यह विधान सभा की अवमानना है क्योंकि समाचार पत्रों में यह पहले से छप गया था। समाचार पत्रों में छपने के बाद पता नहीं कि उन्होंने पदभार ग्रहण किया है या नहीं किया है? हमें यह मालूम नहीं है कि उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है या नहीं हुआ है? उसके बाद यह विधेयक लाया जा रहा है। इसलिए इस विधेयक के ऊपर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। शासन ने तो मान लिया कि वह पदभार ग्रहण कर चुके हैं। जब उन्होंने उनको अध्यक्ष बना दिया है तो उसके बाद कानून बनाने की क्या आवश्यकता है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको भाषण देने की क्या जरूरत है? पत्रकार समाचार पत्र में आकलन लगाते हैं। वह पत्रकार नियुक्ति थोड़ी न करते हैं। क्या समाचार पत्र वाले नियुक्ति करते हैं? समाचार में जो छप गया, क्या वही चलेगा ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ही बात है कि आप नियुक्ति करके अनुमोदन ले या संशोधन करके नियुक्ति करे। इसमें क्या दिक्कत है?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय मंत्री जी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बीच-बीच में क्यों बोलते हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाचार पत्रों में घोषणा की है कि माननीय टेकाम जी को योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जब मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर हैं और इस सदन के नेता हैं तो उनकी घोषणा के बाद यहां पर विधेयक लाया जाना इस सदन का अपमान है।

श्री बृहस्पत सिंह :- सर, यही तो सदन का सम्मान है। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं। यही तो सदन का सम्मान है कि नेता जी ने घोषणा की और उसके सम्मान में हम सदन में विधेयक लेकर आये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो शासन और माननीय मंत्री जी को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के बाहर घोषणा की, उसके लिए उनको

माफी मांगनी चाहिए। उनको इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि किसी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी हुआ है या नहीं हुआ है। हम इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। यह सदन की अवमानना है या नहीं है कि जिन चीजों को बाहर में घोषित कर दिया गया, उसके बाद सदन में विधेयक लाया जा रहा है तो यह सदन की अवमानना है और ऐसा विधेयक तो सदन में प्रस्तुत ही नहीं हो सकता है और इसके ऊपर विचार नहीं किया जा सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय :- संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री बृहस्पत सिंह :- यही तो सदन का सम्मान है कि नेता जी ने घोषणा की और हमने तुरंत उस पर विधेयक लाया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- माननीय मंत्री जी को बार-बार खड़े होने में तकलीफ होती है तो आप उनको क्यों परेशान कर रहे हैं?

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बृजमोहन जी ने व्यवस्था के प्रश्न में जो बात कही है, उस पर आपकी आसंदी से कोई व्यवस्था आ जाये, फिर सदन की कार्यवाही आगे बढ़े।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या आप इस संबंध में कुछ कहेंगे? मैंने तो पहले ही कह दिया था।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो केवल निरर्हता कानून में उसका उल्लेख किया गया है। उसमें संशोधन केवल एक लाइन का है। नियुक्ति और आयोग की तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि माननीय बृजमोहन जी ने प्रश्न उठाया कि क्या इसका नोटिफिकेशन हो गया और क्या पदग्रहण हो गया? चूंकि उनको पदग्रहण करना ही है और इसका आदेश भी होगा, इसलिए सदन के सम्मान में इसको पहले निरर्हता के कानून में समाहित करते हुए लाया गया है। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उद्देश्य और कारण पढ़ लीजिए। उद्देश्य और कारण में लिखा है कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्रमांक 16 सन् 1967) की अनुसूची के मद 19 की सारणी के सरल क्रमांक 25 में शब्द राज्य योजना मण्डल के स्थान पर शब्द राज्य योजना आयोग प्रस्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। जिससे ऐसे पदों के धारक विधान सभा के सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने से निरर्हित नहीं होंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह सही है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- संसदीय कार्य मंत्री जी, आपने यह लिखा है कि आप योजना मण्डल के स्थान पर योजना आयोग बना रहे हैं। वर्तमान में योजना मण्डल के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी हैं। उपाध्यक्ष विधायक या कोई भी हो सकता है। आप उसके नाम को परिवर्तित कर रहे हैं। जब आप उसके नाम को परिवर्तित कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे? ज़रा आप इसको स्पष्ट कर दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप यह बताइये कि इसमें आपको क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह जी होते थे और हम लोग उसके सदस्य होते थे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने तीन अध्यक्ष बनाये या नहीं बनाये?

श्री अजय चंद्राकर :- हम लोग कुछ और बात कर रहे हैं। भैय्या, आप वहां यूनिवर्सिटी खोलिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय बृजमोहन जी और माननीय अजय जी, दोनों संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी थे, यहां तक तो ठीक है। इसमें आपने आखिरी में जो बात कही कि इसके उद्देश्य और कारण में लिखा गया है। यदि माननीय जनप्रतिनिधि भी अध्यक्ष बनते हैं तो उनको निरर्हता से बाहर किया जाएगा। इसमें केवल इतना ही संशोधन किया गया है। इसमें कौन रहेंगे और कौन नहीं रहेंगे और कौन इसका आदेश करेगा, यह कोई बात नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर आपको याद हो तो हमने पूर्व में इसी सदन में यह प्रस्ताव रखा था कि जब कोई नये संशोधन विधेयक लाए जाएंगे तो पुराने विधेयक को यहां पर सदन में रखा जायेगा, जिससे कि सदस्य उसको पढ़ सकें । वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हैं तो योजना मण्डल का नाम परिवर्तित कर दिया तो मुख्यमंत्री अध्यक्ष हैं तो फिर आप यह संशोधन विधेयक ला रहे हैं, वह किसलिए ला रहे हैं और क्या इसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष नहीं होंगे ? आपके नियमों में पहले यह है कि मुख्यमंत्री स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष होंगे । अब आप इसको परिवर्तित कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ? आप अपना स्थायी आदेश निकलवाकर देख लीजिए कि जब भी कोई नया संशोधन विधेयक लाया जाएगा तो पुराना संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिससे कि सदस्य उसका अध्ययन करके उसके ऊपर में बहस कर सकें ।

श्री रविन्द्र चौबे :- पुराने उपाबंध में जो संशोधन है, वह विधेयक में लगा हुआ है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाबंध में है, लेकिन पुराने विधेयक में क्या है ? अगर हमारे पास पुराना विधेयक नहीं होगा तो हम उसमें कैसे बहस करेंगे ? क्या पुराने संशोधन में इस बात का उल्लेख है कि मुख्यमंत्री उसके स्थायी अध्यक्ष होंगे । अगर आज मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष हैं..।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- इसमें कौन होंगे, यह तो प्रश्न ही नहीं है । केवल उसमें निरर्हता कानून में समाहित किया जा रहा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर आज मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष हैं तो किन नियमों के तहत हैं, यह बता दें और पुराना अध्यादेश बता दें ।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, दो अलग-अलग बातें हैं । आप समझते हैं । अगर कोई मंत्री किसी आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है तो इस कानून से वैसे भी वह बाहर है । माननीय मुख्यमंत्री या कोई दूसरे मंत्री मंत्रिमण्डल के बाहर होते हैं तो उसके लिए इस प्रकार के कानून निरर्हता के दायरे में अगर वे आ जाएंगे तो माननीय विधायक, जिसके बारे मे एक लाईन लिखा हुआ है, वे उसके अंदर समावेश हो जाएंगे। इसलिए निरर्हता कानून को लाया गया है । आप भी इस बात को समझते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष जी, कल मैंने इस विषय में विनियोग में बातचीत की थी, उसको बृजमोहन जी ने आज व्यवस्था के प्रश्न में उठाया । योजना आयोग बनाया गया है, उसको ऑफिस ऑफ प्राफिट से अलग करना है । योजना मण्डल ऑफिस ऑफ प्राफिट से अलग है । नाम बदल रहे हैं या दो अलग-अलग संस्थाएं हैं या यदि नाम बदल रहे हैं तो योजना आयोग के चरित्र को बताना पड़ेगा कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे, सदस्य कौन-कौन होंगे । या उसी का नाम बदल रहे हैं, यदि पुराना है तो सिर्फ नाम बदल रहे हैं और बाकी कार्यशैली एक होगी, यह स्पष्ट नहीं है । यदि अर्हता से अलग कर रहे हैं तो फिर क्या नई संस्था बन गई, योजना मण्डल यथावत् काम करेगा और यदि वही संस्था है तो फिर मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली की स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी । क्यों ऑफिस ऑफ प्राफिट में संस्था बनी नहीं है और ऑफिस ऑफ प्राफिट से अलग है । कोई बनी हुई संस्था होती तो अलग बात थी । आप पुरानी संस्था का नाम बदल रहे हैं, वह पुरानी संस्था का क्या होगा और नई संस्था का स्वरूप क्या होगा, इस पर आप बोल नहीं रहे हैं तो जहां तक मेरा मानना है कि यह तो आपको बतानी पड़ेगी ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय अजय जी, आपके ही शासनकाल में 2010 में नाम बदला गया था । आदेश की कॉपी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे शासनकाल की बात नहीं है । आप विद्वान आदमी हैं, जो प्रश्न उठाया गया है, उसमें बोलिए न ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं बोल रहा हूं न । नाम बदलने की बात कह रहे हैं और दूसरा, यह जो परिवर्तन हुआ है, उसमें लिखा हुआ है । सरल क्रमांक 25 में राज्य योजना मण्डल के स्थान पर राज्य योजना आयोग प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसी में तो प्रश्न है । कोई नयी संस्था बनी नहीं है, उसको आप ऑफिस ऑफ प्राफिट से अलग कर रहे हैं । यदि आप अलग कर रहे हैं तो वह क्या काम करेगा, यह बताईए न ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष जी, जो राज्य योजना मण्डल बना है, वह क्या इस विधान सभा के विधेयक से बना है, कानून से बना है ? अगर वह इस विधेयक के कानून से बना है तो उस कानून में बिना परिवर्तन किए आप उसमें राज्य योजना मण्डल का नाम राज्य योजना आयोग कैसे कर सकते हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने ही किया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कैसे कर सकते हैं ? आपने कहा है कि परिवर्तन होगा । आपने कहा है कि राज्य योजना मण्डल अब राज्य योजना आयोग होगा तो राज्य योजना मण्डल किस कानून के तहत बना और राज्य योजना आयोग किस कानून के तहत बन रहा है तो आपने उस कानून में कोई संशोधन किया है क्या ? और बिना संशोधन किये आप निरर्हता कानून ला रहे हैं, परन्तु कारण और उद्देश्यों में अगर आप यह नहीं लिखते । आप लिखते कि खाली सदस्य की निरर्हता नहीं मानी जायेगी तो समझ में आता, आप निरर्हता कानून में संशोधन विधेयक ला रहे हैं और उद्देश्य में लिख रहे हैं कि राज्य योजना मण्डल का नाम बदलकर राज्य योजना आयोग किया जा रहा है। तो यह किस कानून के तहत बना है ? यदि नाम राज्य योजना आयोग किया जा रहा है तो राज्य योजना आयोग के नियम-कायदे कानून क्या हैं ? राज्य योजना मण्डल के कायदे-कानून क्या थे ? क्या वह विधानसभा की शक्तियों के तहत बनाया गया था ? अगर वह बनाया गया था और आप उसके नियम-कानून-कायदे में परिवर्तन कर रहे हैं तो आपको यहां पर उसका संशोधन विधेयक लाना चाहिए और उसके बाद निरर्हता कानून लाना चाहिए, हमारा आपसे इस बात का आग्रह है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, 2 बातों को एक साथ जोड़ रहे हैं। नाम परिवर्तन का आदेश पढ़कर सुना देता हूं। आपके समय का दिनांक 30 जुलाई, 2010 का आदेश है। राज्य शासन द्वारा मंत्रिपरिषद् के निर्णय 21 जुलाई, 2010 के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य योजना मण्डल का नाम बदलकर राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ किया जाता है। आपने नाम तो परिवर्तित कर ही दिया है। यह तो केवल राज्य योजना आयोग में नामांकित होंगे, उसके अर्हता-निरर्हता के सन्दर्भ में एक लाईन का प्रस्ताव है। आप जबरन बढ़ा रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तो फिर आप राज्य योजना मण्डल का उल्लेख क्यों कर रहे हैं। आपको कहना चाहिए कि राज्य योजना आयोग में ऐसा होगा। जब आप राज्य योजना मण्डल का उल्लेख कर रहे हैं तो दोनों की प्रति राज्य योजना मण्डल किन नियमों के तहत बना, राज्य योजना आयोग किन नियमों के तहत बना ? क्या वह विधानसभा के किसी कानून के तहत बना है ? आप उसके बारे में जानकारी दीजिये ? पुराना कानून क्या है, उसको यहां पर प्रस्तुत करिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, इन्होंने जो आदेश किया, लेकिन उस अनुसूची में वह शब्द बदला नहीं गया था। इसलिए उस नाम के स्थान पर नाम रखा जाये, केवल एक है। यह कानून अर्हता-निरर्हता के लिए लाया गया है। केवल एक पाईंट का यह संशोधन विधेयक है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, चर्चा शुरू करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, फिर आपको आपके प्राक्कथन में कहना था कि 2010 में राज्य योजना मण्डल का नाम बदलकर राज्य योजना आयोग कर दिया गया था, परन्तु उसकी अनुसूची में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है, यह आपने प्राक्कथन में नहीं कहा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने बाद में कहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बाद में नहीं, इसमें लिखना चाहिए था। जब विधानसभा में कोई कानून बन रहा है तो उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। यदि स्पष्टता नहीं होगी तो यह मामला हाईकोर्ट में जायेगा, कोर्ट से निरस्त हो जायेगा और हमारे विधानसभा की अवमानना होगी। आप जिस बात को अपने भाषण में कह रहे हैं, आपको उसी बात को प्रिंट करना चाहिए था कि नाम सन् 2010 में परिवर्तित कर दिया गया है और उसकी अनुसूची में परिवर्तन करना है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये अजय चन्द्राकर जी, चर्चा प्रारंभ करिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कतेक भाषण ला करवाबे, ओ हा दिन भर भाषण तो देत हे। खाली भाषण ही भाषण हे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह हमारी लेजिसलेसन असेम्बली है। इसका सबसे बड़ा काम कानून बनाना है। यदि हम गलत तरीके से कानून बनायेंगे और इसके ऊपर बहस नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, तो जनता हमें माफ नहीं करेगा कि कानून बनाते समय सदस्यों ने किसी प्रकार की बात नहीं की, बहस नहीं की, हमको प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। इसलिए माननीय डहरिया जी, यह बहस करने का विषय ही है। जब कानून बनता है तो उसके ऊपर पर्याप्त बहस होना चाहिए, इसलिए हम इसके ऊपर बहस कर रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि संसदीय कार्यमंत्री जी आधे-अधूरी तैयारी से इस बिल को प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे बृजमोहन जी और दूसरे माननीय सदस्यों ने जो बात उठाया, व्यवस्था के प्रश्न में इस बिल के औचित्य पर प्रश्न उठाया। मैं समझता हूं कि अगर आसंदी से उसकी व्यवस्था आ जाये, फिर चर्चा आगे बढ़ेगी।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय बृजमोहन जी कन्फ्यूज हो रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने व्यवस्था की बात की। इसमें मूल बात यह है कि योजना मण्डल के स्थान पर शब्द राज्य योजना आयोग प्रतिस्थापित करने के लिए माननीय मंत्री जी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ने इसका जवाब दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं कि इसमें जो नाम परिवर्तित किया जा रहा है, आपको उसका कारण समझ में आया क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं इसकी व्यवस्था दे देता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, आपको समझ में आया क्या ? आप ही बता दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- उसमें माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, स्पष्ट कर दिया है तो उसमें लिखा जाना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय :- और क्या बतायेंगे भाई ? इसमें माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। मैं समझता हूं कि इसमें आगे चर्चा किया जाये।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह परिवर्तन सीधा-सीधा राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। आप अपने राजनीतिक उद्देश्यों के हित में काम कर रह हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं समझता हूं कि इसमें बहुत हो गया। माननीय अजय चन्द्राकर जी, आप अपनी बात रखें। अजय चन्द्राकर जी, आप चर्चा करिये।

श्री नारायण चंदेल :- उपाध्यक्ष महोदय, अगर वह बोल रहे हैं तो कवासी लखमा जी इस बिल को प्रस्तुत कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, सहयोग करियेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष जी, हमें आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय संसदीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिये हैं, अब मैं समझता हूँ कि चर्चा करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, हमें आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है, इसमें आपकी व्यवस्था आ जाये । चूंकि यह कानून बनने वाला है । यह रिकार्ड में आ जायेगा । आपकी तरफ से व्यवस्था आनी चाहिये । इस बात का हमारा आग्रह है कि हम गलत नियमों के तहत कानून बनायेंगे तो विधान सभा के लिये अच्छा नहीं होगा, इसलिये आपकी तरफ से व्यवस्था आ जाये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- डहरिया जी, आप व्यवस्था दे रहे हो क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम] 1967 (क्र. 16 सन 1967) में संशोधन अनुसूची के मद 19 की सारणीं के सरल क्रमांक 25 में, शब्द राज्य योजना मंडल के स्थान पर, शब्द "राज्य योजना आयोग" प्रतिस्थापित करने हेतु है । जो विधान सभा के सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने से निवृत्त न हो, इस विधेयक से यह विधेयक लाया गया है । यह विधेयक किसी सदस्य को केवल निर्हर्तित न होने से छूट प्रदान करने के संबंध में है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसलिए आप हमारी आपत्ति को निरस्त करते हैं, यह भी बोलिये ताकि हम आगे करेंगे । दूसरा, आप पुराने सचिव महोदय से जानकारी ले लीजिए, जब आसंदी पर अध्यक्ष महोदय थे, तब उन्होंने कहा था कि भविष्य में कोई भी संशोधन विधेयक आयेगा तो मूल विधेयक और पुराना संशोधन विधेयक उसके साथ में लगाया जायेगा । आज भी जो तीनों संशोधन विधेयक आये हैं, उसके साथ में मूल विधेयक या पुराना संशोधन विधेयक नहीं लगाया गया है, उसके कारण भी चर्चा करने में हमको दिक्कत होती है । आप पूछ लें, आपका यह निर्देश हो जाये । सभी संशोधन विधेयक के साथ में मूल विधेयक और पुराना संशोधन विधेयक साथ में रखा जाये, जिससे कि सदन उसमें बहस कर सके ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, चन्द्राकर साहब ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार का जन्म ही विधायिका के अपमान के लिये हुआ है । मैं आपको बता दूं, यह स्पष्ट बात है, जब शपथ ग्रहण के लिये सत्र आहूत हुआ, एक मंत्री जी यहीं मौजूद हैं, घोषणा कर दिये कि राजिम कुंभ का नाम राजिम पुन्नी मेला होगा । सदन नोटिफाई हो चुका था, कोई बिजनेस नहीं था, कोई प्रश्नोत्तरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था ।

श्री अमितेश शुक्ल :- अजय भाई, राजिम मेला के बारे में मत बोलो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- महराज, यह अकल की बात है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- आप जैसे अक्लमंद आदमी नहीं समझ पायेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- खाने का काऊंटर ऊधर है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- राजिम मेला के बारे में मत बोलो । शंकराचार्य जी बोले थे कि यह कुंभ नहीं हो सकता । महामंडलेश्वर जी यहां पर बैठे हुये हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- खाने का काऊंटर उधर है, यह अक्ल की बात है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- ज्ञानी जी, राजिम मेला के बारे में मत बोला करो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी थोड़ी देर पहले रविन्द्र चौबे जी को बोले थे उसको अभी बोलो तो । अभी 10 मिनट पहले जो बात रविन्द्र चौबे जी के साथ कही, उसको फिर से बोलो ।

श्री अमितेश शुक्ल :- मैंने कोई बात सामने नहीं बोली, राजिम मेला के बारे में बोल रहा हूँ । पुन्नी मेला सही है । कुंभ कल्प बोल सकते हो, कुंभ मेला नहीं बोल सकते हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अमितेश जी, उधर खाना खाओ और जिंदगी का मजा लो ।

श्री अमितेश शुक्ल :-मैं पीने वाला काम नहीं कर सकता ।

श्री अजय चन्द्राकर :- खाना खाओ बोला, पीने वाला काम नहीं बोला ।

श्री अमितेश शुक्ल :- पीने वाला काम नहीं कर सकता प्रभु ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- इस सरकार का जन्म ही विधायिका के अपमान के लिये हुआ है, मैं यह बोल रहा था कि कोई प्रश्नोत्तरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, एक लाईन का आया कि राजिम पुन्नी मेला किया जायेगा, एक विधेयक । वह क्यों आया, जोश में नोटिफिकेशन के बारे में घोषणा हो गई । एकमात्र बिजनेस आया,उसको फुलफिल करने के लिये आया । नोटिफिकेशन हो गया, कहां है फर्जी अध्यक्ष जी किधर है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि कार्य जो हुआ है, वह इतना सही हुआ है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- एकाध बिजनेस में बोल दो ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- प्रथम पंचायत मंत्री है, आप उसके बाद बने हो ।

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर जी, भूल गये हैं कि आपसे पहले पंचायत मंत्री शुक्ल जी थे ।

श्री अमितेश शुक्ल :- आप मुख्यमंत्री तक प्रथम पंचायत मंत्री के बारे में बता चुके हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, एक दूसरी बात बताता हूँ । मेरे मुर्शीद बैठे हैं और मैं उनका मुरीद हूँ । वे जब इधर बैठे थे तो वे संसदीय सचिव के लिये कोर्ट में गये। जब पहले सत्र में ही यह नियुक्त हुए तो व्यवस्था का प्रश्न आया। इनको क्या अधिकार और शक्तियां दी जायेंगी, उसको सदन में बतायेंगे बोला गया। आप आसंदी की व्यवस्थाएं निकाल लीजिये। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप बताईये कि यह विधायिका का अपमान है या नहीं ? आपने कहा है कि उनको क्या अधिकार और शक्ति देंगे, हम उसको समय में अवगत करायेंगे। दूसरी बात, आप सबसे वरिष्ठम सदस्य है, आपसे प्रश्न है कि आपके कार्यकाल में विधायिका के अपमान की जितनी खगोलीय घटनाएं घटी है, उस पर मैं कल अविश्वास प्रस्ताव में आपसे शुरू करूंगा। आपको उसकी भूमिका बता देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपके सदस्य जो मंत्री बने हैं, क्या उनको मंत्री बनना चाहिए ? वह धन्यवाद प्रस्ताव में बाहर गये, अधूरा छोड़ा गया, आप बताईये कि संसदीय इतिहास में ऐसा कब हुआ है ? आपका जो क्रूर बहुमत है, उस क्रूर बहुमत में आपने विधेयक पारित करा लिया, आप बताईये कि ऐसा कहा हुआ है ? यदि वे इसलिये बाहर हुए कि वे सरकार से असहमत थे और यदि वे सरकार से असहमत है तो वह मंत्री कैसे बनें ? आप इस बात का खंडन करिये। आप विद्वान है, मैं जो बात बोल रहा हूं, उसको आप बताईये।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री कौन बनेगा, वह भी यह तय करेंगे ? मंत्री बनाने का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री जी को है। यह कैसे बोल रहे हैं कि मंत्री कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- चौबे जी, आप इसको बताईये, उसके बाद इस पर आगे बात करते हैं। अब तीसरी बात आपसे पूछता हूं और मैं इसलिये बोल रहा हूं कि कल आपके कार्यकाल के ऐसे 10 उदाहरण दूंगा जिसमें विधायिका का अपमान हुआ है। आप इसको पारित तो करेंगे ही लेकिन मुझे इस बात का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दु:ख है कि आप जैसे आदमी की उपस्थिति में विधायिका का निरंतर अपमान हो रहा है। आप यह बताईये कि आपने संसदीय सचिवों को क्या अधिकार और कर्तव्य दिये हैं ? आपने कहा था कि हम बतायेंगे। संसदीय सचिवों को दो कि.मी. और चार कि.मी. दूर से भी फाईल को देखने का अधिकार नहीं है, टेबल की, पांच-दस मीटर की बात को छोड़ दो। क्यों मेरे मुर्शीद ? सुबह आई लव यू से बात हुई, आई मोहब्बत यू। (हंसी)

विधि मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय सचिवों के अधिकारों के बारे में आसंदी से जो निर्देश आया था, उसे मैंने पूरा पढ़कर सुनाया और उस समय आप भी उपस्थित थे। अब मामला यह है और मैंने अनुमति ली थी कि हाई कोर्ट में जो भी मामला था और जो अधिकार थे, वह अंग्रेजी में है, तो मैं अंग्रेजी में पढ़ दूं। तब आसंदी से व्यवस्था आयी कि अंग्रेजी में पढ़ दो, अब आप उसको समझ नहीं पाये तो मैं क्या करूं ? (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आप आला दर्जा के आलिम आदमी है, इसमें मेरे मन में कभी कोई संदेह नहीं रहा है। लेकिन इस सदन में यह कहा गया था कि उनके अधिकार और कर्तव्य क्या है, उसको हम बतायेंगे।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैंने वही तो पढ़कर सुनाया था।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, उसमें यह कहा लिखा था कि रात को 12.00 बजे घर जाओ तो सायरन बजाते हुए जाओ। (हंसी) यह तो अधिकार में नहीं लिखा था।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, अब आप मेरी तीसरी बात का जवाब दीजिये कि नॉटिफिकेशन होने के बाद समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रेमसाय सिंह जी के बारे में जो आया, क्या उनको किसी भूत ने बताया, क्या उनको किसी जिन्न ने बताया कि प्रेमसाय सिंह टेकाम जी योजना आयोग के अध्यक्ष बन गये हैं ? आपकी क्या विश्वसनीयता है ?

श्री बृहस्पत सिंह :- आप अंधविश्वास की ओर बढ़ रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं या नहीं बोले हैं, इसको स्पष्ट कीजिये, फिर हम बहस को आगे बढ़ाते हैं। हम तो आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप इसका उत्तर देंगे। यदि आप स्वीकार कर लेते हैं कि इसका उत्तर नहीं दूंगा तो फिर मैं बहस आगे बढ़ाऊंगा। (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम की ओर देखते हुए) आप क्या करने जा रहे हैं ? मैंने इसीलिये आपको कल बोला था कि तेल और पानी नहीं मिलते हैं। आप इधर बहुत चिपके थे। आपके बाजू में श्री मोहन मरकाम जी बैठे हैं, उनको भारी, वजनदार कर दिया गया और हम अभी दो दिन से उनकी वजनदारी देख रहे हैं।

साहब, आपने बताया कि हमने नाम परिवर्तित किया है। योजना मंडल की जगह पर योजना आयोग का नाम बहुत दिन से परिवर्तित हो गया है। आज अचानक उसको निरर्हता कानून में शामिल

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करने की जरूरत क्यों पड़ी और योजना आयोग क्या-क्या काम करेगा ? उसकी वर्किंग कैसे होगी ? उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनेगा ? उसका कार्यकाल क्या होगा, कैसे होगा ? आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिये। हमने आदेश में बना दिया है। हम भूल गये हैं, आप बताईये। मुख्यमंत्री जी रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन व्यवस्था का प्रश्न तो व्यपगत हो गया है, उसमें व्यवस्था आ गई। चूंकि यह बिल नहीं लगा है जैसा आपने बताया कि वर्ष 2010 में योजना आयोग का आदेश हो चुका है तो योजना आयोग क्या-क्या काम करेगा ? उसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन होगा ? और इनका नाम कौन से जिन्न, भूत और प्रेत ने चला दिया। आप मानहानि का दावा जो ऊपर में मीडिया वाले बैठे हैं उनके ऊपर करेंगे क्या ? कि आपने फर्जी न्यूज छापी है। आप कुछ बोलेंगे ? साहब, मैं बैठूं आप कुछ बात बोलेंगे ? नहीं, मैं अब बैठता हूँ और आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। आप ही तो एक बोलने वाले हैं आप बोलिए कि आपके कार्यकाल में कौन सी खगोलिय घटना घट रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए। माननीय मंत्री जी बाद में जवाब देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैठ जाता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बोलिए। मंत्री जी बाद में उत्तर देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनसे सुनने के लिए आग्रह कर रहा हूँ। मैंने आज तक उनसे कोई गलत बात नहीं बोली है तो आज मैं उनसे कैसे गलत बात बोल दूंगा ? अगर मैंने कभी बोल भी दिया तो मैं तुरंत माफी मांग लेता हूँ। आप यह बताईये कि मैंने जिन विषयों को उठाया है आप इन विषयों में बोलेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय :- उनके उत्तर में आएगा।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अजय जी, आपने गलत बात नहीं बोली है और आज तक उन्होंने सही बात नहीं बोली है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप यह जान लीजिए कि आपके पास बहुमत है। आप यह कर लेंगे। हम जो भी व्यवस्था बनायें। जिन लोगों ने आपको यह बिल लिखकर दिया है हमने उनके बिल को देखा है और तीन वर्षीय मेडिकल कॉलेज में कितनी बहस हुई थी और उसके उत्तर क्या आये थे, हमें वह भी याद है। आप इस बात को समझ रहे हैं। आप विद्वान हैं, आपके पीछे वाले विद्वान साथी खड़े हो रहे थे, यह अति विद्वान साथी खड़े होते हैं। मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि हमने जिस संसदीय प्रणाली, वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली को स्वीकार किया है। रात भर एक-एक शब्द में बहस होती है कि इस कानून के इस शब्द का समाज, शासन, देश और देश की अस्मिता पर पड़ेगा। ऐसे legislation के अवसर कम आते हैं। आपने राजनीतिक घोषणा कर दी और उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए आप हमें कुछ भी बात पर सहमत करवा रहे हैं और यह दबाव डलवाते हैं, यह तथ्य रखवाते हैं कि साहब, यह छोटा सा विधेयक है। आपको यह छोटा सा लगता है ?आपको आपकी अंतर आत्मा माफ नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करेगी। आप ऐसा legislation करेंगे तो अपने आप को माफ नहीं कर पायेंगे। आपने देखा है कि अभी के कार्यकाल में हुआ है। मैं अपेक्षा करूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कौन गायब रहा है आप मुझे हिन्दुस्तान के लिए legislative history में बताईएगा। जो असहमत होता है वही गायब होता है और आप उस असहमत आदमी को मंत्री बनाते हो। तो आप इन सब बातों को लेंगे। मैं लाख तर्क दूं, उसका कोई अर्थ नहीं है। आप सारी बातें समझ रहे हैं। एक संवैधानिक व्यक्ति राजनीतिक प्रतिपूर्ति के लिए प्रेस में असत्य बयान देता है और उसके आप apparatus विधान सभा को बनाते हैं और आप इस पाप में भागीदार बनते हैं और विधान सभा की अवमानना करते हैं। मैं आपको इसके लिए क्या तर्क दूंगा ? आप अपने अंदर यह तर्क खोजिए और अपने दल के लोगों को सिखाईये कि हम विधान सभा जैसी संवैधानिक संस्थाओं का ऐसा दुरूपयोग राजनीतिक रूप में करते हैं, हम प्रचण्ड बहुमत का ऐसा दुरूपयोग करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री बृहस्तप सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे पूर्व विधान सभा अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। माननीय चन्द्राकर साहब, उनके सामने टी.आर.पी. बढ़ाने के लिए जोर-जोर से बोल रहे थे।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 के समर्थन में अपनी बात रखूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई बात नहीं हुई है। आप पहली बात तो यह बात बताईये कि क्या कभी आपको छत्तीसगढ़ में 71 की संख्या में बहुमत मिला? अगर आपको 71 का बहुमत मिला होता तो आपको यह बात समझ में आती कि प्रदेश में कौन सा काम क्यों किया जाता है और किसके लिये किया जाता है ? आप याद करिये कि जब वर्ष 2004 में आपकी सरकार बनी थी उस समय उच्च शिक्षा मंत्री श्री विक्रम उसेण्डी जी थे या नहीं थे ? उस समय उच्च शिक्षा मंत्री श्री विक्रम उसेण्डी जी थे और आपने कानून लाया, भारत सरकार ने कानून लाया कि केवल 15 प्रतिशत मंत्री रहेंगे। तो आपने उनको उस पद से हटाया और उनको बस्तर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कुछ बनाया था या नहीं? आपने उन्हें बस्तर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम कितने वरिष्ठ सदस्य हैं कई बार मंत्री बन चुके हैं अगर उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि उनको योजना आयोग का अध्यक्ष बनायेंगे तो उन्होंने क्या गलत किया है ? यह मुख्यमंत्री जी का अधिकार है और वह कर सकते हैं। उसके लिए अगर कानून बनाना पड़े तो कानून बनाने के लिए यह सदन है। हम कानून ला रहे हैं न, हमने संशोधन किया है न। हम उनको लाभ पद से हटा रहे हैं न। अगर उनको लाभ पद से नहीं हटायेंगे तो कल आप कोर्ट चले जायेंगे और कोर्ट में जाकर स्टे करायेंगे। इसके लिए संशोधन की जरूरत है। अगर इस सदन में कोई नई चीज हो रही है, कोई नई चीज सृजित की जा रही है तो उसका समर्थन करना चाहिए। उसका विरोध क्यों

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करना चाहिए। यह बात कोई नहीं समझ रहे हैं। हमारा 71 का बहुमत है, कहीं न कहीं कोई विधायक होता है, कोई मंत्री होता है, किसी को संसदीय सचिव बनाते हैं, किसी को कुछ-कुछ पद देते हैं। उनको किसलिए यह सब पद देते हैं, इसलिए देते हैं कि ताकि वह और अच्छा काम कर सकें। उनकी प्रतिभा का हम और अच्छा उपयोग कर सकें। अगर डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम जी की प्रतिभा का मूल्यांकन किया जा रहा है, उनको एक पद दिया जा रहा है तो कोई गलत नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और अगर पेपर में छप गया तो क्या गलत किया? माननीय मोदी जी जो बोलते हैं वह तो करते नहीं हैं। वह बोले थे कि 15 लाख रुपये देंगे, पेपर में छप गया, क्या 15 लाख रुपये दिये ? हम लोग जो कह रहे हैं वह कम से कम कर रहे हैं न। आपने बोला कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, पेपर में छप गया, क्या 2 करोड़ रोजगार दिया ? नहीं किया न। यह ऐसी बात नहीं है। हम यह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर यह घोषणा करते हैं तो मुख्यमंत्री जी का यह अधिकार है कि वह घोषणा कर सकते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप नियमावली को पढ़ लीजिए। अगर सत्र का notification हो गया तो मुख्यमंत्री भी बाहर घोषणा नहीं कर सकते। अगर 71 का बहुमत हो गया तो आपको यह अधिकार नहीं मिल गया कि आप नियमों के विपरित जाकर घोषणा कर लीजिए। दादागिरी कर लीजिए। आपको यह अधिकार नहीं मिल गया।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- मोदी जी ने जो 15 लाख रुपये देने की बात कही थी, नियमावली पढ़ी थी क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, शैलेश पाण्डे जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बाहर घोषणा कर दी तो कोई गलती नहीं की। आप बता दीजिए कि सत्र के notification के बाद मुख्यमंत्री बाहर घोषणा कर सकते हैं क्या ? आप संसदीय ज्ञाता हैं।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अजय चन्द्राकर जी अभी बाहर क्यों गये थे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आप बता दीजिए कि शैलेश पाण्डे जी सही बोल रहे हैं ? .. (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- दादागिरी तो आपके नेता बाहर आकर कर रहे हैं। .. (व्यवधान)

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुखिया हैं, वह घोषणा कर सकते हैं। कौन व्यक्ति को क्या पद दिया जायेगा, हम सरकार में हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- शैलेश पाण्डे जी, कानून के ऊपर कोई नहीं है। सत्र के notification के बाद घोषणा नहीं हो सकती। हम उसी चीज को बोल रहे हैं। आप हमारी बात को डिनाई कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब देखिये notification की बात आ गई। अभी तक notification की बात नहीं आई थी। आप पहले जो बात बोलते हैं, उस बात को बदल रहे हैं। notification की बात आई है या नहीं आई है, यह विधान सभा का प्रश्न है, यह विधान सभा तय करेगी..

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

.. (व्यवधान).. मुख्यमंत्री तय नहीं करते, मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है।

उपाध्यक्ष महोदय :- पाण्डेय जी, आप बैठिये, नेता जी कुछ बोल रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई बात नहीं है, आप प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी आये हैं, उनके सामने टी.आर.पी. बढ़ाने के लिए खूब जोर-जोर से बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह जी, आप थोड़ा बैठ जाईये। माननीय नेता जी खड़े हैं, आप बोलिये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इस सदन में कानून बनाने जा रहे हैं। जिस प्रकार से शैलेश पाण्डे जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी तो क्या हो गया ? मुख्यमंत्री क्या इस सदन से बड़े हैं ? मुख्यमंत्री क्या हैं ? इस प्रकार की बात कहना इस सदन का अपमान है। यह प्रजातंत्र का अपमान है। यह लोकतंत्र की हत्या है।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की बात कहां से आ गई। सदन अपनी जगह पर है, मुख्यमंत्री अपनी जगह पर हैं। वह अपनी गरिमा में हैं। सदन की बात नहीं है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है। सदन की गरिमा का अपमान नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये। माननीय नेता जी बोल रहे हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी के सम्मान में उनको बोलने दीजिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर व्यक्ति नियम से, कानून से बंधा हुआ है। हम ही यहां बैठकर कानून बनाते हैं। नियम, कानून और परंपराओं से हम बंधे हुए हैं और सदन से बड़ा कोई नहीं है। यह सदन मिलकर के कानून बनाता है। लेकिन हमारे सदस्यों ने व्यवस्था का जो प्रश्न उठाया कि अगर सदन का notification हो गया, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री जी या सरकार कोई घोषणा बाहर कर सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है। धर्मजीत साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था आ जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- हाँ, दिखवा रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह परंपरा रही है कि चाहे पार्लियामेंट हो या असेंबली हो। जब उसका सत्र आहूत होता है तो सदन के बाहर सत्ता में बैठे हुए कोई लोग उन विषयों के बारे में नहीं बोलते, जिनको घूम-फिरकर विधान सभा में कानूनी रूप लेने के लिए कोई विधेयक के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माध्यम से या कोई भी तरीके से यहां पर प्रस्तुत होना होता है। चूंकि आनन-फानन में बड़े बे आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, आपको निकाला गया, आपको बनाया गया। तो थोड़ा धैर्य रखना था न। 4 दिन के बाद इसी को आप ला देते और जब यह पास हो जाता, उसके बाद आप उनको ताजपोशी करते, रैली निकालते, जुलूस निकालते, लेकिन अभी भी उनके लिए इतनी बहस हो रही है, लेकिन वह डिप्रेशन में बैठे हुए हैं। (हंसी) जो आदमी 45 साल पहले मध्य प्रदेश में मंत्री थे। शायद रेवेन्यू मीनिस्ट थे। आप रेवेन्यू मीनिस्ट थे न?

श्री कवासी लखमा :- ठाकुर साहब, उनका अपमान मत करिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, हम अपमान नहीं कर रहे हैं। अपमान तो आपने किया है। हम तो उनका सम्मान कर रहे हैं। हम बता तो रहे हैं कि आज से 45 साल पहले वह मंत्री थे और जिस बेरहमी से उनको निकाला गया है, उसके बाद यह पद देकर उनको लालीपाप पकड़ाने का काम करने के लिए, वह भी तरीके से कर लेते।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप लोगों ने अपमान किया है तभी हम बोल रहे हैं। उनका सम्मान बल्कि अपमान किये हो।

श्री कवासी लखमा :- हम लोग हमेशा देने का काम करते हैं, लेने का काम नहीं करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, शैलेश पांडे साहब।

श्री धर्मजीत सिंह :- लालीपाप भी खिलाना था तो कोई अच्छी जगह में बैठाकर खिलाते। अब उनको बनना भी है और इतना फजीता करा कर उनको बना रहे हो। आपने उस दिन जबरदस्ती क्यों बोला था? इतनी घबराहट क्या थी?

श्री कवासी लखमा :- धर्मजीत साहब, इन लोग तो टिकट के लिए मारा-मारी हो रहे हैं। आप भी इधर-उधर पड़ोसी के चक्कर में कर रहे हो। वह मिलने वाला भी नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं दो दिन से देख रहा हूं, विधान सभा में तीन दिन से आपने डॉ. प्रेमसाय सिंह जी के चेहरे से मुस्कुराहट छीन लिया है। आपने उनके चेहरे का नूर खत्म कर दिया है। वह वहां पर चुप बैठे हुए हैं और जो बनने जा भी रहे हैं, उसके लिए इतना सीरिसर हो रहे हैं। आप घोषणा करिये कि योजना अध्यक्ष नहीं बनना है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- धर्मजीत जी, प्रेमसाय जी का कोई मुस्कान नहीं गया है। हम तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। यह तो प्रेम हैं। हम तो सबसे प्रेम करते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- आप सबेरे 6 बजे प्रतापपुर के लिए निकल गये थे। रात को आपसे इस्तीफा लिया गया और आप सबेरे 6 बजे चले गये थे।

श्री कवासी लखमा :- आपने पिछले 15 अगस्त में, आदिवासी दिवस में एक आदिवासी आदमी को पद से हटा दिया। उनका अपमान नहीं था। वह सब छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- इसलिए विधान सभा के बाहर यह घोषणा हुई है और उसके बाद इतना प्रताड़ित करने के बाद भी उनके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं है। भैया, ऐसा पद मत लीजिए। तीन महीने के लिए क्या कर लेंगे? यहां खड़े होकर घोषणा करिये कि मैं यह पद नहीं लूंगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चंद्राकर जी को नहीं मालूम कि आदरणीय प्रेमसाय जी डॉक्टर हैं और हमारी भाभीश्री भी डॉक्टर हैं इसलिए उनके चेहरे में हमेशा मुस्कान रहेगा ही।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, यह अपमान सिर्फ प्रेमसाय जी का ही नहीं हुआ है बल्कि जो आदमी जबरदस्ती विधेयक रख रहा है न, जिनके कार्यकाल में खगोलीय घटनाएं घटती है, उसको भी झुनझुना पकड़ा दिया गया है। नंबर दो हूं, ऐसा साढ़े चार साल जिसके दिमाग में बैठा था, उसको तुरंत इधर खिसका दिये। पांडे जी के बॉस जैकेट सिलवाकर आये थे। वह नये जैकेट के बाद अभी दिख ही नहीं रहे हैं। स्थान बदल गया, विभाग छीन गया, इनको वजन डाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय पांडे साहब।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनिये तो। यहीं और क्या घोषणा हुई कि नोटिफिकेशन के बाद उप मुख्यमंत्री की घोषण दिल्ली से हुई। यहां से नहीं हुई। यह सब घटना आपके कार्यकाल में घट रही है। उसको पूरा चित्रगुप्त लिखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय पांडे साहब।

श्री शैलेश पांडे :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बहुत वरिष्ठ हैं। उन्होंने कहा क्या कि मुख्यमंत्री जी सदन से बड़े हैं। वह भी इस बात को जानते हैं। मुख्यमंत्री जी इस सदन के सदस्य हैं और इस सदन के नेता हैं। क्या मुख्यमंत्री जी यह घोषणा सदन के भीतर करेंगे? ऐसा कभी होता है क्या? क्या (व्यवधान) की बात की जा रही है? सदन के बाहर यह घोषणा होगी, सदन उसका पालन करेगा। हमारी सरकार जिम्मेदार है। अगर उसने कोई घोषणा की है तो आपको दिक्कत किससे है? क्या आपको दिक्कत माननीय प्रेमसाय सिंह टेकाम जी से है? क्या उनके प्रित दुर्भावना रखते हैं कि उनको यह पद दिया जा रहा है?

श्री अजय चंद्राकर :- दस्तखत हो गया। आते तक 1 महीना और निकल जायेगा।

श्री कवासी लखमा :- माननीय पांडे जी, माननीय कौशिक जी को दिल्ली में बुलाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला और घोषणा वहीं से हुई है। ये हट गये तो इनको पद मिल गया। वहां से घोषणा होती है। अंदर घोषणा थोड़ी होती है।

श्री धर्मजीत सिंह :- इसको वैधानिक जामा पहनाते 1 महीना लगेगा। 1 महीना आपको कार्यालय खोजने में लगेगा। वहां टेबल-कुर्सी कुछ नहीं है और 1 महीने के बाद पेन का स्याही उतरना बंद कर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

देगा। प्रेमसाय-प्रेमसाय करते रहोगे तो प्रेमसाय के लिये स्याही नीचे नहीं उतरेगी । (हंसी) क्यों बन रहे हैं ? आप घोषणा करिये कि नहीं बनना है करके ।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023) का समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग इसको सर्वसम्मति से पास करें ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा जी ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- इन्होंने भी कोट सिलवा लिया था । मैं बनूंगा करके पाण्डे जी ने कोट सिलवा लिया था ।

श्री धर्मजीत सिंह :- पाण्डे जी को बता रहे हो । इनको साढ़े 4 सालों में झंडा नहीं फहराने दिये । एक 15 अगस्त और बचा है । चौबे जी से बोलकर सिफारिश करवा लो । नहीं तो दूसरे लोग फहरायेंगे और आप देखते रह जाओगे । उसी टाईप का हो जायेगा ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023) यह संशोधन विधेयक वास्तव में क्यों प्रस्तुत किया गया है ? माननीय मंत्री जी ने यह संशोधन विधेयक पेश करने का कारण नहीं बताया । वास्तविक कारण तो इस संशोधन को लाने के पीछे यह है कि कांग्रेस की आंतरिक कलह । कांग्रेस के आंतरिक कलह की स्थिति यह थी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की ओर से आदेश जारी होता है कि मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को हम उपमुख्यमंत्री बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और उसके बाद टी.एस. सिंहदेव जी उपमुख्यमंत्री बन जाते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी साल भर से लगे थे कि मोहन मरकाम विदा हो जायें । मोहन मरकाम जी की नाराजगी दूर हो जाये और मोहन मरकाम जी की नाराजगी तो ऐसी थी कि माननीय अजय चंद्राकर जी ने चर्चा की कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया और छोड़कर भाग गये । नाराजगी प्रकट की । मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास करते रहे । सशर्त अनुमति मिली कि अगर उनको अध्यक्ष पद से हटा रहे हो तो मंत्री बनाना पड़ेगा । अब मंत्री बनाना है तो 15 परसेंट की सीमा का बंधन है तो किसी न किसी को शहीद करना पड़ेगा तो शहीद कौन हुआ ? तथाकथित जय । आदरणीय राजा साहब के इकलौते समर्थक मंत्री आदरणीय प्रेमसाय सिंह जी की शहादत हो गयी, बलि दे दी गयी, अब यह शहादत हो गयी । (व्यवधान)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- उपाध्यक्ष महोदय, ये विद्वान आदमी क्या-क्या बोल रहे हैं ? जिंदा आदमी को शहादत का बोल रहे हैं । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घोर आपत्तिजनक है । यह शब्द घोर आपत्तिजनक है कि जो हमारे पवित्र सदन के सदस्य हैं उनको शहीद कहा जा रहा है । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको डांटिए न । (व्यवधान) आप इनको थोड़ा डांटिए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी । अभी डांटते हैं, डांट रहे हैं । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- क्या ऐसा [XX][5] को बोलोगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शहादत केवल मरने पर ही नहीं होती है । डॉ. प्रेमसाय सिंह जी की यह राजनीतिक शहादत हुई है और किसकी शहादत हुई, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव यानी राजा साहब के आदमी की शहादत हुई । अब राजा साहब को थोड़ी सी एनर्जी मिली । एनर्जी डिपार्टमेंट मिल गया । कुछ बोले होंगे, जैकेट पहनकर आ गये तो बोले चलो आपके आदमी को उपकृत करते हैं । योजना आयोग का अध्यक्ष बना देते हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से केवल यह पूछना चाहता हूं कि जब सत्र का नोटिफिकेशन हो गया तो सत्र के नोटिफिकेशन के पश्चात् क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकार है सदन के बाहर किसी व्यक्ति को योजना आयोग का अध्यक्ष घोषित करने का और अगर योजना आयोग का अध्यक्ष उनको घोषित कर दिया गया तो नीतिगत बयान देने के पहले यह संशोधन लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गयी ? सारी परंपराओं को तोड़ने का काम यह सरकार कर रही है । हम लोग तो यह मानकर चलते हैं कि माननीय हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी इस सदन के सबसे सीनियर लोगों में से हैं, संसदीय ज्ञाता हैं और उसके बाद यह परम्पराएं टूट रही हैं तो तकलीफ तो होती है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय धर्मजीत जी ने डॉ. प्रेमसाय सिंह जी से निवेदन किया है कि अगर थोड़ा भी स्वाभिमान हो तो इस पद को आपको अस्वीकार करना चाहिए और नहीं तो इस विधेयक में खड़े होकर बोलना चाहिए कि अगर मेरे लिये संशोधन लाया जा रहा है तो मैं इसको अस्वीकार करता हूं लेकिन आपके नेता में तो रीढ़ नहीं है । साढ़े 4 साल दुर्गति कर दी गयी, अब किस प्रकार दुर्गति की गयी वह बताने की आवश्यकता नहीं है । सदन का एक सदस्य उनके ऊपर आरोप लगाता है कि मेरी हत्या का षड़यंत्र रचा जा रहा है । नाराज होकर सदन छोड़कर चले जाते हैं और बाद में जैकेट पहनकर उपमुख्यमंत्री बनकर आ जाते हैं और वह भी खडगे बनाते हैं, ये नहीं बनाते न । अगर उसी दुर्गति को आपको प्राप्त करना है तो हमारी आपके प्रति पूरी सहानुभूति है। अगर स्वाभिमान है तो खड़े होकर बोलिए कि सब पद को मैं अस्वीकार करता हूं। सारे लोग आपका समर्थन करेंगे। क्या है माननीय मोहन मरकाम जी मंत्री बन गये हैं। पर चेहरे में जो मुस्कुराहट होनी चाहिए, जो एक नूर होना चाहिए, वह नूर नहीं दिख रहा है। उनको मालूम है कि 3 महीने में उनकी क्या दुर्गति होनी है।

[5] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मोहन मरकाम जी ने इच्छा जाहिर की थी कि मैं शिक्षा मंत्री बनना चाहता हूं। वो भी पूरा नहीं हुआ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- और मंत्री बनने के साथ ही [XX][6] प्रदर्शन हो गया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- और आपके मंत्री बनते ही लोगों के सामने में [XX] प्रदर्शन हो गया। सारे 25-50 कितने लोग [XX] घूम रहे थे? कितने थे?

श्री शिवरतन शर्मा :- 36 लोग।

श्री धर्मजीत सिंह :- 36 लोग [XX] घूम रहे थे। विभाग भी नहीं मिला, कोई मतलब तो है नहीं। अच्छा, आपको विभाग मिल भी जायेगा, जैसे आपको यहीं भारत का रक्षा मंत्री भी बना दें तो आप क्या कर लेंगे? आप रक्षा मंत्री भी बनेंगे तो आप 3 महीने में क्या कर लेंगे? (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- उपाध्यक्ष जी, ये सारे किस मुद्दे में बात कर रहे हैं? यह नंगा, पूंगा क्या है? ये समझदार आदमी हैं। ये इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं। बहस हो रही है। हमारे नये-नये मंत्री बने हैं, नये-नये चेहरे हैं? इसका क्या मतलब है?

श्री धर्मजीत सिंह :- आप कौन सी दुनिया में हैं?

श्री कवासी लखमा :- कौन सी दुनिया में क्या? आप क्या उनकी बेइज्जती करेंगे? जो बात करनी है, वह बात करिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं उसे नहीं कह रहा हूं। मैं कल के प्रदर्शन की बात कर रहा हूं। आप फालतू बात कर रहे हैं। कल के प्रदर्शन में हम न किसी की जाति का नाम लिये और न ही किसी धर्म का। कल इस प्रदेश में [XX] प्रदर्शन हुआ है।

श्री ननकीराम कंवर :- ये फालतू बात कर रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- आप बेइज्जती कर रहे हैं। आप बेइज्जती क्यों करेंगे?

श्री धर्मजीत सिंह :- कोई बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। मोहन मरकाम जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। मोहन मरकाम जी की हम आपसे ज्यादा सम्मान करते हैं।

श्री कवासी लखमा :- हम सुनेंगे तो कुछ भी बोलते रहेंगे आप। ऐसा हुआ, वैसा हुआ। हमारे मोहन मरकाम जी [XX] हैं । वह बस्तर का आदमी है तो आप कुछ भी बोलेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- मोहन मरकाम जी का और प्रेमसाय जी का हम आपसे ज्यादा सम्मान करते हैं। कल जो लड़के प्रदर्शन किये, उसमें किसी की जाति नहीं बोली गयी है, यह बोला गया है कि कल [XX] प्रदर्शन हुआ था और जो हुआ है, वह हुआ है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग मंत्री बनने के लिए संख्या बढ़ा दें तो सब ठीक हो जायेगा।

---

[6] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कवासी लखमा :- मोहन मरकाम जो को बोला। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- कौन बोला? (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- आपने ही तो बोला। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- कुल हुआ था, यह बोला। आप रिकॉर्ड देख लें। जो भी रिकॉर्ड में है, आप देख लीजिए। ये मंत्री जी बीच में कहीं भी रहते हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं और जब बोलना रहता है तो बोलते नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, माननीय शिवरतन शर्मा जी बात करेंगे। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- मोहन मरकाम जी मंत्री बन गये हैं तो इन्हें सहन नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के पवित्र सदन में..।

श्री शिवरतन शर्मा :- मोहन मरकाम जी को मंत्री बनाया गया तो प्रेमसाय सिंह जी का पूरा विभाग नहीं दिया गया। आधा विभाग निकालकर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को दे दिया गया और संसदीय कार्य मंत्री जी का एक विभाग ताम्रध्वज साहू जी को दे दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह जी, कृपया शांति बनाए रखे।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मेरा अनुरोध सुन लीजिए। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के लोगों ने चुनकर भेजा है और निर्वाचित सदस्य हैं। अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से 3 लाख, 4 लाख लोग चुनकर भेजते हैं, ऐसे माननीय [XX] सदस्यों को माननीय वरिष्ठ नेताओं द्वारा पवित्र सदन में अपमानित करना और घोर अपमानित करना घोर आपत्तिजनक है और ऐसे शब्दों को आप विलोपित करवाइए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- फिर [XX] शब्द। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं खड़े हो गया हूं। आप लोग बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय घोर आपत्ति वाली बात है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- ये लगातार [XX] नेताओं का अपमान कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं खड़ा हो गया हूं। आप लोग बैठिए। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- कांग्रेस के आपसी बात को बी.जे.पी. को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैडम आप बैठिए, मैं खड़ा हो गया हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम कानून की बात है तो ये उल्टे सीधे क्यों बोल रहे हैं? ये यहां पर कुतर्क कर रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप बैठिए। (व्यवधान) कृपया सीधे एक दूसरे से बात न करें। यह सदन चलना है। मैं यह कह रहा हूं। आप हो-हल्ला नहीं करेंगे। चलने दीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन यह पूरे सदन में अपमान चलेगा क्या?

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह जी, आप बैठिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- भरी सदन में अपमान होगा क्या? (व्यवधान) हम लोग अपने अपमान को देखते रहे क्या?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये हमारे नेता हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट। ऐसा नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- एक-एक करके बात करिए। आपस में एक-दूसरे से चर्चा मत करिए। शिवरतन शर्मा जी, आप बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस आसंदी की व्यवस्था है कि सभी सदस्य इस सभा के सदस्य हैं। जातिवाद का कोई उल्लेख नहीं करेगा। आप आसंदी की व्यवस्था को निकालकर देख लीजिए। एक। दूसरी बात माननीय धर्मजीत जी की बात निकलवा लीजिए। उन्होंने यह कहा कि आपके मंत्री बनते ही [XX][7] प्रदर्शन हो गया। उन्होंने जातिवादी शब्द का उपयोग नहीं किया। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिह :- ये लगातार अपमान करेंगे क्या? क्या ये भरी सदन में लगातार अपमान करेंगे क्या? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, माननीय शिवरतन शर्मा जी चर्चा जारी रखिए।

समय
5.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, माननीय शिवरतन शर्मा जी चर्चा जारी रखिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था के विपरीत बात कही गई है । जातिवादी बात की गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग आपस में सीधे चर्चा न करें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री बन गए तो तीस मार खां हो गए क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं दिखवा लूंगा, रिकॉर्ड में होगा निकवा दूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उन्होंने बोला है, हमने सुना है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अगर होगा तो दिखवा लूंगा । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- जाति का उल्लेख नहीं होगा, यह अध्यक्षीय व्यवस्था है।

[7] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री हो तो क्या बिना सिर पैर की बात करोगे । हमने कोई जातिवाद की बात नहीं की । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोग विधेयक में जो कमी है उस पर बात करिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप रिकॉर्ड देख लीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं दिखवा लूंगा अगर ऐसी कोई बात होगी तो कार्यवाही से विलोपित भी करवा दूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इन्होंने [XX][8] बोला है । आप विलोपित कीजिए (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने बोल दिया है, मैं विलोपित कर दूंगा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- भरे सदन में आप लोग अपमान करने का काम करेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी की भी जाति का उल्लेख नहीं किया है । आप रिकॉर्ड देख लीजिए, अगर मैंने किसी की जाति का उल्लेख किया होगा तो आज विधान सभा से साढ़े बजे इस्तीफा देकर जाउंगा । लेकिन अगर इस प्रकार की बात कोई करेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे । (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छे वातावरण में हम चर्चा कर रहे थे । माननीय धर्मजीत जी ने, शिवरतन जी ने, अजय जी ने और हमारे विपक्ष के बाकी माननीय सदस्य । लेकिन अचानक सदन को उत्तेजित करना और बेवजह उत्तेजित करना । धर्मजीत जी ने किसी सदस्य के ऊपर किसी प्रकार की जातिगत टिप्पणी नहीं की है । आप रिकॉर्ड दिखवा लीजिए । बार-बार इस प्रकार का दृश्य उपस्थित होना । हम सदस्यों से बात करते हैं तो जाति कहां से आ जाती है ? हमारे यहां इस सदन में सब लोग समान है, यहां हम जाति वर्ग की बात कभी नहीं करते । हम व्यवस्था की बात करते हैं और हम चोट करते हैं तो व्यक्ति के ऊपर नहीं करते, व्यवस्था के ऊपर करते हैं । सदन को दूसरी दिशा में ले जाना, मीडिया में दूसरा छपवाना, ये उचित नहीं है । इस पर आपकी व्यवस्था आनी चाहिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात भी सुन ली जाए । व्यक्तिगत रूप से हमारे पूर्व ट्रायबल मंत्री को और व्यक्तिगत रूप से वर्तमान ट्रायबल मंत्री को टारगेट करके भरे सदन में अपमान करेंगे, यह बर्दाश्त नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय:- चलिए मंत्री जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या अपमान किया है, प्रोसीडिंग निकलवाइए अभी। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- नाम लेकर बोले हैं ।

[8] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- लगातार टारगेट करते रहे हैं, लगातार हमारे मंत्री का अपमान करते रहे हैं । किसी एक व्यक्ति को अपमानित करना उचित नहीं है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- बैठिये, बैठिये । मैं व्यवस्था दे रहा हूं । (व्यवस्था)

श्री अमरजीत भगत :- इनकी आदत में शुमार हो गया है । मोहन मरकाम जी का नाम ले लेकर चंद्राकर जी बार-बार अपमानित करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं संबंधित माननीय सदस्य द्वारा यदि..।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने क्या बोला है, मेरी बात को सुन लीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- आप बोलोगे तो सब सही है, दूसरा बोलेंगे तो गलत है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप मुझे यह बताईए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय उपाध्यक्ष जी, वे लगातार हमारे पूर्व मंत्री को अपमानित करते रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- भरी सदन में चंद्राकर जी ने क्या बोला। कुत्ता तक को सम्मान दिया। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष जी, आप मेरी बात सुन लीजिए जहां से बात शुरू हुई। आप मेरी बात सुनिए, किसी की बात मत सुनिए। पहली बात यह है कि ...।

श्री अमरजीत भगत :- कभी मोहन मरकाम जी को, कभी प्रेमसाय सिंह जी को गाली दे दिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में [xx][9] तक कहा था। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उपाध्यक्ष महोदय, यह लगातार गलत शब्द का प्रयोग किए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बोलिए मैं आपकी बात सुन रहा हूं। आप सब लोग बैठिए, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। मैं व्यवस्था देना चाह रहा हूं, आप लोग सुनते नहीं हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- इन्होंनें [xx] शब्द प्रयोग किया था, क्या यह उचित था। (व्यवधान) क्या यह सदन का शब्द है ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- पहली लाईन यह है कि कोई जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, बृहस्पत सिंह जी, आप बोलिए। मैं आपकी भी लाईन सुन रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष जी, कृपया मेरी दूसरी लाईन सुन लीजिए। मैं सिर्फ एक लाईन बोलकर बैठूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

[9] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनकी कुछ बात मत सुनिए। उनकी बात सुनने की जरूरत ही नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आपके सामने सभा में वरिष्ठ सदस्य माननीय धर्मजीत सिंह जी ने साढ़े 6 बजे इस्तीफा देने की पेशकश की है। आप पूरी प्रोसिडिंग निकालकर देखिए कि कहां पर मोहन मरकाम जी का अपमान किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस्तीफा देने की पेशकश की है। (व्यवधान) आज तक किसी सदस्य ने इस्तीफा देने की बात नहीं की। (व्यवधान) यह सभा का दायित्व बनता है कि इस विषय को जांच करके समाप्त किया जाए और जो दोषी हो, उसके उपर कार्रवाई हो।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह छत्तीसगढ़ के सदन में [xx] शब्द कहकर किसको संबोधित किया। (व्यवधान) बोला है या नहीं बोला है। क्या यह सबको [xx] समझकर रखे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, मैंने आपकी बात सुन ली, आप बोलिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, हमने जो बात कही है, उस पर आपकी व्यवस्था आ जाए।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, आप अपने दल के सदस्यों को समझाईए।

श्री नारायण चंदेल :- क्या समझाएं ?

श्री अमरजीत भगत :- बार-बार अपमान कर रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मोहन मरकाम जी, प्रेमसाय सिंह जी को बार-बार बोल रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- किसी भी सदस्य ने जातिसूचक बात नहीं की है। हम माननीय उपाध्यक्ष जी से आग्रह करते हैं कि व्यवस्था आ जाए। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को कहा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमारे साथी को बार-बार अपमानित किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- बार-बार इस्तीफा देने के लिए कहना यह घोर आपत्तिजनक है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए, मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सुबह हमने आई लव यू से शुरूआत की। आज सुबह यह भी हुआ कि हम कुत्ते को भी आई लव यू बोल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- बराबर है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम लोग तो आपस में एक दूसरे के साथी हैं और ऐसे साथी ऐसे समय पर मुझे लगता है कि जब हम विदाई की बेला में हैं तो हम लोगों को आपस में इस प्रकार के विवाद से बचना चाहिए और हमारे धर्मजीत जी वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्होंने इस बात को कह दिया कि अगर मैंने कुछ गलत बोला तो आप जांच करवा लें, मुझे लगता है कि धर्मजीत जी कभी भी सदन में ऐसी कोई

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बात नहीं बोलते हैं, जिससे किसी को कष्ट हो। इसलिए आप उसको दिखवा लें, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो आप उसको कार्यवाही से निकाल देंगे और सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाएं।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने आप सबकी बातें सुनी। यह सदन माननीय सदस्यों की गरिमा और उनके सम्मान की रक्षा के लिए ही प्रतिबद्ध है। यदि किसी सदस्य के द्वारा ऐसी कोई बात कही गयी हो तो मैं दिखवा लूंगा और जरूरत होगी तो विलोपित भी कर दूंगा। मैं तो बोल ही रहा हूं। माननीय शर्मा जी।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, किसी ने भी जाति का नाम नहीं लिया लेकिन व्यक्तिगत बोल रहे थे कि मोहन मरकाम, मोहन मरकाम। यह मंत्री बने। जाति का नाम नहीं लिया। हम अभी भी बोल रहे हैं कि धर्मजीत जी ने जाति का नाम नहीं लिया। लेकिन मोहन मरकाम जी, प्रेमसाय सिंह का नाम बोला है।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के उपर चर्चा कीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, जब से चर्चा शुरू हुई है, आखिरी तक यह मामला आते तक, जो भी प्रोसिडिंग है निकलवा लीजिए और उस प्रोसिडिंग को पढ़ लीजिए, अगर मैंने किसी को अरे-वरे कहा हो तो, अगर मैंने कोई जातिसूचक शब्द प्रयोग किया हो तो मैं इस्तीफा दूंगा बोल रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में एक बार नहीं, तीन बार आसंदी की व्यवस्था आ चुकी है कि इस सदन के सभी सदस्य सम्मानननीय सदस्य हैं, एक दूसरे के प्रति जाति का प्रयोग नहीं होगा, हम कहीं जातिसूचक बात नहीं करेंगे। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि यहां किसी भी विषय में बात हो, हम जिससे प्रश्न कर रहे हैं, उसको हम टारगेट बनाकर प्रश्न करेंगे। हम अगर किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो उस मुद्दे से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति की चर्चा हम करेंगे ही। अब उसमें चर्चा करेंगे, फिर वो आदिवासी हो, अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, ओ.बी.सी. हो, सामान्य हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो सकता है। पर कुछ लोग सिर्फ शीर्ष सदस्य के तीन से चार लोग हर बात को जाति से जोड़ देते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब आप इस विषय में आइये। आगे चर्चा कीजिए। मैं इसमें व्यवस्था दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- आप कुछ भी बोलते रहते हैं। (व्यवधान)

सुश्री शकुन्तला साहू :- क्या आप कुछ भी बोलते रहेंगे और हम लोग सुनते रहेंगे? (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप कांग्रेस पार्टी के आंतरिक मामलों पर दखल न दें।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने व्यवस्था दे दी है। शर्मा जी, आगे बढ़िये। आप लोग बैठ जाइये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

सुश्री शकुन्तला साहू :- क्या आपके सदस्य बालते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या [xx][10] शब्द संसदीय शब्द में आता है? (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप विधेयक पर चर्चा कीजिए, आपको किसने मना किया है? लेकिन आप कांग्रेस के विधायकों का अपमान मत करिये।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय बृहस्पत सिंह जी, इसमें व्यवस्था आ चुकी है। शिवरतन शर्मा जी, आप विधेयक पर चर्चा कीजिए। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप केवल विधेयक पर चर्चा कराइये। (व्यवधान)

श्रीमती संगीत सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जोर से बोलेंगे। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत बात करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- शर्मा जी, केवल आप बोलना जानते हैं। और लोग भी बोलते हैं। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के बारे में चर्चा करें। किसी भी पार्टी के आंतरिक मामलों में दखल न दें।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग सदन की गरिमा का भी ख्याल रखें। आसंदी से व्यवस्था आ चुकी है, उसके बाद भी आप लोग ऐसा करेंगे। आप विधेयक पर चर्चा कीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप फिर उसी विषय में बोलना चाहते हैं। वह विषय समाप्त हो चुका है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक पर चर्चा हो। हम उससे सहमत हैं। आप किसी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल न करें। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर बहुत चर्चा हो गई। इसको समाप्त कीजिए। अब काम किया जाए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको अभी अड़चन हो तो कल भी विधान सभा की बैठक होगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिखवा लूंगा नहीं, इसको सदन में पढ़कर सुनाइये कि हमने कहां पर किसके खिलाफ बोला है या किसी व्यक्ति के लिए कोई असम्मानजनक बात कही है।

[10] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप यह भी पढ़कर सुना दीजिए कि [xx][11] शब्द कहां पर संसदीय है। क्या किसी सदस्य को [xx] कहना उचित है? आप मुझे पढ़कर सुना दीजिए। आप ही मुझे यह बता दीजिए। आप सुनते रहते हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मैं इसका अवलोकन करूंगा। माननीय शर्मा जी। अभी विधेयक पर चर्चा होगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप मुझे बता दीजिए। कल सुबह आप मुझे बता दीजिए। कल विधान सभा के प्रश्नकाल के बाद मुझे यह व्यवस्था चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं इसका अवलोकन करूंगा। आप निश्चिंत रहें। आपका सम्मान है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिये, शर्मा जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह व्यवस्था चाहिए कि यदि मैंने कोई अपमानजनक बात कही हो तो बताइये कि [xx] प्रदर्शन को [xx] प्रदर्शन कहने से किसी को मिर्ची लगी तो हम क्या करेंगे। मैं कल आपको इस्तीफा भी दे दूंगा। आप मुझे बताइये कि मैंने कहां पर कहा है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कल इस्तीफा देने वाले हैं, आज देकर जाइये।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपके कहने से इस्तीफा नहीं दूंगा। जब अध्यक्ष महोदय बोलेंगे, तब इस्तीफा दूंगा। आप मेरे मालिक थोड़ी न हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये। माननीय श्री धर्मजीत सिंह जी, मैंने आपकी भावनाओं को सुना है और मैं आपसे सहमत हूं। मैंने व्यवस्था दी है और जरूरत अनुसार कार्रवाई भी करूंगा। कृपया आप विधेयक पर चर्चा होने दीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है। चलिये, शर्मा जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक को लाने का उद्देश्य कभी भी राज्य का हित नहीं रहा है। यह संशोधन विधेयक सिर्फ राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए लाया गया है। इसलिए हम इस संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। हमने पहला प्रश्न माननीय मंत्री जी से किया है कि आप योजना मण्डल के स्थान पर योजना आयोग नाम क्यों कर रहे हैं? आप नाम बदलने के पीछे का कारण बता दीजिए। हमारे पिरयेड में हुआ। उस समय तो पूरा नहीं हो पाया। आप ही बता रहे हैं कि मण्डल को पुन: आयोग कर रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- केवल उल्लेख नहीं हुआ।

श्री शिवरतन शर्मा :- चलिये, एक तो यह कारण बता देंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने पहले जो प्रश्न किया था, जिस बात को माननीय बृजमोहन जी ने व्यवस्था के प्रश्न में उठाया कि नोटिफिकेशन होने के पश्चात् यदि यह विषय बाहर उद्घृत किया गया तो क्या वह उचित है? मंत्री जी, आप ये दोनों बातें स्पष्ट कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[11] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही संक्षिप्त सा संशोधन था, लेकिन इस पर इतनी विस्तृत चर्चा हो गई। सभी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी घोषणा कैसे कर सकते हैं? विधान सभा के नोटिफिकेशन के बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई नीति विषयक बात होती है तो उसको सदन में लाना आवश्यक है। नामजदगी वगैर: के संदर्भ में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि आप घोषणा नहीं कर सकते हैं। सरकार को अधिकार है। दूसरी बात, आपने कहा कि संशोधन तो केवल अरर्हता पर है। एक अक्षर पर यह पूरा कानून लाया गया है। पता नहीं, आपने प्रेमसाय सिंह जी के लिए क्या कहा, मोहन मरकाम जी के लिए क्या कहा कि उनकी दुर्गति हो गई। क्या हम लोगों ने नहीं देखा है? धरमलाल कौशिक जी को जिस दुर्गति से यहां बैठाया गया है, क्या हमने उसको महसूस नहीं किया है? आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष (भा.ज.पा.) को किस दुर्गति से हटाया गया, क्या हमने उसको नहीं देखा है? (शेम-शेम की आवाज) आप हमारे कांग्रेस के अंतर्विरोध की बात करते हैं। भा.ज.पा. में कितना अंतर्विरोध है, उसको सारा प्रदेश देख रहा है। रोज आपके प्रभारी बदलते हैं। रोज आपको नये निर्देश मिलते हैं। आप केवल दिखाने और अपनी टी.आर.पी. बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करते हैं और सदन का दुरूपयोग करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहने के लिए जो आप कह रहे हैं, हम लोग उससे ज्यादा हम लोग कह सकते हैं, लेकिन आज जो विधेयक आया है, केवल उसी में चर्चा होनी चाहिए और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि केवल एक बिन्दु का संशोधन है, उसको पारित किया जाये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक बिन्दु है तो हमने जो पूछा, उसका उत्तर दे दीजिए । उत्तर देने की बजाय आपने केवल राजनीतिक भाषण दे दिया । हमने जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर दीजिए न ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023) पारित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

<u>(3) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023)</u>

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023) पर विचार किया जाये ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे एक मार्गदर्शन लेना है । मैं जयसिंह जी को अग्रवाल करके संबोधित कर सकता हूं क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय :- आप तो विद्वान सदस्य हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मार्गदर्शन चाहिए क्योंकि हो सकता हैं कि वे बुरा मान जाएं कि मेरे जाति का नाम ले रहे हो, अग्रवाल, बनिया बोल रहे हो । आप मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए कि मैं बोल सकता हूं या नहीं?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मुझे आप अग्रवाल बोल सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- यह मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बोल सकता हूं न ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- हां ।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कार्यमंत्री जी, बोल सकता हूं न । उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस विधेयक में बोलूंगा ही, लेकिन थोड़ी सी पीड़ा का इजहार कर देता हूं । यह पहला सदन है, पांचवी विधान सभा है । जोगी जी मुख्यमंत्री थे, तब से आज तक और नंदकुमार साय जी नेता प्रतिपक्ष थे, तब से

अप्राधिकृत/प्रकाशन के लिए नहीं

आजतक और कामरेड स्वर्गीय महेन्द्र कर्मा जी नेता प्रतिपक्ष थे, तब तक इस सदन में कभी भी जाति को लेकर इतना हल्ला नहीं हुआ । ये दूरियां बढ़ाती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आज आपने I Love you से शुरूआत की, अभी भी कर दीजिए, क्या दिक्कत है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी को लक्षित नहीं कर रहा हूं और इसी के परिणाम में एक बहस में माननीय अध्यक्ष जी ने दो-तीन बार व्यवस्था दी । हम सब निर्वाचित होकर यहां सदस्य बनते हैं और उस सदस्यता में भाईचारा सबसे ऊपर है, जात-पात का कोई राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए और यह दूरियां बढ़ाती हैं ।

खाद्यमंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- चन्द्राकर जी, आप जितना इमोशनल होकर बोल रहे हैं, उतने नहीं हो । आप सदस्यों को (XX)[12] तक बोल देते हो, यह सही है क्या ? आप अपने गिनेबान में झांककर देखिए और दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हो । आप इन दो सदस्यों की कितनी बेइज्जती की है, आपने कितनी बार कहा है । आप अपनी बात पर विचार नहीं करते हैं । आप पढ़े लिखे हो, होशियार हो, ज्यादा जानकार हो ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, बैठिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- तोर ले कम हे गा, तोर ले विद्वान नहीं हे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको दूसरी बात बता दूं कि यदि ऐसी बातें होती हैं तो परस्पर आत्मियता, परस्पर अरूण वोरा जी से जो मजाक हो रहा था । दिमाग खराब हो गया है क्या, कहकर अरूण वोरा जी से सुबह मजाक हो गया था, शायद उस तरह से बात करने में भय लगेगा। तीसरी बात, आसंदी से जो व्यवस्थाएं आती हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, यदि किसी दबाव में दिखती है, आसंदी की व्यवस्था का ही पालन नहीं होता है, आसंदी ही उसमें कोई एक्शन नहीं लेती है तो स्थिति और बिगड़ती है। आप आसंदी में हैं और आप अच्छा संचालन करते हैं। जब आप पहली बार चेयर में बैठे तब भी हमने इस बात को कहा था। बात यहां तक बिगड़ी कि एक माननीय सदस्य ने इस्तीफा देने की बात कह दी। आपसे मेरा व्यक्तिगत तौर पर आग्रह है कि अब हम लोग संभलकर बोलेंगे, आत्मीयता से भी बोलेंगे, बात करेंगे तो नहीं बोलेंगे। चौथी बात, आप कल प्रोसिडिंग निकलवाकर निश्चित रूप से व्यवस्था दीजिये कि माननीय धर्मजीत सिंह जी ने क्या बात कही है, यह आपसे अपेक्षा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आज सुबह आई लव यू से बात शुरू हुआ था, ऐसा होना चाहिए, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। अब विधेयक पर बात करियेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

---

[12] (XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

श्री अजय चन्द्राकर :- यह बहुत संवेदनशीलन विषय है। सदस्य एक दिन का हो, लेकिन जो सदस्य इसका उदाहरण देते हैं, हम लोग उनके बहस में तो एक लाईन नहीं बोलेंगे। सपने में एक लाईन नहीं बोलेंगे, हम तय कर लेंगे कि किनके-किनके में नहीं बोलेंगे। वह गाली देंगे, मारेंगे तो भी नहीं बोलेंगे, यह आपको बता देते हैं। ठीक है साहब, हम 13 लोग हैं, वह भी गिनते हैं। हम आपके प्रचण्ड बहुमत का प्रदर्शन देख रहे हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। माननीय विद्वान सदस्य प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए, लेकिन राजनीतिक भाषण दे दिए। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप राजनीतिक भाषण दीजिये। लेकिन विधेयक, लेजिसलेशन का विषय है। आपने लेजिसलेशन में एक लाईन नहीं कहा है। माननीय मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी, मैं आपको अग्रवाल बोल रहा हूं, उसके लिए क्षमा करियेगा। आपने ई-स्टाम्प संशोधन लाया है। मैं सरल भाषा में बोलूं या कठिन भाषा में बोलूं ? कोई भी भाषा चल जायेगी न ?

उपाध्यक्ष महोदय :- आज बढ़िया सरल भाषा में बोलिये।

श्री अमरजीत भगत :- गाली भर मत देना।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता, मैं आपको एक दिन के लिए भी कुछ नहीं बोल सकता हूं। आपका उद्देश्य क्या है, ई-स्टाम्प की 3 खण्ड में परिभाषा है। क्या आपके पास पैसे की इतनी कमी हो गई है कि शासन के पास पैसा नहीं है ? जो लोग मांसाहारी होते हैं, मुर्गा खायेंगे तो हड्डी को चूसने के बाद उसको और दबाते हैं, उसका मज्जा भी चूसते हैं। आप समझ रहे हैं न ? मछली खायेंगे तो एक-एक कांटे को निकालकर चूसेंगे। अब नहीं बोलूंगा भईया, किसका कांटा फंसा था, क्या था (हंसी)

श्री जयसिंह अग्रवाल :- ना मैं मुर्गा खाता हूं ना मछली खाता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह एक उपमा है। मैं खाने वालों की बात कर रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- परन्तु संसदीय कार्यमंत्री जी, किसके लिए हेलीकाप्टर भेजना पड़ा था ? किसको माता बमलेश्वरी का श्राप लग गया था ?

श्री धर्मजीत सिंह :- ये मुर्गा खाने वालों की बात कह रहे हैं, आपकी नहीं कह रहे हैं। नहीं तो मुर्गा खाने के लिए बोल रहे हो कहकर आप भी खड़े हो जाओगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं वैष्णव आदमी, मुझको ऐसा बोल रहे हो कहकर भड़क जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। (हंसी) मुर्गा खाने वाले लोग कैसे खाते हैं, मछली खाने वाले लोग कैसे कांटा चूसते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। 5 रूपया था, आप उसको 2 प्रतिशत लगा रहे हो। आपने भारतीय स्टाम्प अधिनियम में संशोधन छत्तीसगढ़ के किसी लघु सीमान्त कृषक, किसी छोटे आदमी को लाभ देने के लिए नहीं किया है। अभी बोनस का विषय आयेगा, 85 प्रतिशत लोग लघु सीमान्त कृषक हैं, जिसमें 40 प्रतिशत से ऊपर के लोग आपके अधिकारी बैठे होंगे तो पूछ लीजिये कि एक एकड़ से कम जमीन वाले कितने लोग हैं और 5 एकड़ से कम जमीन वाले कितने लोग हैं ? मान लो 2 लाख रूपये का स्टाम्प

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हुआ तो 5 रूपये की जगह 2 प्रतिशत का कितना हो गया, बताईये ? आप किसको लाभ देना चाहते हैं ? स्टाम्प संशोधन में वही है, इसके सिवाय है क्या ? अब उसके आधार पर खजाना किसी गरीब आदमी को, एक छोटे आदमी को ऐसे चूसकर मारकर फेंक रहे हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है। आपको 5 रूपया लेने में तकलीफ हो रही थी ? राजस्व में कोई सुधार हो रहा है ? इससे किस चीज में सुधार हो रहा है ? इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा ? सिर्फ एक ही प्रभाव पड़ेगा कि आप गरीबों को चूसो, और दूसरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका खजाना भरेगा, जैसे मैं चौबे जी को बोल रहा था, अब चौबे जी को बस चौबे जी बोलूंगा, उनको अग्रवाल जी और मेरे मुर्शिद को बोलूंगा। क्या है कि जैसे मैं बोलता था कि पैरा ढुलाई में इतना पैसा खर्च हुआ, वह 53 लाख तक पहुंच गया। तो पैसा ढुलवाने के लिए इस राजस्व का उपयोग होगा। 35 लाख बोलता था, 53 लाख तक पहुंच गया । इसके अतिरिक्त इसमें 2 प्रतिशत कुछ नहीं है । दूसरी धारा में एक है, परन्तु कोई भी अपील जब तक ग्राह्य नहीं की जायेगी, तब तक ऐसा व्यक्ति कलेक्टर द्वारा आदेशित कम स्टाम्प शुल्क की राशि कम से कम 25 प्रतिशत जमा नहीं कर देता ।

<u>सदन की सूचना</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- सभा के समय में सायं 6.00 बजे तक की वृद्धि की जाये । मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप यह बताईये कि अपील की राशि पहले कितनी थी, उपबंध में आपने लिखा है, अब 25 प्रतिशत कर दोगे तो उससे क्या लाभ है, बताईये तो ? मुझे दोनों का लाभ बताईयेगा । 2 प्रतिशत करने का क्या लाभ है, 25 प्रतिशत करने का क्या लाभ है ? इसके बाद जो भी 25 प्रतिशत में आपने लिखा है, परन्तु कोई भी अपील जब तक ग्राह्य नहीं की जायेगी, जब तक ऐसे व्यक्ति कलेक्टर द्वारा आदेशित कम स्टाम्प शुल्क की राशि कम से कम 25 प्रतिशत जमा नहीं कर देता । ऐसी राशि अपीलीय अधिकारी के अंतिम आदेश के अनुसार देय राशि के विरूद्ध समायोज्य अथवा वापस योग्य होगी । आज तक एकाध बताओ कि सरकार ने राशि वापस की है ? दबंग मंत्री हो, साढ़े चार साल में एकाध उदाहरण बताओ कि मैंने इतनी राशि टैक्स में समायोजित की है या इतनी राशि वापस की है? अपने कार्यकाल का आप एकाध उदाहरण मुझे बता दो । आप यह देखेंगे, दूसरा है यथोपूर्व शुल्क के अवधारणा के स्थान पर, यथोपूर्व शुल्क के साथ शास्ति की अवधारणा प्रतिस्थापित की जाये । इसका मतलब क्या है कि 2 प्रतिशत शास्ति को ही आप प्रतिस्थापित करो । यही है ना साहब ? इसके बाद धारा 4 की उपधारा (2) उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील विहीत रीति में संभाग आयुक्त तथा, ये 25 प्रतिशत में मैं बोल चुका, आप

यह बताईये, फिर इसी को लिखे हैं, देय राशि के विरूद्ध समायोज्य तथा वास्ति योग्य होगी, दूसरी धारा । आपके पूरे संशोधन में ई स्टाम्प की परिभाषा के अतिरिक्त 2 प्रतिशत और 25 प्रतिशत का है । अब भारतीय स्टाम्प 1961-62 जो कभी कानून है, इसमें लिखा है, यह 1899 का कानून है, केन्द्रीय कानून है, आप उसको संशोधन करके छत्तीसगढ़ के गरीब जनता को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ऐसा मैं अब बोल देता हूँ भई । समझ रहे हो ? इससे क्या लाभ होगा, यह जरूर बताईयेगा । कुछ विद्वान साथी हैं, उसके मुकाबले मैं बहुत कमजोर हूँ । मैं कौन सा वर्ग का हूँ, यह नहीं जानता । मैं अजय चन्द्राकर हूँ, यह मैं जानता हूँ । मैं अपना वर्ग नहीं जानता कि किसमें आता हूँ । इससे किसी को फायदा होने वाला नहीं है, आपको राजस्व का फायदा होगा, आपके पास उपकर लगाने के अधिकार हैं, उपकर आपने 20 रूपया पौव्वा तक तो बढ़ा दिया है, अब आप नये-नये स्त्रोत खोज रहे हैं । पिछले बार शैक्षणिक के लिये शुल्क स्टाम्प के लिये लाये थे, अब फिर यह खोज कर ले आये । कुलमिलाकर गरीब जनता के लिये आपके ऊपर अधिभार है, आप जो फ्री बीज की सरकार चला रहे हैं, फ्री बीज में कल बात करेंगे । आपको उसके लिये पैसे की व्यवस्था करनी है । माननीय मंत्री जी, एक बात आपको समर्पित करके अपनी बात समाप्त करता हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता को चूसना बंद कीजिए, सुविधा दीजिए, पांच रूपया है उसको एक रूपया कर दीजिए, जैसे लगान को 5 पैसे, 10 पैसे रखते हैं ना, जो 25 प्रतिशत है उसको एक रूपया कर दीजिए, वह तो बता रहे थे, आंकड़ा मुख्यमंत्री जी पढ़ रहे थे, यह सब अच्छा है, गुडविल है, आनंद-आनंद है, All is well है, बता रहे हैं । आज आखिरी बात मैं बोल रहा हूँ, आज थोड़ा मैं एक चर्चा से दुखी हूँ, डॉ.आम्बेडकर जी की जीवनी आपको दूंगा, पढ़ियेगा । उन्होंने जाति-वाति से कभी हीनता नहीं पाली, उस समय वे हिन्दुस्तान के सबसे पढ़े-लिखे आदमी थे, संविधान सभा में कैसे पहुंचे मैं बताऊंगा । आप लोग जो उनका नाम लेते हो ना, संविधान सभा में उनको भेजने में आप लोगों का कोई योगदान नहीं है । आपको बता दूं कि वह बंगाल से गये थे । किसके समर्थन से गये थे, यह इतिहास बाद में बतायेंगे । उन्होंने एक बात कही, इस समाज के सशक्तीकरण के लिये एक ही रास्ता है, वह है शिक्षा । जिस यूसीसी का आप विरोध कर रहे हैं ना, मैं आपके पास संविधान सभा का बहस भेज दूंगा कि किन लोगों ने विरोध किया। उसका समर्थन करने वालों में सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति थे तो वह अंबेडकर जी थे और के.एल. मुंशी जैसे लोग थे, जो कांग्रेसी थे, जिसमें खास तौर पर अंबेडकर जी थे। जो लोग जातिवाद, धर्मवाद और संप्रदायवाद का नाम लेते हैं, उनके लिए वह एक माइल स्टोन है, दीपस्तंभ है, जिन्होंने विधान सभा में यू.सी.सी. का दम से समर्थन किया था। शिक्षा से ही सशक्तिकरण है और यह जात-पात में कुछ नहीं रखा है, सशक्त होना है। उन्होंने आरक्षण पर भी यह बात कही थी कि कितनी अवधि के लिए आरक्षण लागू होना चाहिए । यह समाज लंबे समय तक रेविड़यों पर जिंदा नहीं रहेगा, वे स्वाभिमान से जियेंगे। आप उनकी जीवनी में पढ़ियेगा। मैं बोलूंगा तो विवादास्पद विषय हो जायेगा। इसलिये आप अपनी क्षमता से बने, अपनी योग्यता से बने और आप बनेंगे या नहीं बनेंगे, मैं वह नहीं

बोल सकता लेकिन आप ऐसी छोटी बातों से बचियेगा। मुझे इस बात का और दु:ख है कि भीष्म पितामह जैसे बातों को सुनते रहे, उसी तरह श्री रविन्द्र चौबे जी भी ऐसी बातों को सुनते रहे, इस बात का हमेशा दु:ख रहेगा। कभी बोलने का अवसर मिलेगा या हम कभी आमने सामने होंगे तो यह उदाहरण बनेगा कि रविन्द्र चौबे जी ने समाज के लिये अपनी क्षमता का क्या इस्तेमाल किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद।

डॉ. विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, अजय चन्द्राकर जी बहुत विद्वान है और यह लगभग अंतिम सत्र है। हम लोग हमेशा इनसे सीखने की कोशिश करते रहे हैं। यह अभी अंतिम समय में फिर वही बात कर दिये। आप चीख-चीख के और चिल्ला-चिल्ला के अपनी बातों को बोलेंगे और सोचेंगे कि मैं सही बोल रहा हूं। आप हमेशा लेजिस्लेशन का पाठ पढ़ाते हैं। यदि कोई भी नये सदस्य खड़े होते हैं तो आप यह कहते हैं कि लेजिस्लेशन सीखिए। उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे बताईये कि हम इनसे क्या लेजिस्लेशन सीखें कि हर दो-तीन मिनट में खड़े हो जाये ? यह अभी बाबा साहब अंबेडकर की बात कर रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर को मैंने भी पढ़ा है, केवल इनको ही ज्ञान नहीं है। इनको ज्ञान है और सदन के किसी भी सदस्य को इसमें कोई शक नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

डॉ. विनय जायसवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, देख लीजिये वही आदत है। यही लेजिस्लेशन है ? यदि मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं तो यह फिर खड़े हो गये। क्या नये सदस्य इनसे यही लेजिस्लेशन सीखेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय :- आप अपनी बात समाप्त करिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। यह सही बोल रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने तत्कालीन परिस्थितियों में जो भी दबे-कुचले और पिछड़े हुए लोग थे, उनके लिये उन्होंने बोला, उन्होंने आरक्षण के लिये टाईम बॉन्ड किया। लेकिन आज इन्होंने फिर वही बात करके, जो इनकी नीयत में है कि बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण के लिये लंबे समय तक नहीं बोला था। यह सीधे-सीधे पूरे पिछड़े वर्ग के, आदिवासी समाज के और अनुसूचित जाति समाज के आरक्षण के विरोध की बात बोल दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप समाप्त करिये। माननीय प्रकाश शक्राजीत नायक जी, माननीय सौरभ सिंह जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, बिल में क्या बोला गया ?

उपाध्यक्ष महोदय :- वह बिल में नहीं बोले हैं। सौरभ सिंह जी, आप बोलिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आरक्षण के विरोधी है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- डॉ. साहब, अजय चन्द्राकर जी ने आरक्षण का विरोध कहां किया, आप यह बता दीजिये ?

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने आरक्षण का विरोध किया है या नहीं किया है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- उन्होंने आरक्षण का विरोध कहां किया है ? आप फालतू बात करते हैं।

डॉ. विनय जायसवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, यह बाबा साहब का उल्लेख करके 10 साल के आरक्षण के टाईम बॉन्ड की बात किये हैं या नहीं किये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये। सौरभ सिंह जी, आप बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- श्री रविन्द्र चौबे जी, आपके नेतृत्व में सब बोला जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी परिभाषित किया जा सकता है।

डॉ. विनय जायसवाल :- आप ऐसा बोल रहे हैं, यह आपकी मंशा है, आपकी नीयत है क्योंकि आप सीधे-सीधे नहीं बोल सकते हैं।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- उपाध्यक्ष महोदय, स्टाम्प ड्यूटी अधिनियम में संशोधन विधेयक आया है। इतनी गंभीर चर्चा के बाद मैं छोटी-सी दो बातें बोलूंगा। रेमंड लिमिटेड कंपनी नें लाफार्ज को अपनी फैक्ट्री बेच दी। 196 करोड़ रूपये का 17 साल के बाद निर्णय आया और आपने वसूली के लिये क्या कार्रवाई की ? कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्टाम्प ड्यूटी में अगर संशोधन करना है तो जो उद्योगपति कागजों में चीजों को बेचते हैं, वह बैलेंस शीट का खेल करते हैं, करोड़ो अरबों की स्टाम्प ड्यूटी की संपत्ति को चोरी करते हैं और चोरी करके यहां से भाग जाते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वह प्रदेश का पैसा है, वह जनता का पैसा है, वह खाते में आना चाहिए। वही फैक्ट्री लाफार्ज ने फिर से न्यूवोको को बेच दी। उसमें भी स्टाम्प ड्यूटी का मामला है। उसमें स्टाम्प ड्यूटी का क्या मामला आ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि हम अगर स्टाम्प ड्यूटी को चेंज कर रहे हैं। आप निकालिये कि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से कौन-कौन सी फैक्ट्री बिकी है और उन फैक्ट्रियों में कैसे स्टाम्प ड्यूटी का खेल हुआ है ? मैं अभी आपके कार्यकाल में तीन उदाहरण और बता दूंगा। जो एल.सी.एन.टी. के प्लांट बिके और उसमें कैसे स्टाम्प ड्यूटी का खेल किया गया। साईं लिलादर एल.सी.एन.टी. में एक स्टाम्प ड्यूटी का खेल किया और जिस आदमी ने लिया, वह ई.डी. के नाम पर जेल में है। उसमें भी स्टाम्प ड्यूटी का खेल हुआ। अगर स्टाम्प ड्यूटी का खेल है और इस विधेयक को सुधारना है तो आप गरीबों को छोड़ दीजिए। उनकी स्टाम्प ड्यूटी को छोड़ दीजिए। उनको आप छूट दीजिए और यह जो उद्योगपति हैं जो उद्योगपति स्टाम्प ड्यूटी का खेल करते हैं इस खेल को सुधारिए। मेरा यही आग्रह है। यही छत्तीसगढ़ के लिए होगा। यह अंतिम विधेयक है और यह अंतिम बात है उसके बाद माननीय मंत्री जी बोलेंगे। उसके पहले मैं बहुत लोगों की बात सुन रहा था कि इस सदन में कौन जीतकर आएगा, कौन हारकर आएगा। वह मुकद्दर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के हाथ में लिखा है, पर मैं एक बात जरूर बोलूंगा। जो व्यक्ति यह अहम करता है कि मैं ही यह करूंगा तो वह अहम जनता तोड़ती है।

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने जो कहा, पहले मैं दो तीन लाईन उसका जवाब देना चाहता हूँ कि यह विधेयक गरीबों का खून चूसने के लिए नहीं है। यह विधेयक भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 मतलब 124 साल पुराना है । जो छोटी-मोटी गलतियां हैं या कमी है उसको दूर करने के लिए इस विधेयक में संशोधन करना जरूरी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रही बात, इस सरकार से पैसा वापसी का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि पिछले कार्यकाल में कोरबा नगर निगम में मेरी धर्मपत्नी महापौर थी। जब प्रापर्टी टैक्स डबल कर दिया गया था, उस समय आर.पी. मण्डल साहब सेक्रेटरी थे। उन्होंने एक आदेश निकाला कि प्रापर्टी टैक्स इतना बढ़ाया जाता है। वह कोरबा में लागू किया गया। तो जब पिछले कार्यकाल में नगर निगम के चुनाव हुए और मेरी कोरबा नगर निगम में मेरी धर्मपत्नी महापौर बनी। तो जब वर्ष 2015 में उन्होंने बजट पेश किया तो उन्होंने बजट में प्रापर्टी टैक्स कम करने का बजट पेश किया, जिसको एक्ट लागू करना चाहिए था, लेकिन यहां पर सरकार ने लागू करने नहीं दिया। उसके बाद फिर एक साल के बाद बजट में फिर उसी कम करने की बात को रखा। फिर वह लागू नहीं किया गया और उसके बाद फिर यहां से और टैक्स बढ़ाने का आदेश जारी किया गया। उसके बाद मैं उसमें स्वयं कोर्ट गया। मैं कोर्ट गया तो मेरी, जनता के पक्ष कोर्ट का फैसला आया, वह सरकार ने लागू नहीं किया। अभी उसके बाद जैसे ही वर्ष 2018 में हमारा बहुमत आया तो हमारी सरकार की शपथ नहीं हुई थी, उसके पहले हमने उस टैक्स को कम करने का लागू किया और 2 सालों तक पूरे कोरबा में लोगों को प्रापर्टी टैक्स से मुक्ति मिली। क्योंकि उनसे इतना ज्यादा टैक्स ले लिया गया था कि उससे लोग परेशान थे। ऐसा नहीं है कि सरकार पैसा वापस नहीं करती। कभी पैसा adjust भी होता है और वापस भी होता है। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार मनमानी करती है, मैंने कोरबा का उदाहरण पेश किया है। मैंने इसमें दूसरी चीज बतायी कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 है इसको संशोधित किया गया है। इसमें कोई करोड़ों अरबों रूपये नहीं मिलने हैं। मैं आपको बता दूं कि जब से हमारी सरकार आयी है हर वर्ग को किसी न किसी रूप में फायदा पहुंचाने का काम किया है, जो यहां गरीबों, किसानों की बात करते हैं। जो भूमिहीन मजदूर किसान हैं जिसके पास जमीन नहीं है, लेकिन वह किसान है हमारी सरकार ने उसको भी साल का 7 हजार रूपये देने की घोषणा की, जो हम लोग करोड़ो रूपया दे रहे हैं। इसके साथ-साथ हम बेरोजगार को ढाई हजार रूपये बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं तो इस प्रकार से कोई, किसी का शोषण नहीं किया जा रहा

है। कोई ऐसा बोझ नहीं लाद दिया गया है। यह सिर्फ छोटा सा संशोधन है। अजय भईया ने जितनी बड़ी-बड़ी बातें कहीं। यह गरीबों का शोषण है, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, आप 2 प्रतिशत और 25 प्रतिशत में बताईये।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- हां, मैं आपको 2 प्रतिशत का पूरा बता देता हूँ। राज्य के विकास के लिए स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क के रूप में राजस्व अर्जित करना अचल संपत्ति के अंतरण अभिलेखों को पंजीयन करते हुए आम जनता द्वारा अर्जित संपत्ति पर उनके मालिकाना हक का सर्जन करते हुए, विधिक दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराना। संपत्ति अंतरण संबंधी दस्तावेजों को शाश्वत काल के लिए सुरक्षित रखना। विभागीय संरचना :- महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय के अधीन कुल कई जिला पंजीयक कार्यालय तथा 100 उप पंजीयक कार्यालयीन में 20 पदेन कार्यालय हैं। पदेन उप पंजीयक कार्यालय में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप पंजीयक के प्रभार रहते हैं। मैं आपको पूरा डिले बता देता हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप 2 प्रतिशत और 25 प्रतिशत में बताईये। यह तो परिभाषाएं हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- नहीं। मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। यह परिभाषाएं हैं। यह क्यों संशोधन करना पड़ा। क्या तकलीफें हैं, मैं आपको सभी चीजें बता रहा हूँ। उसके बाद आपके राजस्व की जो प्राप्ति है विभाग द्वारा गत वर्ष में 3.39 लाख दस्तावेज का पंजीयन किया जा कर स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क के रूप में 2241 करोड़ 80 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। आपकी जब सरकार थी और हम लोगों ने जब पदभार ग्रहण किया, उस समय 1100 कुछ करोड़ रुपये पंजीयन शुल्क मिलता था जो अभी 2241 करोड़ 80 लाख रुपये पंजीयन शुल्क मिला है। पंजीयन शुल्क नहीं बढ़ाया गया। इसलिए प्राप्ति हुई कि आप लोगों ने जो 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्रीयां रोकी हुई थीं, वह रजिस्ट्री को हमने खोला। इस साढे 04 साल में 04 लाख से ऊपर खाली वह रजिस्ट्री हुई हैं।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 2, धारा 35, धारा 40, धारा 45, धारा 47 क एवं धारा 56 में समयानुकूल संशोधन का प्रस्ताव है। धारा 2 में शब्द "ई-स्टाम्प अथवा इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प", "परिबद्ध", "बाजार मूल्य", "बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत", "स्टाम्प" आदि की परिभाषा या तो परिभाषित नहीं है या स्पष्ट नहीं है। इसलिए परिभाषित किया जाना आवश्यक है। मैं आपको संशोधन के कारण बता देता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- परिभाषा में तो मैं बात ही नहीं किया।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आपने बात नहीं किया, लेकिन संशोधन करने के कारण तो हैं न। कोई चीज का प्रावधान है, उसमें कोई चीज स्पष्ट नहीं है तो हम उसको हम स्पष्ट करेंगे न।

धारा 35 में संशोधन इसलिए आवश्यक है, क्योंकि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश के दिनांक से शास्ति का प्रावधान है तथा न्यूनतम शास्ति केवल 5 रुपये मात्र होकर अधिकतम शास्ति कमी

शुल्क का 10 गुना लिये जाने का प्रावधान है। इसलिए कमी शुल्क पर एक समान 02 प्रतिशत शास्ति का प्रावधान किया गया है।

धारा 40 में संशोधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि धारा-35 के समान ही कमी शुल्क के प्रकरणों में धारा- 40 के तहत की जाने वाली कार्रवाई में भी एक समान प्रावधान रखा जाना आवश्यक है। इस कारण से धारा- 40 (ख) में कमी शुल्क पर शास्ति लिये जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

धारा-45 (1) का लोप इसलिए आवश्यक है क्योंकि धारा 35 एवं धारा 40 में शास्ति के स्थान पर, कमी शुल्क का प्रावधान किया गया है। धारा 45 (1) कमी शुल्क के प्रकरणों में शास्ति के लौटाये जाने से संबंधित है, जिसका औचित्य नहीं रहेगा।

धारा 47 क में संशोधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि धारा 35 एवं धारा 40 में कमी शुल्क और शास्ति के प्रावधानों में संशोधन कर कमी शुल्क का 02 प्रतिशत शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। धारा 47 भी न्यून मूल्यांकित लिखतों पर कार्यवाही से संबंधित है अत: धारा 47 क-(2) में भी कमी शुल्क के लिए शास्ति सहित वसूली का प्रावधान किया गया है।

धारा 47 क-(4) में अपील के लिए प्रावधान है। कलेक्टर द्वारा आदेशित कम स्टाम्प शुल्क की राशि का कम से कम 25 प्रतिशत जमा करने के उपरांत ही अपील स्वीकार करने संबंधी प्रावधान किया गया है। यह इसलिए आवश्यक है कि कमी शुल्क के प्रकरणों पर शासन को तात्कलिक रूप से प्राप्त होने वाले राजस्व का सरंक्षण किया जा सके।

धारा 56 (4) में संशोधन इसलिए आवश्यक है, क्योंकि उपरोक्त धारा 47क-(4) के समान ही धारा 56 (4) भी पुनरीक्षण अपील से संबंधित है अत: तद्नुसार ही अपील हेतु कमी शुल्क की निर्धारित राशि जमा करने पर ही पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई लूट-खसोट या कोई गरीबों पर डाका नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाये। यह जो प्रावधान बहुत पुराना था, 124 साल पुराना था, इसमें संशोधन किया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय, एक मिनट। मैने माननीय जयसिंह अग्रवाल जी से बहुत छोटे-छोटे प्रश्न किये थे कि आप 02 प्रतिशत कर रहे हैं उसका औचित्य क्या है, उससे कितना राजस्व मिलेगा, उससे किसको फायदा होगा? 25 प्रतिशत की जो अपीलीय शास्ति है, उसको बढ़ाने से किसको क्या फायदा मिलेगा, समाज के किस वर्ग को फायदा होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, राजस्व की स्थिति क्या होगी, यह मैंने पूछा था। अब अति विद्वान साथी हैं, वह मेरे दोस्त हैं, अभी से नहीं, बहुत वर्षों से हैं, उनसे पूछ लीजिए। सब चीज अच्छे से स्पष्ट की। मैं परिभाषाओं पर बोला भी नहीं, मैं बोला कि ये परिभाषायें हैं। उसी भर में प्रकाश नहीं डाले, बाकी सबको अच्छे से प्रतिपादित कर दिये। उसी भर में प्रकाश थोड़ा सा खड़े होकर डाल दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैंने बताया न कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में हर वर्ग के लिए सरकार काम रही है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, 2 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के प्रभाव और राजस्व के बारे में बताईये।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अगर राजस्व आयेगा तो सरकार के पास आयेगा। कोई मेरे पास थोड़ी आयेगा या आपके पास थोड़ी आयेगा। यही तो मैं बता रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- आप बहुत सफाई से उसको छिपा रहे हो। राजनीतिक मजबूरी है या क्या है ? विधेयक में जब बहस होती है, लेजिस्लेशन बहुत कम समय होता है। यह सरकार का आखिरी विधेयक है। 2 प्रतिशत किन कारणों से बढ़ाना है? भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का है। 124 साल पुराना है, यह मैंने भी उल्लेख किया है। 2 प्रतिशत से कितना प्रतिशत बढ़ रहा है। 5 रूपये का 2 प्रतिशत बढ़ने से कितना अंतर आयेगा और जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा। प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023) पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रश्न यह है कि - भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों के द्वारा मंत्रिमण्डल के विरूद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसमें उन्होंने जो भी बिन्दु दर्शाया है, उसकी कापी हमको बहुद देर से मिली है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया प्रारंभ करना है, वह कल कर लिया जाये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा कल करवा लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुक्रवार दिनांक 21 जुलाई, 2023 के मध्याह्न 12.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगी। सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई ..।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष जी। इसमें समय, दिनांक निर्धारित मत करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, कल माननीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की कि आज और कल अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर में चर्चा होगी और आपने भी कहा परंतु अविश्वास प्रस्ताव से ज्यादा महत्वपूर्ण विषय कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हमारी दृष्टि में उसमें तुरंत चर्चा करनी चाहिए। सरकार उससे क्यों भाग रही है?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदस्य बोलना चाहते हैं। उसमें सभी को अवसर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये कल का समय निर्धारित हो गया। सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2023 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(5 बजकर 49 मिनट पर विधान सभा शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2023 (आषाढ़ 30, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा

रायपुर (छत्तीसगढ़) **सचिव**

दिनांक : 20 जुलाई, 2023 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं